खण्ड-114, अंक-4
गुरूवार, 20 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(11 दिसम्बर, 1952 ई0)

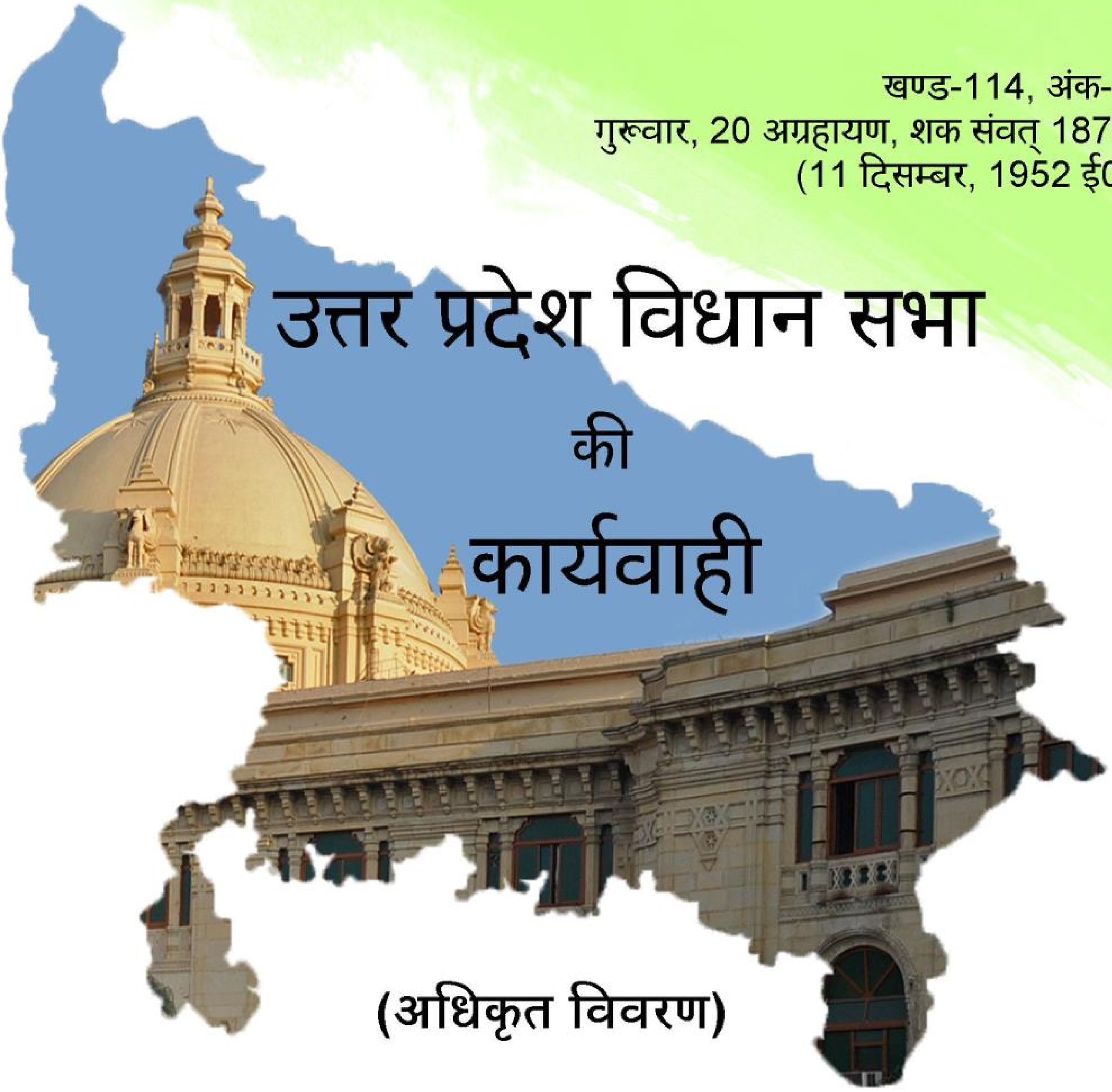

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 114 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५१)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पान्डेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर , श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पान्डेय, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पान्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पान्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तर सिंह निरन्जन, श्री
चिरन्जी लाल जाटव, श्री
चिरन्जी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबाहदुर सिंह, श्री
दातारराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद, मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पान्डेय, श्री
धनुषधारी पान्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरन्जन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल, सिंह, श्री
नौरंग लाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फतह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री

बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बनी सिंह, श्री
ब्रजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मन्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत्त अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणन्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजवन्शी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद दशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री

रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर, द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम सहाय शर्मा, श्री
राम सुन्दर पान्डेय, श्री
राम सुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंश नरायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वम्भर नाथ पान्डेय, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिव कुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिव नारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पान्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामा चरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारयण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम सिंह, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री

हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखपाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[२५ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किय गये।]

करघा उद्योग को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता

*३--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--क्या उद्योग मन्त्री कृपा करके बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने करघा उद्योग को बढ़ाने के लिये कितनी-कितनी रकम बतौर सब्सिडी के अपने हैन्डलूम डेवलपमेंट फन्ड से उत्तर प्रदेशीय सरकार को दी है और इस रकम को किस तरह से व्यय किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--सन् १९५०-५१ में केन्द्रीय सरकार के करखा उद्योग फन्ड के अन्तर्गत एक योजना स्वीकृत हुई थी। इस योजना पर कुल ९८,१०० रुपया खर्च करने का प्रस्ताव था, जिसमें ७०,००० रुपया केन्द्रीय सरकार के करघा फन्ड से दिया जाने को था और शेष प्रदेशीय सरकार को देना था। इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों को ४०,१०० रुपया सबसिडी के रूप में देने के आयोजन था। परन्तु इस योजना के धन की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से वर्ष के अन्तिम भाग में आने के कारण उस साल केवल ५,००० रुपया की सबसिडी इंडिस्ट्रयल कोआपरेटिव सोसाइटी, संडीला को डाई हाउस आदि बानने के लिये दी जा सकी। शेष रुपया खर्च न हो सका। इसके अलावा करघा उद्योग को बढ़ाने के लिये सन् १९३४-३५ से सन् १९४७-४८ तक केन्द्रीय सरकार से मिली हुई रकम का व्योरा निम्नलिखित है--

वर्ष			रकम (रुपया)
१९३४-३५	...	...	३२,०००
१९३५-३६	..	...	७२,०००
१९३६-३७	...	...	८६,४००
१९३७-३८	..	..	८६,४००
१९३८-३९	..	..	८६,४००

वर्ष			रकम (रुपया)
१९३९–४०	..	..	८९,४२७
१९४०–४१	..	..	८८,७८८
१९४१–४२	..	..	९३,१७६
१९४२–४३	..	..	९३,१७६
१९४३–४४	..	..	९८,२४०
१९४४–४५	..	..	९३,२८०
१९४५–४६	..	..	९३,१७६
१९४६–४७	..	...	९३,१७६
१९४७–४८	..	.	...

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार यह बतायेगी कि सन् १९५०–५१ में ४०,१०० रुपया सहकारी समितियों को देने के अलावा बाकी रकम ५८,००० रुपया को किस तौर पर खर्च करने का आयोजन था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जैसा बतलाया जा चुका है उसकी स्वीकृति देर में आई, सिर्फ ५,००० रुपया खर्च हुआ ।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार यह बतायेगी कि जब बाद में, साल के आखीर में रकम आयी तो इस रुपये को अगले साल खर्च करने का इन्तजाम किया गया या वह रुपया लैप्स हो गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---यह रुपया जो वहां से आता है लैप्स नहीं होता । यह एकाउन्टेन्ट जनरल के पास रहेगा ।

श्री इस्तफा हुसैन---संडीला में डाइंग के वास्ते जो ५,००० रुपये की रकम दी गई, क्या वह डाइंग का सामान वहां लगाया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---वह रुपया वहां दिया गया पर इस्तेमाल हो सका या नहीं, इसकी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि पिछले दो–तीन वर्षों के मुकाबिले आजकल करघा के उद्योग में गिराव आ गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---यह जो डिप्रेशन है, उसका असर करघा उद्योग पर भी जरूर है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सब्सिडी से कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---सन् १९५०–५१ के बारे में जो कहा गया है उसमें तो सिर्फ एक ही को दिया गया है, डाई हाउस, संडीला कोआपरेटिव सोसाइटी को ।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार का एक नियम है कि जब आल इंडिया हैन्डलूम फन्ड से रुपया किसी प्रदेशीय सरकार को दिया जायगा तो उस प्रदेशीय सरकार को अपनी तरफ से रकम लगाना जरूरी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---यह जरूरी नहीं है मगर होता यह है कि जैसा कि उस नक्शे में जो आपको दिया गया है, पता चलेगा कि जितनी रकम वहां से आती थी और उससे जितना ज्यादा खर्च होता था वह यह सरकार करती थी ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इतना ज्यादा खर्च हो जाने के बाद भी करघा उद्योग में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है, इसका क्या खास कारण है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जिन सोसाईटियों के ऊपर यह रुपया खर्च हुआ उनका कारोबार तो चलता रहा लेकिन जो डेप्रेशन है उसका असर करघा उद्योग पर भी पड़ा है। इसके अलावा हमारी जो बाजारें थीं वे नहीं रहीं। पहले बहुत कपड़ा पंजाब जाता था लेकिन पाकिस्तान बन जाने की वजह से वहां कपड़ा जाना बन्द हो गया है। इसी तरह से जो कपड़ा इन्डोनेशिया जाता था वह भी बन्द हो गया। इन सब बातों का करघा उद्योग पर असर पड़ा है।

*४--श्री इस्तफा हुसैन--[२५ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बुलन्दशहर में प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों पर व्यय

*५--श्री देव दत्त शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साल १९५१-५२ ई० में जिला बुलन्दशहर में प्लानिंग विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते व दफ्तर के किराये आदि पर कुल कितना व्यय हुआ और योजना के कामों में कितना व्यय हुआ ?

नियोजन उप-मन्त्री (श्री फूल सिंह)--वर्ष १९५१-५२ में जिला बुलन्दशहर में प्लानिंग विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते व दफ्तर के किराये आदि पर कोई व्यय प्लानिंग के बजट से नहीं हुआ। खेती, पशुपालन, सहकारिता आदि के पदाधिकारियों का खर्चा उनके बजट से व्यय हुआ और इन सब को मिलाने के कारण पहले वर्ष के मुकाबिले करीब २५ हजार रुपये की बचत हुई। इसी वर्ष में निर्माण कार्यों पर सहायता अनुदान तथा तकावी के रूप में कुल ३,२०,९१३ रुपये ३ आने व्यय हुआ।

श्री देव दत्त शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके यह बतायेंगे कि सन् १९५१-५२ में किस-किस को और कितनी-कितनी तकावी दी गयी ?

श्री फूल सिंह--माननीय मेम्बर अगर नोटिस देंगे तो मैं उसकी तफसील दे सकता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्लानिंग विभाग की तरफ से इस बात के भी कोई आंकड़े निश्चित किये गये हैं कि कितना जिला के अधिकारियों के मकान, दफ्तर और किराये पर खर्च होना है और कितना प्रतिशत रुपया बाकई योजनाओं पर खर्च होना चाहिए ?

श्री फूल सिंह--जी हां।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या माननीय मन्त्री जी इसका अनुपात बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री फूल सिंह--पिछले साल तक तो अलग-अलग मदों के लिये अलग अलग रुपया था, मगर इस साल जो रुपया बजट में स्वीकार हुआ था उसके लिये माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह निश्चित किया है कि कम से कम तीन-चौथाई रुपया तो डेवेलपमेंट कार्यों में खर्च होना चाहिए और एक चौथाई रुपया उन कामों में खर्च किया जाय, जिनसे डेवेलपमेंट कार्यों को शक्ति पहुंचे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५०-५१ के वित्तीय वर्ष में जिला बुलन्दशहर के प्लानिंग अधिकारियों के मकान, टी० ए० और भत्ते पर रुपया खर्च इसलिये नहीं हुआ क्योंकि वहां न कोई दफ्तर था न कोई कर्मचारी थे ?

श्री फूल सिंह--जी नहीं, यह सही नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में इस विकास योजना के अन्तर्गत क्या कार्य हुए हैं ?

श्री फूल सिंह--विकास योजना के अन्तर्गत जिला बुलन्दशहर में बहुत सारे काम हो रहे हैं, सड़कें आदि बनायी जा रही हैं। तमाम कामों का ब्योरा अगर आप चाहते हैं तो नोटिस की जरूरत है।

पाकिस्तान से वापस आने वाले मुसलमानों की राज्य में अचल सम्पत्ति

*६--श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि देश विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश के कितने मुसलमान पाकिस्तान गये और उनमें से कितने वापस लौट कर आगये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--देश के विभाजन के बाद १९५० से १९५२ सितम्बर तक ८५,००० मुसलमान इस प्रदेश से पाकिस्तान गये। अब तक जो मुसलमान वापस आये हैं उनकी संख्या २३,९९१ है।

श्री रमेश वर्मा--कृपया सरकार सूचित करे कि सन् १९५० ई० तक कितने मुसलमान उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान को गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--सन् १९५० ई० तक की फीगर्स इस वक्त नहीं हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपया करेंगे कि जितने भी मुसलमान पाकिस्तान से लौटकर हिन्दुस्तान को आये, उनके आने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह--पाकिस्तान की आबहवा माफिक नहीं आई।

श्री हेमवती नंदन बहुगुना--क्या सरकार बतलायेगी कि आबहवा की तब्दीली के लिये ही मुसलमान पाकिस्तान गये थे ?

श्री हुकुम सिंह--इसका जवाब खुद वही दे सकते हैं कि किस लिये गये थे।

श्री रमेश वर्मा--वापिस आये हुये उन २३,९९१ व्यक्तियों में ऐसे कितने हैं जो स्थायी रूप से वापिस आये और ऐसे कितने हैं जो एक मियाद के लिये वापिस आये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह २३,००० जो आये हैं उनमें से १७ हजार तो तब आयेथे जब प्राइम मिनिस्टर का समझौता हुआ था बक़ीया जो हैं वह परमिट ले करके आये हैं।

*७--श्री रमेश वर्मा--जो मुसलमान पाकिस्तान गये वे कुल कितने मूल्य की अचल सम्पत्ति छोड़ गये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री--निष्क्रान्त सम्पत्ति के संरक्षक इस विषय में जांच कर रहे हैं और जब तक जांच ख़त्म न हो तब तक कुछ ठीक कहा नहीं जा सकता ?

*८--श्री रमेश वर्मा--वापिस लौटे हुये मुसलमानों की अचल सम्पत्ति के बारे में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री--जहां तक सम्भव हो सका है उनकी सम्पत्ति उन्हें लौटा दी गई है।

राजकीय टेक्निकल स्कूल तथा कालेज

*९--श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने सरकारी टेक्निकल स्कूल या कालेज हैं और हर एक में प्रतिवर्ष कितने नये लड़के भरती किये जा सकते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उत्तर प्रदेश में राजकीय टेक्निकल स्कूल या कालेजों की संख्या २५ है। इनमें भरती किये जा सकने वाले विद्यार्थियों की संख्या का ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५० पर)

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार यह बतायेगी कि ये जो प्योर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन्स हैं, यानी गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गोरखपुर, गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल, लखनऊ, गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीटयूट, झांसी और गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीटयूट गाजीपुर। इनमें जब दरख्वास्तें दाखिले की आती हैं तो हजारों लड़के वापस चले जाते हैं बिला दाखिला पाये हुये ?

श्री हुकुम सिंह--बहुत मुमकिन है वापस चले जाते हों।

श्री इस्तफा हुसैन--तो क्या सरकार इसका प्रबन्ध करेगी कि या तो इस क़िस्म के और स्कूल खोले जायं या उन इंस्टीटयूशन्स में और जगहें बढ़ा दी जायं ?

श्री हुकुम सिंह--माली दिक्क़तें होने की वजह से इसमें ज्यादा कुछ इस वक्त नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त माली दिक्क़तें दूर हो जायंगी तो सब कुछ करेंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन टेक्निकल इंस्टीटयूशन्स में हरिजन कितने रखे गये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसकी नोटिस चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन टेक्निकल इंस्टीटयूशन्स में एलेक्ट्रीशियन्स, वाइन्डर्स वगैरह को भी ट्रेनिंग मिलती है या नहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--मिलती है बहुत से स्कूलों में।

गोरखपुर जिले में सहकारी बीज स्टोर

*१०--श्री इस्तफा हुसैन--गोरखपुर जिले के तहसील महाराजगंज के मौजा पनियरा से सरकारी या सहकारी बीज का स्टोर कब और क्यों हटाया गया और अब पनियरा के आस-पास के काश्तकारों को बीज कहां से मिलता है ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)--पनियरा का बीज भंडार अक्तूबर, १९५१ में बन्द किया गया था। उक्त भंडार वन विभाग के रेंज क्वार्टर्स की इमारत में स्थित था। वन विभाग की मांग पर इमारत को खाली करके भंडार को बन्द कर दिया गया क्योंकि भंडार के लिये उसके आस-पास में कोई उचित इमारत उपलब्ध न थी। पनियरा के आस-पास के काश्तकार भटहट बीज भंडार से बीज प्राप्त कर सकते हैं जो वहां से सात मील की दूरी पर है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि पनियरा का बीज गोदाम उस वक्त भी था जबकि फारेस्ट डिपार्टमेंट का रेंज क्वार्टर उसके हाथ में नहीं था ?

श्री मंगला प्रसाद--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि पनियरा का उत्तरी इलाके का वह हिस्सा जो महाराजगंज में है और ६-७ मील उत्तर में है, क्या वहां के बाशिन्दा आसानी से बीज ले सकते हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--सात मील का फासला यह बतलाता है कि दिक्क़त तो होगी ही, लेकिन जब कोई वहां पर मुनासिब जगह मिल जायगी तो वहां पर बीज गोदाम खोलने का प्रयत्न किया जायगा जो उसके नजदीक होगी।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार पनियरा में बीज गोदाम खोलने का विचार रखती है ?

श्री मंगला प्रसाद--जवाब दे दिया गया है कि वहां पर कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। पहले रेंज क्वार्टर की जगह में था जब उसकी मांग हुई वापस कर दी गई। जब कोई जगह मिलेगी तो खोलने के लिये विचार किया जायगा।

श्री शिवनारायण--यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति आश्वासन दे कि वह बिल्डिंग बनवा देगा तो सरकार उस पर विचार करेगी!

श्री मंगला प्रसाद--मैं जवाब दे चुका हूं कि सरकार जरूर विचार करेगी।

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बतलायेगी कि बहुत से बीज गोदाम बन रहे हैं तो क्या सरकार पनियरा में भी बीज गोदाम बनवाने की कोशिश करेगी?

श्री मंगला प्रसाद--अभी कोई सवाल नहीं है।

*११--श्री इस्तफा हुसैन--गोरखपुर जिले के सदर, बांसगांव, महराजगंज और फरेन्दा तहसीलों में कहां कहां बीज के गोदाम हैं?

श्री मंगला प्रसाद--तहसीलवार बीज भंडारों की सूची निम्नलिखित है--

(१) सदर तहसील ... (१) चौरी चौरा।
(२) जगदीशपुर।
(३) भटहट।
(४) सरहरी।
(५) गुलरिहा।
(६) पिपरौली।
(७) पिप्पीगंज।
†(८) कुड़ाघाट।

(२) बांसगांव तहसील ... (१) गोलाबाजार।
(२) अराव जगदीश।
(३) गगहा।
(४) कोथा।
(५) बेलीपार।
†(६) बांसगांव।

(३) महराजगंज तहसील ... (१) निचलौल।
(२) मिथौरा।
(३) डेला।
(४) भिटौली।
(५) श्याम देवखा।
(६) परतवाल।
(७) महराजगंज।

(४) फरेन्दा तहसील ... (१) नौतनवा।
(२) लच्छमीपुर।
(३) कैम्पिअरगंज।

---

† इन स्थानों पर कृषि विभाग के उन्नत बीज भंडार हैं।

अतारांकित प्रश्न

जिला अल्मोड़ा में सालम निवासी भूमिहीनों के लिए प्लाट

१--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा के लोहाघाट रेंज में मोरनौला जंगल कम्पाट नम्बर १० में जो प्लाट सालम निवासी भूमिहीनों को दिये जाने के बाबत नापे जा रहे हैं यह कितने प्लाट हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--कोई नहीं।

२--श्री खुशी राम--इस कार्य के लिए इस जंगल से कुल कितनी एकड़ भूमि खारिज होने का निश्चय है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--बिलकुल नहीं।

---

†उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

*खण्ड ३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय तिवारी जी ने पेश किया है। मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद और इस आश्वासन के बाद कि वह इस प्रदेश के मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर को ही डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स नियुक्त करेंगे, मैं समझता था कि यह संशोधन वापस हो जायगा पर ऐसा नहीं हुआ बल्कि उसके समर्थन में विरोधी दल के माननीय नेता ने खड़े होकर एक भाषण दे डाला और उस समय उन्होंने मूल प्रश्न पर तो इतनी बातें नहीं कहीं बल्कि इस सिलसिले में नई नई बातें और उत्पन्न कर दीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अचम्भा हुआ और खुशी भी हुई यह जानकर कि यकायक विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इलेक्शन कमीशन में एक अटूट श्रद्धा तथा विश्वास पैदा हो गया है। कल तक हम यह सुनते आये थे कि यह जो जेनरल चुनाव हुए इनमें बड़ी गड़बड़ी हुई और इस तरह की बातें इस भवन के बाहर ही नहीं, जनरल डिबेट के दौरान में भी इस सदन में उधर के माननीय सदस्यों ने की और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी टीका टिप्पणी की और बताया कि किस तरह से दबाव डाला गया इलेक्शन आफिसर्स के ऊपर सरकार की तरफ से। लेकिन आज जब म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन का सवाल है तो विरोधी बेंचेज की तरफ से कहा जाता है कि उनका विश्वास डाइरेक्टर आफ इलेक्शन (लोकल बाडीज) की स्वतन्त्रता में जब हो सकता है जब उसकी नियुक्ति इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाए और अगर इलेक्शन कमीशन भी विश्वास पैदा न कर पाए तो मैं समझता हूं कि शायद उनका सुझाव यह होगा कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन आकर इस देश में चुनाव कराये। इस तरह की जो दलीलें इस हाउस के सामने आती हैं वह मेरी समझ में तो आती नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं देखता हूं कि सदन में कुछ शोर सा हो रहा है। शान्ति क़ायम रखनी चाहिये।

श्री नवल किशोर--श्रीमन्, जहां तक यह तब्दीली हमारे इन माननीय सदस्यों में हुई है यह हेल्दी साइन है और इस बात के लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं।

---

*१० दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

†२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नवल किशोर]

माननीय नेता विरोधी दल ने मंत्री जी के भाषण के जवाब में यह कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इलेक्शन कमिश्नर से इस बात की दरख्वास्त करेगी कि वह लोकल बाडीज का चुनाव कराने के लिये कोई इलेक्शन आफिसर नियुक्त कर दें तो वह इस दरख्वास्त को ठुकरायेंगे नहीं, बल्कि स्वीकार कर लेंगे। मेरी समझ में तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह सवाल अवैधानिक तो है ही, इसके साथ साथ मैं इसको अपमानजनक भी समझता हूं क्योंकि जो हमारी मान-मर्यादा है उसको यह कम करता है। विधान के अन्दर लोकल बाडीज पूर्णतया प्रादेशिक सरकारों के अन्तर्गत हैं और उनका चुनाव कराने की पूर्ण जिम्मेदारी स्वतः प्रादेशिक सरकारों पर है। तो जब यह वैधानिक स्थिति है तो किसी भी तरह से यह सुझाव पेश करना कि कोई सरकार इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त करे कि वे हमारे यहां लोकल बाडीज का चुनाव निष्पक्ष कराने के लिये कोई इलेक्शन आफिसर नियुक्त कर दें, मैं समझता हूं कि ऐसा करने के मानी हैं कि वह सरकार अपने को सेल्फ कंडेम करती है और अपने प्रति स्वयं ही अविश्वास की भावना प्रकट करती है और यदि मैं कहूं तो अपने को नाकाबिल साबित करती है, मेरा तो विश्वास है कि कोई भी जनता से चुनी हुई सरकार ऐसा करने के लिये कभी तैयार न होगी और न उसको होना चाहिये। विशेष तौर से यह उत्तर प्रदेश की सरकार जिसको इस प्रदेश की जनता ने ९१ प्रतिशत बहुमत से इस भवन में भेजा है।

एक दूसरी हैरानी यह होती है कि एक तरफ तो यह दलील दी जाती है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक सरकारों के अधिकारों को बढ़ाये लेकिन दूसरी तरफ जब चुनाव का सवाल आता है तो उस चुनाव को सेंट्रलाइज कराने की कोशिश की जाती है। मेरे विचार में यह दोनों विचारधारायें एक दूसरे के खिलाफ पड़ती हैं।

श्रीमन् पिछले कुछ संशोधन के सम्बन्ध में यहां पर जो भाषण हुए उनमें इंग्लैंड और अमेरिका की बहुत सी मिसालें दी गईं, यह मानी हुई बात है कि इंगलैंड और अमेरिका में बहुत पुरानी डिमोक्रेसी है। मैं यह चाहता था कि इस चुनाव के सिलसिले में अगर हमारे मित्र उन विदेशों के विषय में जहां पर डिमोक्रेसी का अनुभव सदियों से किया जा रहा है अगर कुछ रोशनी डालते तो शायद हमको भी उससे कुछ लाभ होता। यही नहीं हर मर्तबा दूसरे प्रदेशों के अन्दर जो कानून हैं उनका हवाला दिया जाता है लेकिन इस चुनाव के सिलसिले में उसका भी कोई हवाला हमारे सामने नहीं आया यही नहीं अभी तक हमारे माननीय मित्र ने जो विरोध की आधार शिला बनाई थी वह खेर कमेटी की रिपोर्ट थी। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने चुनाव के सम्बन्ध में उस कमेटी का भी कोई हवाला नहीं दिया इतना स्पष्ट है कि जहां तक चुनाव का संबंध है पहली मर्तबा एक ऐसे तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है जो अभी तक इस देश के किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है और कम से कम उसको तो प्रगतिशील उनको मान ही लेना चाहिये। हो सकता है कि मेरे मित्र यह कहें और माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा भी कि उनकी मंशा यह है कि चुनाव निष्पक्ष हो और जनता की शंका मिट जाय और चुनाव के बारे में लोगों के अन्दर विश्वास पैदा हो। तो जहां तक चुनाव के निष्पक्ष होने का सवाल है इस निष्पक्षता के सिद्धांत को हर एक आदमी मानता है मगर वह निष्पक्ष है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा। अगर विरोधी दल की मंशा यही है कि वह ही इसका कि निष्पक्षता के आधार पर चुनाव हुआ या नहीं हुआ निर्णय करें तब तो काम नहीं चल सकता है। हमारा यह दावा है कि पिछले जो चुनाव हुए वह निष्पक्षता के आधार पर हुए हैं। यह कोई कांग्रेस पार्टी का दावा नहीं है बल्कि दूसरे मुल्कों के आदमी जो निरीक्षक की हैसियत से यहां पर इस देश में आये थे और हमारी नई डिमोक्रेसी का जो उन्होंने एक्सपेरीमेंट देखा उसके संबंध में स्पष्टतया उन्होंने यह कहा कि हिन्दुस्तान ने चुनाव के सिलसिले में काफी सच्चाई, फेयरनेस और मेहनत का सबूत दिया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है बेहतर तो यह है कि हमारे माननीय मित्र यह कहें कि हमारी शंकायें हैं और हमारा विश्वास नहीं है और जनता का जहां तक संबंध है जनता को कोई शंका नहीं है। मैं नहीं जानता कि उनका मंशा कौन सी जनता से है। अगर उनका मंशा उसी जनता से है जिसके साथ हमारा भी सम्पर्क है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता को कोई भ्रम नहीं है और कोई शंका किसी तरह की नहीं है। अगर हमारे माननीय मित्रों को शंकायें हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भी अपनी शंकाओं को मिटा दें। जनता के विश्वास का सबूत यह है कि आज यहां पर इतनी बड़ी अक्सरियत में हमारी सरकार मौजूद है। हमारे प्रति जनता का क्या और कितना विश्वास है इसका अन्दाजा आप इससे कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर यह गैरमुनासिब न हो तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज जो यह नई प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी है उसके पास भी जनता का कोई मेंडेट है मेरा दावा है कि कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष--आप संशोधन से बहुत दूर जा रहे हैं। इसको राजनीति का अखाड़ा न बनाइये।

श्री नवल किशोर--श्रीमन्, कल नेता विरोधी दल के भाषण में कुछ ऐसे जिक्र किये गये थे इसीलिये मैंने यह कहा। खैर, मैं यह कह रहा था कि जो बातें कही गयीं डाइरेक्टर आफ एलेक्शन की नियुक्ति के सिलसिले में उसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी ने कर दिया है कि विधान के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट को पूर्ण अधिकार है और उसी की यह जिम्मेदारी है कि वह लोकल बाडीज का चुनाव हमारे प्रदेश में कराये और इस सिलसिले में जो सुझाव हमारे माननीय मित्र नारायणदत्त जी ने रखा है वह अनकांस्टीट्यूशनल होने के साथ साथ हमारी जो प्राविन्शियल आटोनामी है उसके स्कोप को भी कम करता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार न किया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी ने इस सदन में पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। मुझे माननीय नवलकिशोर जी का भाषण सुनकर कुछ ताज्जुब सा हुआ। उन्होंने कहा कि विरोधी दल वाले लोग दो विचारधाराओं की बातें इस सदन के सामने कह रहे हैं। एक तरफ तो हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम हिन्दुस्तान के एलेक्शन कमिश्नर को अपना डायरेक्टर आफ एलेक्शन मुक़र्रर करने के लिए कहते हैं। मैं अगर माननीय सदस्य से यह कहूं कि यह २ विचारधारायें तो उधर से शुरू हो रही हैं। अगर डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात इधर के लोग करते तो सब से अच्छा यह होता कि जिस बिना पर आज हमारे यहां उधर के लोग कहते हैं कि जनता ने हमें छांटा है और हम जनता के प्रतिनिधि होकर आये हैं तो क्या म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर जो लोग छांटे गए हैं वह क्या जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं? उन्हें भी तो जनता ही ने छांटा है। उन्हें तो ६० हजार वोटरों ने ही छांटा है लेकिन जो लाखों की तादाद में लोग म्युनिसिपैलिटीज में रहते हैं उन्होंने इनको भी छांटा है और जो छंटे हुए लोग हैं उन्हीं को अधिकार दे दिया जाय कि वह अपने म्युनिसिपल एरिया के चुनाव के लिए आफ़िसर मुक़र्रर करें। ऐसा क्यों हो रहा है? नोटिफाइड एरियाज के चुनाव, म्युनिसिपल चुनाव तो ४ साल तक नहीं किए गए चूंकि उनको ख्याल था कि शहरों में पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वह कांग्रेस वालों को नहीं चुनेंगे। नोटिफाइड एरियाज में और टाउन एरियाज में चुनाव हुए जिनमें कांग्रेस वालों को केवल ३१ फ़ीसदी वोट मिले और तमाम टाउन एरियाज में वह हार गए।

श्री अध्यक्ष--आप संशोधन से अलग जा रहे हैं और इस तरह से अगर बीच में कोई बात कहे और उसका जवाब देना शुरू करें तो फिर बड़ा कठिन है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं तो यह समझा रहा था कि डायरेक्टर आफ़ एलेक्शन्स रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उनको ख्याल हुआ कि म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

में हालत बिगड़ने वाली है और उसका प्रत्यक्ष रूप वह नोटिफाइड एरियाज के चुनाव में देख चुके हैं। उन्होंने सोचा कि अगर हम अलग अलग ५२ जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को यह अधिकार देते हैं तो उनमें से किस किस के पास जाकर अलग अलग कहते फिरेंगे, इसलिए एक आदमी को मुकर्रर करके उसको इशारा दे देंगे और खास तौर से इसी गर्ज से डायरेक्टर की बात यहां सरकार ने रखी है। वैसे चाहे कोई हो, डायरेक्टर हो या कोई और हो हमें उससे कोई खास शिकायत नहीं है, शिकायत तो हमें हुकूमत से है जो ऐसा कर रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह शोभा नहीं देता कि इस तरह के अफ़सरों पर ऐसे रिमार्क पास किए जायं। इसलिए मैं साफ़ कर देना चाहता हूं कि हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है बल्कि हमें तो शिकायत उनसे है जो हुकूमत चला रहे हैं और सदन में बैठकर जो इशारा किया करते हैं और गलत दबाव देकर उनसे गलत काम कराने की कोशिश करते हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हमें इसमें जरा सा शक सा होता है कि यहां का कोई बड़े से बड़ा अफ़सर मिनिस्ट्री के इशारे पर न चलेगा। इसलिये हमारे कहने का उद्देश्य केवल इतना था कि आने वाले चुनावों के लिए जो कोई अफसर भी मुकर्रर किया जाय लेकिन हर हालत में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिये। किसी तरह का जो कानून बन जाय उससे विपरीत काम नहीं होना चाहिये। इसलिए हम कहते हैं कि एक ऐसा अफसर मुकर्रर होना चाहिये कि जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास जाय उसमें से वह कमीशन छांटे। वही इस प्रान्त के लिये मुकर्रर होना चाहिये। माननीय नवल किशोर जी ने कहा कि हमारा विश्वास इलेक्शन कमीशन के लिये एक दम उमड़ा हुआ है। हम भी कहते हैं कि यदि दिल्ली का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से काम नहीं करता और सारा काम प्रान्त के इलेक्शन कमिश्नर पर ही होता तो जो कुछ लाल टोपियां यहां दिखाई दे रही हैं वे नहीं दिखाई देतीं। हम समझते हैं कि माननीय नवलकिशोर जी ने हमको ग़लत समझा। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा है कि सेंटर के इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह चुनाव में काम किया है वह सराहनीय है और हम लोग तो अब केवल यही चाहते हैं कि निष्पक्ष अफ़सर हों। मैं अपने ही चुनाव को बतलाता हूं कि किस तरह से अफ़सरों को हुकुम दिया गया।

कुछ सदस्य--वहां अभी इलैक्शन पैटीशन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष--आप उसका जिक्र नहीं कर सकते जब तक कि वह पेंडिंग है। कोई और मिसाल आप देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं अपने उधर के भाइयों को बताना चाहता हूं कि मैं भी इस बात को वकील होते हुये जानता हूं। मैं उसका जिक्र केवल इसलिये करना चाहता था कि वह मेरा पर्सनल अनुभव है मगर अब उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पर मैं यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से अफ़सरों को इनफ्लुएंस किया जा सकता है। जब मेरा फैसला हो जायगा और कभी मौक़ा मिला तो फिर बताऊंगा। अब तो मैं केवल इतना ही चाहूंगा कि जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने रखा है उसे माननीय मंत्री जी स्वीकार करें और हमें विश्वास दिलावें कि वह सचमुच इस प्रान्त की म्युनिसिपैलिटीज में ऐसा चुनाव कराना चाहते हैं जो बिलकुल निष्पक्ष होगा और जिसमें कोई दबाव नहीं होगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि इस संशोधन पर काफ़ी विचार हो गया है, अब बहस बन्द की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन के विरोध में माननीय मंत्री जी और माननीय नवलकिशोर जी से जो बातें सुनीं

उनसे मुझे किसी प्रकार इस बात का विश्वास नहीं हो पाया कि मैं अपने इस अपमानजनक संशोधन को वापस ले लूं। यह मैं नहीं समझ पाया कि माननीय नवल किशोर जी ने इस संशोधन को अपमानजनक किस प्रकार बताया है क्योंकि यदि मेरा संशोधन अपमानजनक था तो माननीय मंत्री जी की डाइरेक्टर आफ़ इलेक्शन की नियुक्ति भी अपमानजनक है। डाइरेक्टर को मैं अपनी ओर से नहीं बना रहा था। उसे तो माननीय मंत्री जी और उनका विधेयक नियुक्त करने वाले हैं। माननीय नवल किशोर जी को याद होगा कि माननीय मंत्री जी ने चुनाव के लिये इंडिपेंडेंट अथारिटी अप्वाइन्ट करने का आश्वासन दिलाया था, अतः यह डायरेक्टर आफ़ इलेक्शन्स उनकी ओर से अप्वाइन्ट किया जा रहा है न कि हमारी ओर से। अब उस इंडिपेंडेंट अथारिटी की इंडिपेंडेंस को अक्षुण रखने के लिये और जनता के सभी वर्गों को यह विश्वास दिलाने के लिये कि डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स वास्तव में एक इंडिपेंडेंट अथारिटी है, मैंने यह संशोधन पेश किया था। नवल किशोर जी को यह आशंका हुई और आश्चर्य हुआ कि हमें इलेक्शन कमीशन पर कब से विश्वास हो गया। मुझे तो आज तक कोई ऐसा उदाहरण नजर में नहीं आया जिस में हमारी ओर से इस सदन में या इसके बाहर कभी भी इलैक्शन कमीशन की इन्ट्रीग्रिटी पर अविश्वास किया गया हो। मैं जानना चाहूंगा कि इस सदन के अन्दर या इसके बाहर का हमारे पार्टी के लोगों का कोई ऐसा बयान माननीय नवल किशोर जी बता दें जिसमें यह कहा गया हो कि इलेक्शन कमीशन या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इम्पार्शल नहीं है। न तो हमारे किसी सदस्य ने और न जय प्रकाश नारायण जी ने ही कभी ऐसा कहा है कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शल नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अनजाने अपराध लगाना प्रजातंत्र की परंपरा के विपरीत है। इसके साथ ही साथ और ग़लतफहमियां उनको हुईं।

माननीय नवल किशोर जी ने यह भी कहा कि हर बात में मैं खेर कमेटी रिपोर्ट का हवाला देता रहा हूं, लेकिन इलेक्शन के मामले में मैंने उसका कोई हवाला नहीं दिया। यह मैंने जानबूझ कर इसलिये किया था कि मुझे अफ़सोस हुआ इस बात का कि खेर कमेटी रिपोर्ट की यहां जो बेइज्जती हुई, जिस प्रकार से जिन शब्दों में उस रिपोर्ट की भर्त्सना यहां, इस सदन में की गई उसके लिहाज से मैंने इस सदन का समय उसके लिये बरबाद करना मुनासिब नहीं समझा। इस वजह से मैंने उस दकियानूसी कही जाने वाली रिपोर्ट को, गुलामी के जमाने में तैयार की हुई रिपोर्ट को इस आजादी के जमाने म पेश करना उचित न समझा। लेकिन अगर माननीय नवल किशोर जी की यह शिकायत है तो मैं उनको यह इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि आगे हर संशोधन पर जब मैं बोलूंगा तो खेर कमेटी रिपोर्ट को कोट करूंगा।

माननीय सदस्य ने कहा कि हम एक ओर तो डिसेंट्रलाइजेशन की बातें करते हैं, एक ओर विकेन्द्रीयकरण चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर केन्द्रीयकरण इस संशोधन के जरिये से करने जा रहे हैं। इसके लिये मैं माननीय सदस्य से केवल इतना ही कहूंगा कि माननीय सदस्य को इसमें ग़लतफहमी हो रही है। क्या वे समझते हैं कि डायरेक्टर आफ इलेक्शन या चीफ कमिश्नर ही सब जगह जाकर स्वयं निरीक्षण करते हैं? उनके नीचे रिटर्निंग आफ़ीसर, प्रिजाईडिंग आफ़िसर, पोलिंग आफ़ीसर आदि कई पदाधिकारी होते हैं, जो उसकी ओर से वहां काम करते हैं। इसी प्रकार डाइरेक्टर आफ इलेक्शन्स लखनऊ में बैठकर ही सब काम करेगा और हर म्युनिसिपैलिटी में या नोटीफाइड एरिया में जहां भी चुनाव होगा वहां रिटर्निंग आफ़िसर, पोलिंग आफ़िसर्स आदि मुक़र्रर किये जायेंगे तो फिर वे कैसे यह कहते हैं कि डाइरेक्टर आफ इलेक्शन के मुक़र्रर कर दिये जाने से कैसे इलेक्शन सेंट्रेलाइज हो जायगा। यह बिलकुल कपोल कल्पना है। इसमें कोई सार नहीं है।

अगर खेर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार इस मामले पर विचार किया जाय तो इसके लिये गवर्नमेंट कभी तैयार न होगी और न माननीय नवल किशोर जी ही तैयार होंगे। मैं कहता हूं कि ५ साल तो क्या १० या १५ साल तक भी यह गवर्नमेंट यहां रहे तो भी खेर कमेटी के सुझाव को यह नहीं मान सकती। उनका प्रपोजल क्या था? उन्होंने बताया कि पहली साल

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इलेक्शन करायेगा और उसके बाद बोर्ड अपना इलेक्शन खुद करायेगा। खेर कमेटी रिपोर्ट के पेज २६ पर यह साफ लिखा हुआ है :--

"70(*b*) The returnig officer and two members elected by the Board on the basis of single transferable vote should act as the revising authority in respect of such rolls."

आप एलेक्शन कमिश्नर को खुद यहां अप्वाइंट करेंगे। खेर कमेटी की रिपोर्ट में जिसको माननीय सदस्य सुनना चाहते हैं लिखा हुआ है कि रिटर्निंग आफिसर एलेक्ट होगा। कल परसों माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा था कि आप डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस के पेनेल का नाम दे दीजिये, हाउस उसको एलेक्ट करेगा। तो खेर कमेटी की रिपोर्ट के सिद्धान्त को आप स्वीकार करते हैं तो क्यों नहीं माननीय विरोधी दल के नेता के सुझाव को मान लेते। आप डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस का एक पेनेल हमारे सामने पेश करें और हाउस उसको एलेक्ट करे। जिस प्रकार म्युनिसिपैलिटियों में रिटर्निंग आफिसर एलेक्टेड होते हैं उसी तरह से यह हाउस डाइरेक्टर आफ एलेक्शन कमीशन एलेक्ट करे। तो श्रीमन् श्री नवल किशोर जी की यह इच्छा है तो हम उसे पूरा करने के लिये तैयार हैं, उन्हें विरोधी दल का पूरा सहयोग प्राप्त है। अगर उनको कोई आशंका है तो मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूं, श्री नवल किशोर जी अपना संशोधन प्रस्तुत करें। मैं उसका समर्थन करने के लिये पूर्णरूप से तैयार हूं।

इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने भी कुछ शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि साहब एलेक्शन कमिश्नर का अप्वाइंटमेंट "आन दि रिक्वेस्ट आफ स्टेट गवर्नमेंट होगा", जो सरकार कहेगी वही होगा तो फिर क्यों इस तरह की शंका प्रकट की जा रही है। यह ठीक है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हर ऐक्शन पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम भी जानते हैं कि यह जनता की चुन हुई सरकार है। तो फिर बार बार यह बतलाने की क्या आवश्यकता है कि यहां पर ९१-९२ फ़ीसदी हमारा बहुमत है। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ४८ फ़ीसदी वोट पर आपका यहां ९२-९३ फ़ीसदी बहुमत है। इसीलिये हम चाहते हैं कि जनता का ५२ फ़ीसदी बहुमत जो बाहर है उसके दिमाग़ में इस प्रकार की कोई भावना नहीं होनी चाहिये कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है या हो रहा है। यह कोई हमारा कर्त्तव्य नहीं है बल्कि सर्व प्रथम सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह जनता के अन्दर इस प्रकार का विश्वास पैदा करे कि सरकार जो चुनाव कराना चाहती है वह निष्पक्ष कराना चाहती है। तो यह हमारा लुक आउट नहीं है बल्कि सरकार का लुक आउट है। जब हमने सरकार को यह सुझाव दिया तो कहा गया कि जब एलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति आन दि रिक्वेस्ट आफ़ स्टेट गवर्नमेंट होगी तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहेगी वही वहां होगा। लेकिन मुझे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है कि अगर वह एलेक्शन कमिश्नर के लिये किसी आदमी को रिकमेंड करेगी तो वह निष्पक्ष आदमी के लिये ही रिकमेंड करेगी। हम भी चाहते हैं कि उसके लिये एक निष्पक्ष आदमी हो।

एक बात और भी माननीय मंत्री जी ने कही और उन्होंने श्री नवल किशोर जी की बात को दोहराया कि संशोधन कुछ अवैधानिक है। चूंकि एलेक्शन कमिश्नर हमारे अधिकार में नहीं है, वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी है इसलिये उसे वही नामजद करती है। वह हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूं, श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि एलेक्शन कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसीडेंट नामजद करता है। माननीय मंत्री जी तो प्रेसीडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ही बात कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन आखिर में अगर उनकी ही बात मान ली जाय कि प्रेसीडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है तो इसमें कोई रुकावट नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करती है उससे हम काम न लें। श्रीमन्, एक बात मैं यह कहूं कि इस विधेयक के अन्दर जो असेम्बली रूल्स की बात आयी है वह भी तो विधान के अन्दर नहीं है। फिर एलेक्शन कमिश्नर के लिये ही क्यों इस तरह की बात कही जाती है। इसमें दिया हुआ है कि असेम्बली रूल बिना एलेक्शन कमिश्नर

की आज्ञा के लोकल बाडीज परपज के लिये नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। श्रीमन् यह भी तो एलेक्शन कमिश्नर के ही जुरिस्डिक्शन में आता है। असेम्बली रौल्स की जो परिभाषा दी हुई है वह यह है —

"Assembly Rolls" means the electoral rolls prepared for the Assembl constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the Peoples Act, 1950.

[असेम्बली रोल्स (विधान सभा सूची) का तात्पर्य उस मतदाता सूची से है, जो विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के निमित्त, रिप्रेजेण्टेशन आफ़ पीपुल ऐक्ट, १९५० के उपबन्धों के अन्तर्गत तथा उसी के अनुसार बनायी गयी हों।]

तो क्या श्रीमन् माननीय मन्त्री जी हमको यह बतलायेंगे कि यह रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट हमारा बनाया हुआ एक्ट है या पार्लियामेंट का। हमें यह भी मालूम है कि चीफ एलेक्टोरल आफिसर न असेम्बली रूल्स नहीं बनवाये और न हमारी गवर्नमेंट के कहे पर बनवाय बल्कि वह एलेक्शन कमिश्नर की आज्ञा से रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट की बनाई हुई निर्धारणाओं के अनुसार बनाय गये थे। तो श्रीमन् मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने असेम्बली रूल्स जब लोकल बाडीज के एलेक्शंस के लिये अपनाये तो क्या उसने एलेक्शन कमिश्नर से कोई राय ली, कोई मशविरा लिया। और जब आपन नहीं पूछा तो इसके लिये भी राय लेने की जरूरत नहीं ह। यह कहा जा सकता है कि यह कोई आरगूमट नहीं है। अगर मेरा कोई आरगूमेंट नहीं ह तो म यह कह सकता हूं कि आपका भी कोई आरगूमट नहीं है। और जसा आरगूमेंट आपका था वही आरगूमेंट मेरा ह। जसा सवाल पूछा जायगा उसका वैसा ही जवाब मिलेगा। इसलिय श्रीमन् मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हुं कि आप बहुत टेक्निकलटीज में न जायें बल्कि इस संशोधन की जो निर्दोष आत्मा ह उसकी तरफ देखिये और अगर वह टेक्निकल्टीज म जायगे तो हम बहुत सी बातें बता सकते ह जो इस विधान में और और विधानों में गलतियां की जा रही हैं। और जसे आप और बहुत सी गलतियां कर चुके हैं यह भी एक गलती करना चाहते ह तो कर लें हम तो सिर्फ आपको राय दे सकते हैं। अगर आप जनता के दृष्टिकोण से, हमारे दृष्टिकोण और अपन दृष्टिकोण का सामन्जस्य उपस्थित करके कोई नई चीज उपस्थित करे तो हमें एतराज नहीं होगा। तो श्रीमन् मैं फिर एक बार सादर साग्रह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी ही भाषा के अनुसार एक स्वतंत्र प्राधिकारी इंडिपेंडेंट अथारिटी को नियुक्त करने के लिये मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, वादविवाद में बहुत जोश और इस बात का चैलेंज कि दूसरों न गलत दलील दी है या नहीं दलील दी या मैं गलत दलील दूं या दलील दूं कि इस तरह की बातों का विधान में स्थान नहीं है तो इस तरह की चीजें पेश करके मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। मैंने जो पहले अर्ज किया था अगर उस ओर बोलनेवालों और विशेषकर उस ओर के लोगों ने ध्यान दिया होता तो बहुत सी शंकाय दूर हो गई होतीं और बोलने की गुंजायश नहीं रहती। मैंने यह कहा था कि एलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। हमारी लोकल बाडीज का चुनाव, यह स्टेट सबजक्ट ह और इसके चुनाव की सारी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। इसलिये हम अपन क़ानून म इस तरह की बात रखते हैं कि एलेक्शन कमिश्नर के सुपुर्द हम इस काम को कर यह हमारी अनधिकार चेष्टा है। एलेक्शन कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह इन्कार कर दे कि हम इस चुनाव की जिम्मेदारी नहीं लेते। तब आपको इस क़ानून के बनाने के बाद फिर अमेंडिंग बिल लाना पड़ेगा तभी आप फिर चुनाव करा सकते ह। यह मैंन कल अर्ज किया था कि अगर इस ओर ध्यान दिया गया होता तो बहुत सा बहस मुबाहिसा खत्म हो गया होत जहां तक मेरी राय का सवाल है मैं समझता हूं कि इस स्टेट में दो एलेक्शन आफिस न बनायें जायं। एक चीफ एलेक्टोरल आफिसर है, उसका एक आफिस है और उसको एलेक्शन कमिश्नर ने मुक़र्रर किया ह और उसी के सुपुर्द हम यह काम करना चाहते हैं। दो दफ्तर बनाने की

[श्री मोहनलाल गौतम]

जरूरत नहीं है, बेकार का खर्च होगा। अगर यह बात सुन ली गई होती तो बेकार की दलीलों की कोई जरूरत न महसूस हुई होती और सारी बातें खत्म हो गई होती क्योंकि आज वह चाहते हैं कि एलेक्शन कमिश्नर मंजूर करे। तो जो मंजूर किया हुआ है उन्होंने अपने काम के लिय जिसे मंजूर किया है हम उसीको इस काम के लिये भी मुक़र्रर करना चाहते हैं। तो उसमें कहां दिक्क़त आती है मेरी समझ में नहीं आया। इन दो बातों के कहने के बाद कोई भी बहस की गुंजायश नहीं थी और काफ़ी समय जो सदन का खर्च हुआ उसमें मुझे ज्यादा राजनीति दिखाई देती है। एक साहब तो कहते हैं कि सेन बड़े अच्छे हैं। हमें पूरा विश्वास है और उनके ही नेता कहते हैं कि लोगों की चुनाव में आस्था घटती जा रही है। चुनाव में बड़ी बेईमानियां और गड़बड़ियां हुई हैं। इसलिए निष्पक्ष चुनाव करवाने की आवश्यकता है। नहीं तो पढ़े लिखे लोगों की चुनाव पर से आस्था हटती जा रही है। मैं नहीं जानता कि यह किस तरफ उनका इशारा था। क्योंकि स्वराज्य मिलने के बाद, अगर कोई एलेक्शन हुआ है तो वह जनरल एलेक्शंस ही थे। स्वराज्य मिलने के पहले अगर किसी की आस्था न हो तो न हो, हमारा भी बहुत सी बातों में विश्वास नहीं था। लेकिन स्वराज्य मिलने के बाद अगर चुनाव में किसी की आस्था हटती है तो वह वही जनरल एलेक्शंस हुए थे और जनरल एलेक्शंस उन्हीं के सुपरवीजन में हुए थे जिन की इतनी तारीफ उन्हीं लोगों ने की है, जिन लोगों की चुनाव में आस्था हटती जा रही है। सेन की तारीफ हुई। सेन की कार्यवाही की तारीफ हुई। यह भी उनको सर्टिफिकेट दिया गया अगर उनकी देखरेख में चुनाव न होता तो यहां एक भी लाल टोपी न दिखायी देती। तो एक तरफ तो यह सर्टिफिकेट दिया जाता है और दूसरी तरफ उनके नेता जी कहते है कि चुनाव में आस्था हट रही है। पढ़े लिखे लोग अविश्वास करने लगे हैं। क्या कोई दूसरा चुनाव है . . .

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--एलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं बल्कि मंत्रियों के खिलाफ शिकायत है।

श्री मोहनलाल गौतम--चुनाव एक ही हुआ है, स्वराज्य मिलने के बाद, उसी की बुराई भी की जा रही है और उसी का सर्टिफिकेट भी है। अगर बुराई है तो फिर उसके सुपुर्द क्यों करते हैं, जिस की देखरेख में पिछले चुनाव खराब हुए। और अगर तारीफ है तो मैंने कह दिया कि हमारा भी इरादा उन्हीं को करने का है। उसमें कोई दिक्क़त नहीं। यह दिक्क़त श्री राजनारायण जी को भी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि यह दिक्क़त हो सकती है इसलिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि पैनेल हाउस के सामने आ जाय और उसकी देखरेख में चुनाव हो। अब यह बहस तो दूसरी है कि क्या हो। लेकिन दिक्क़त उनको भी मालूम होती है और उन्होंने भी दबे लफ्जों में इस संशोधन का विरोध कर दिया कि यह भाई ठीक नहीं है। यह चलने वाली चीज नहीं है। केवल विरोध ही नहीं किया बल्कि एक सुझाव भी पेश कर दिया कि इसके बजाय ऐसा कर दो कि एक पैनेल आ जाय हाउस के सामने और हाउस इस पैनेल को तय कर दे। तो इस संशोधन की अव्यवहारिकता, मैं अनकांस्टीट्युशनल नहीं कहता क्योंकि हमें किसी से भी प्रार्थना करने का अधिकार हो सकता है, आर्डर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आर्डर और रिक्वेस्ट के मामले में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन इतना श्री नारायण-दत्त जी को भी महसूस हुआ कि यह संशोधन गलत है। तो उन्होंने कहा कि हां भाई दिक्क़तें तो हैं लेकिन एक आल्टरनेटिव है कि एक पैनेल हाउस के सामने आ जाय। उसकी देखरेख में चुनाव हो। इस तरह की बात यहां जो कुछ हुई उसमें मैं नहीं समझता कि कहां उसमें मेल है।

एक बात और कही गयी कि असेम्बली रूल्स को आपने कैसे ले लिया बिना इजाजत और वे रूल्स जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के मुताबिक जो रूल्स बनाये गये उन्हें आपने कैसे ले लिया। वह तो पब्लिक प्रापर्टी है। अगर आप अपनी पार्टी के लिए ले लें तो कोई रुकावट नहीं होगी। अगर कोई पोलिटिकल पार्टी नकल करके कह दे कि यह हमारे सब मेम्बर्स हैं

जो हमारे चुनाव होंगे उनमें ये वोट कर सकेंगे तो जहां तक मुझे ज्ञान है इसमें कांस्टीटयुशन की कोई रुकावट नहीं होने वाली है।

इसलिये हमने उनकी नकल किया है, हमने उसको मोनोपोलाइज तो नहीं किया कि दूसरा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमने कहा कि बनी बनाई एक लिस्ट है और वह भी नकल इस तरह से नहीं किया बल्कि उसको हम थोड़ा सा बदलेंगे, इस माने में कि एलेक्टोरल रूल्स असेम्बली के कांस्टीटयूएंसी वाइज हैं हम उसको वार्ड वाइज करके म्युनिसिपैलिटीज को दे देंगे और वह उनके लिये बन जायगा। आप उसको चाहें तो गांव वाइज बनाकर गांव सभा को बना सकते हैं। तो यह तो एक लिस्ट है जिसके लेने न लेने में कोई दलील होती है यह मेरी समझ में नहीं आया। किसी चीज को लेकर अपना लेना और नकल कर लेना और उसको अपने काम में ले लेना एक बात और किसी आफिसर को हुक्म देना कि इस काम को करो क्या यह एक ही है? लेकिन वह खुद कह रहे थे वक्ता महोदय कि क्योंकि मंत्री जी ने गलत दलील दी थी इसलिये मैं भी दे रहा हूं। उन्होंने खुद ही अपनी बात कह डाली लेकिन वह तरीका इस हाउस के लिये ठीक नहीं है। उन्होंने खुद ही कह डाला कि क्योंकि आप एक गलत चीज पेश कर रहे हैं तो दो तीन और गलती हम पेश कर रहे हैं, तो खुद अगर क़ानून बनाने वालों का यही रवैया है तो फिर क़ानून बन चुका।

मैं इसमें बहुत समय नहीं लेना चाहता, मेरा इसमें ख्याल है कि इसमें कोई इस संशोधन की जरूरत नहीं है। न हमको अधिकार है कि एलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर सकें, न करना चाहते हैं। जहां तक उनको अप्वाइंट किया है आफिसर, जुडिशियल एलेक्टोरल आफिसर उसके ही सुपुर्द मेरी जाती राय यह है कि चुनाव कर दिये जायं तो मेरा विश्वास है कि जनता का इसमें विश्वास होना चाहिये, उस जनता का जिसको कि एलेक्शन में विश्वास है। जितने पढ़ लिखे लोगों का हवाला दिया जाता है हो सकता है कि उन पढ़े लिखे लोगों ने इतना पढ़ लिख लिया हो कि उनका किसी एलेक्शन में विश्वास न रहा हो। तो पढ़ लिखे लोगों से यह उम्मीद न रखनी चाहिये। पढ़े लिखे आदमी ऐसे हो सकते हैं जिनको किसी भी निष्पक्ष आदमी में विश्वास न हो, कैसा भी इन्तजाम कीजिये, उनकी राय से इन्तजाम कीजिये, उनको ही एलेक्शन आफिसर बना दीजिये तब भी एलेक्शन में विश्वास न हो। इसलिये उन लोगों को कोट करके एलेक्शन को कंडक्ट कराना ठीक नहीं है। इसलिये मैं यह कहता हूं कि यह जो संशोधन है वह नामंजूर किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आन परसनल एक्सप्लेनेशन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने मेरे संबंध में कहा कि मैंने तब जोर से नारायण दत्त जी के संशोधन का विरोध किया था और मैं माननीय मंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे भाषण की कापी मेरे सामने मौजूद है उसको पढ़ करके मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक नारायणदत्त जी के संशोधन का संबंध है मैंने उसका बहुत ही मजबूती के साथ समर्थन किया था।

श्री अध्यक्ष—यह माननीय मंत्री के किसी एक्सप्रेशन के बारे में आप कहते तो बात थी, यह तो आपने एक आम बात कही। इसके जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझा आप किसी एक्सप्रेशन के बारे में कह रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा 8-A की उपधारा (b) की दूसरी पंक्ति में शब्द " by the " के बाद व शब्द " State Government " के पहले शब्द " Election Commission on request of the " जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं—

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा 8—A की उपधारा (b) के अन्त में सेमीकोलन के पहले शब्द "to supervise and regulate the conduct of elections under this Act" जोड़ दिये जायं।

श्रीमन्, नई धारा 8—A की नई धारा में डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस, लोकल बाडीज की परिभाषा दी गयी है—

"Director of Election (Local Bodies)' means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette*."

मैं यह समझता हूं कि डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस की जो परिभाषा है वह बिना इतने शब्द जोड़े अधूरी है। वैसे तो माननीय मन्त्री जी ने इसके फंक्शंस बतलाये और कहा कि आगे चलकर धारा १३-बी में यह दिया हुआ है :—

"The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act."

मैं समझता हूं कि यह फंक्शंस बतलाये गये हैं। यह परिभाषा दो जगह दोहरायी जा सकती है। अगर इस परिभाषा को यहां पर स्पष्ट कर दिया जायगा तो सुविधा होगी और मैं समझता हूं कि हर प्रकार से सहूलियत भी होगी। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि बहुत बड़ा कोई संशोधन भी नहीं है केवल शाब्दिक संशोधन है इसे वह स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने स्वयं कहा कि इस संशोधन के द्वारा परिभाषा को दोहराने की जरूरत है अर्थात् वह चीज जो पहले से वहां मौजूद है उसको दूसरी जगह और वह रखना चाहते हैं। यह जो धारायें हैं डेफीनिशंस की हैं जिसमें फंक्शंस और उनकी ड्यूटीज नहीं दी हुई हैं और १३-बी में जो दिया हुआ है वह उनका कार्य दिया हुआ है। क्या कार्य उसके सुपुर्द होगा।

"The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act"

यानी यह काम वह करेगा। अब इसको यहां जोड़ने को कहते हैं डेफीनिशंस में। डेफीनिशंस में अगर डाइरेक्टर की ड्यूटीज और फंक्शंस जोड़ेंगे तो हो सकता है कि उसकी ड्यूटीज और फंक्शंस और भी ऐक्ट में आयें। तो ऐसे बड़ी गड़बड़ी रहेगी। डेफीनिशंस तो डेफीनिशंस में रहनी चाहिए और फंक्शंस अलग हों। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं मालूम होती। उसमें आया है "टु सुपरवाइज ऐंड रेगुलेट"। "रेगुलेट" जो है वह सुपरविजन में आ जाता है और जो १३-बी में है वह बाक़ी और हिस्सा दिया ही है कि :

"The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act."

तो इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और मैं नहीं समझता इसको स्वीकार करना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं पहले से ही कह रहा था कि माननीय मन्त्री जी हर संशोधन में कोई न कोई गलती ढूंढ ही लेते हैं। जब मैंने पहले ही कहा था कि वह गलत बात कहते हैं तो मैंने यह नहीं कहा कि मैं भी गलत कहता हूं। उनको गलतफहमी हुई। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि गलत बात कहा करूं लेकिन माननीय मन्त्री जी हर बात गलत समझते हैं। उनके दृष्टिकोण से मैं गलत कहता हूं तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कुछ नहीं कह रहा था लेकिन माननीय मन्त्री जी ने इसमें मीन-मेख निकालना शुरू कर दिया कि यह गड़बड़ हो जायगी अगर परिभाषा स्पष्ट हो जायगी तो श्रीमन्, मैं फिर दुहरा दूं, धारा १३ वीं बाद में आने वाली है। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पहले आ गई तो पहले कहां है। डेफीनिशंस पहले आ रही हैं न कि धारा १३ वीं। तो खंड

३ हमारे सामने है डेफीनिशंस का। डाइरेक्टर के फंक्शंस बाद में आ रहे हैं। पहले की चीज दुहराई जा रही हो वह बात नहीं है। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि डेफीनिशंस में फंक्शंस नहीं आते हैं। यह मुझे पहली बार मालूम हुआ कि डेफीनिशंस में फंक्शंस नहीं आते। इसी अमेंडमेंट में खंड ३ में वार्ड का डेफीनिशन है--

"Ward means a ward provided by delimitation order under section 11 B."

क्या मतलब है इसका ? शिडयूल्ड कास्ट की परिभाषा देखिए --

"'Scheduled caste' means caste specified in Constitution Order, 1950"

तो अगर मैंने ऐसा ही लिख दिया है--

"To supervise and regulate the conduct of elections under this Act."

तो इसमें क्या गलती कर दी और अब जो परिभाषा स्वीकार कर चुके हैं इन एकार्डेंस विद दी रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल्स ऐक्ट, १९५० तो कोई आज नयी परिभाषा नहीं हो जाती कि मैं ही फंक्शन बतलाने लगा हूं और आज तक कोई फंक्शन नहीं बतलाये गये जब डिफाइन किया गया। यदि ऐसा होता तो मैं अपनी गलती मान लेता। लेकिन जब म इस त्रुटि को सही कर रहा हूं और एक बिल्कुल निर्दोष सुझाव दे रहा हूं गलती दूर करने के लिए तो माननीय मन्त्री जी उसमें भी एतराज कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि "सुपरविजन" में "रेग्युलेशन" आ जाता है। श्रीमन्, मैंने पीपुल्स रेप्रेजेंटेशन ऐक्ट देखा, उसमें "सुपरविजन" और "रेग्युलेशन" शब्दों का अलग-अलग इस्तेमाल हुआ है। अगर जेनरल क्लाजेज ऐक्ट में ऐसा है तो माननीय मंत्री जी हमको बतलायें कि जेनरल क्लाजेज ऐक्ट में ऐसा है, लेकिन जेनरल क्लाजेज ऐक्ट में ऐसा नहीं है, न इंडियन क्लाजेज ऐक्ट में ऐसा है और न प्राविंशल क्लाजेज ऐक्ट में ऐसा है। तो फिर कैसे माननीय मंत्री जी ऐसा कहते हैं कि "सुपरविजन" इंक्लूड्स "प्राविजन"। जितने क़ानून आज तक बने हैं उन सब में "सुपरविजन" और "रेग्युलेशन" अलग-अलग शब्द रखे गये हैं। कांस्टिटयूशन में जहां डेफिनीशन्स आयी हैं, अनुच्छेद ३६६ में यही दिया गया है।

" 'Proclamation of Emergency' means a Proclamation issued under clause (I) of article 352."

" 'Ruler, in relation to an Indian State' means the Prince, Chief or other person by whom any such covenant or agreement as is referred to in clause (I) of article 291. . . . ."

["आपात की घोषणा" से अभिप्रेत है वह उद्घोषणा जो कि अनुच्छेद ३५२ के खण्ड (१) के अधीन निकाली गई हो;

"शासक" से किसी देशी राज्य के संबंध में अभिप्रेत है कोई राजा, प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिसने कोई एसी प्रसंविदा या क़रार, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के खण्ड (१) में निर्दिष्ट है,....."]

इसमें जो परिभाषाएं हैं वह फंक्शन को बतलाती हैं। तो इसमें माननीय मंत्री जी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। परिभाषाएं हमेशा फंक्शन्स बतलाती आयी हैं। अगर "सुपरविजन" और "रेग्युलेशन" दोनों शब्द आ जायंगे तो धारा १३ डिलीट कर दी जायगी क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि ऐसा कर दिया जायगा तो बिल की ड्रैफ्टिंग भी ठीक हो जायगी और बिल में सुन्दरता आ जायगी। मुझे सिर्फ इतना कहना है।

श्री मोहनलाल गौतम--कोई खास बात नहीं कही गयी। सिर्फ बातें दोहराई गयी हैं। मैं समझता हूं कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नयी धारा A—8 की उपधारा (b) के अन्त में सेमीकोलन के पहले शब्द "to supervise and regulate the conduct of elections under this Act." जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित नयी धारा 8-A की उपधारा (d) के अन्त में शब्द "or has been entered in the Assembly Rolls" जोड़ दिये जायं।

यह संशोधन हर दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। यह उपधारा (d) एलेक्टर की परिभाषा बतलाती है। इसमें एलेक्टर की जो परिभाषा दी गयी है वह इस प्रकार है—

"elector in relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward;"

तो यहां पर यह कहा गया है कि वोटर वही होगा जिसका नाम फार दि टाइम बीइंग किसी वार्ड के एलेक्टोरल रोल में दर्ज किया जा रहा है। तो श्रीमन्, जैसा कि इस ऐक्ट में आगे दिया है डिटेल्स में कि वार्ड के एलेक्टोरल रोल्स कोई नये नहीं बनने जा रहे हैं बल्कि वही रोल्स मान लिये जायंगे जोकि असेम्बली के हैं। आगे जाकर जो धारा 12 (h) है उसमें लिखा हुआ है—

"The State Government may, by order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely:—

(*a*) the date on which the electoral rolls first prepared and subsequently prepared under this Act shall come into force and their period of operation;

(*b*) the correction of any existing entry in the electoral rolls on the application of the elector concerned;

(*c*) the correction of clerical or printing errors in the electoral rolls;

(*d*) the inclusion in the electoral rolls of the name of any person—

(*i*) whose name is included in the Assembly rolls for the are relatable to the ward but is not included in the electoral roll of the ward or whose name has been wrongly included in the electoral roll of some other ward;"

श्रीमन्, इससे मालूम होगा कि असेम्बली रोल्स और वार्ड के एलेक्टोरल रोल्स का कितना सम्बन्ध होगा।

धारा 8—A की (a) में डिफाइन किया गया है कि

"the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the Peoples Act, 1950."

तो जो हम धारा १२-एच में इस बात का प्रबन्ध कर रहे हैं कि जितने भी वोटर असेम्बली कांस्टीटुएन्सी के लिये वोट देने के हकदार थे आम चुनाव के मौके पर वे म्युनिसिपैलिटी के एलेक्शन के लिये भी हकदार माने जायेंगे और चूंकि ऐसे लोगों के नाम असेम्बली रोल्स में नहीं चढ़े होंगे उनके भी नाम एलेक्टोरल रोल्स में दर्ज कर लिये जायंगे। तो इसलिये परिभाषा में दर्ज होना आवश्यक है कि ऐसे जितने लोग कि जिनके नाम असेम्बली रोल में चढ़ने चाहिये वह भी वोटर माने जायंगे। जब तक यह नहीं होगा तब तक परिभाषा में जो जो कानूनी स्पष्टता आनी चाहिये वह नहीं आती है चूंकि प्रयोगात्मक रूप से हम उन्हें वार्ड रोल्स मान रहे हैं जो कि पीपिल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट के अनुसार है। इसमें आगे चलकर ऐसे एलेक्टोरल वार्ड को एलेक्टोरल रोल मानकर उन सभी लोगों

को जो कि बाद को असेम्बली को वोट देने के अधिकारी होते हैं उनको भी हम एलेक्टर मान रहे हैं और एलेक्टर की श्रेणी में वे सब लोग आ जाते हैं जोकि किसी भी समय चुनाव होने के पहले वोटर्स के नाम दर्ज होने की आखिरी तारीख तक वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं, वह भी शामिल हो जाते हैं। मान लीजिये कोई व्यक्ति जनवरी, १९५२ में जिसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वह आम चुनाव में असेम्बली या पार्लियामेन्ट को वोट दे सके लेकिन उसकी उम्र उस तारीख को जिस दिन एलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज होने की आखिरी तारीख तक पूरी हो जाय तो वह हकदार हो जाता है और वह भी एलेक्टर माना जायगा। इस कानूनी उलझन को दूर करन के लिये और उस वोटर के अधिकार सुरक्षित करने के लिये यह बात स्पष्ट हो जाना आवश्यक है कि असेम्बली रोल्स में नाम इन्दराज होना चाहिये और हर हकदार व्यक्ति का नाम वार्ड के एलेक्टर के रूप में दर्ज होना चाहिये, वह म्युनिसिपैलिटी के एलेक्शन के सम्बन्ध म एलेक्टर माना जायगा। इस उलझन को दूर करन के लिये मैं चाहता हूं कि कानूनी रूप से यह परिभाषा स्पष्ट हो जाय।

श्री अध्यक्ष--आपके संशोधन का मतलब है कि दो एलेक्टोरल रोल्स हों।

श्री नारायण दत्त तिवारी--नहीं, दो नहीं, इसका मतलब तो यह होता है-

"In relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward;" एलेक्टोरल रोल में भी दर्ज हों और जो असेम्बली में भी दर्ज हो गये हैं वह भी आ सकते है इसमें।

श्री अध्यक्ष--यदि आपका संशोधन स्वीकृत हुआ तो मैं आप को बता देना चाहता हूं कि उसका मतलब यह होगा कि वार्ड एलेक्टोरल रोल में कोई नाम दर्ज न हो और सिर्फ असेम्बली रोल में ही दर्ज हो तो भी वह वोटर जाकर वोट दे सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जी हां, वह आगे है।

श्री अध्यक्ष--आगे के खंडों में तो नाम एलेक्टोरल रोल में दर्ज करने का प्रोसेस बताया है लेकिन आपकी व्याख्या से एलेक्टोरल रोल दो हो जायंगे। अगर यह मंशा है तो कोई बात नहीं है, सदन को सब अधिकार है।

श्री नारायण दत तिवारी--दो रोल्स तो होंगे ही।

श्री अध्यक्ष--तो आप यह चाहते हैं कि एलेक्टर किसी एलेक्टोरल रोल से वोट दे सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जी हां।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब स्पीकर साहब, जो संशोधन मेरे दोस्त तिवारी जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि अगर वह मंजूर कर दिया जाय तो इससे बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा। वह यह है कि जो एलेक्टर की तारीफ हमने इस बिल के अन्दर दी है "In relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward.' तो इसके आगे लफ्ज यह बढ़ा देना चाहते हैं "or has been entered in the Assembly Rolls." ऐसी हालत में रोल्स से मालूम नहीं उनकी क्या मुराद है कि एक कान्स्टीटुएन्सी का असेम्बली रोल या पूरे डिस्ट्रिक्ट का असेम्बली रोल यह चीज भी साफ नहीं है।

जो वार्ड का एलेक्टोरल रोल होगा उसी का करेस्पांडिंग जो असेम्बली का एलेक्टोरल रोल होगा जिससे वह लिया जायगा अगर उस हद तक वह महदूद रहे तब तो मैं समझता हूं वह चीज ठीक है। लेकिन यह भी मुमकिन हो सकता है कि जो असेम्बली का रोल

[श्री सुल्तान आलम खां]

हो जो उनकी कांस्टीटुएंसी का रोल है उस रोल में वह वार्ड या म्युनिसिपैलिटी के बाहर बहुत से वार्ड शामिल होंगे और यह भी मुमकिन हो सकता है कि एक एलेक्टर का नाम यहां वार्ड में भी दर्ज हो और बाहर भी दर्ज हो। इस हैसियत से भी बहुत से वोटर बनने के मुस्तहक हो जायंगे जिनका नाम वहीं है उसमें जो लिखा है लेकिन वह बाहर के रहने वाले हैं। इसलिये मैं समझता हूं इन अल्फाज के आने के बाद एलेक्टर बनने में बड़ी दुश्वारी पैदा होगी और जो वार्ड वोटर है उसके वोटरों की तादाद शायद इतनी ज्यादा हो जायगी कि उसका कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं तिवारी जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो अल्फाज इसमें लिखे हुये है, ये काफी हैं। अगर इसको आप बढ़वाने की कोशिश करेंगे तो आपका एलेक्टोरल रोल पचास गुना ज्यादा बढ़ जायगा और उसमें हर वह शख्स उम्मीदवार बन सकेगा जो म्युनिसिपैलिटी के अन्दर या उस वार्ड के बाहर रूरल एरिया में रहता हो मगर उसका नाम असेम्बली एलेक्टोरल रोल में दर्ज हो। मैं यकीन करता हूं कि तिवारी जी का हर्गिज यह मंशा नहीं है। लेकिन ये अल्फाज जो उन्होंने इस संशोधन में इस्तेमाल किये हैं ये ज्यादा गड़बड़ी पैदा करेंगे। इसलिये मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें तो ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)--मैं मेम्बर साहब की तवज्जह दफा १२-बी(२) की तरफ दिलाऊंगा। उसमें लिखा है --

"The Electoral Registration Office shall, for purposes of preparation of the electoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral rolls for the ward prepared in accordance with this Act."

जब कि यह दफा १२-बी से साफ बाजे है तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो तिवारी जी चाहते हैं वह कहां तक ठीक है। हमारे सुल्तान आलम साहब ने बहुत वाजे तौर पर भवन को बतला दिया है कि उससे क्या कन्फ्यूजन पैदा हो जायगा। इसलिये मुझे उम्मीद है कि दफा १२-बी को देखकर और सुल्तान आलम साहब की तकरीर को सुनने के बाद तिवारी जी अपने अमेंडमेंट को वापस ले लेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता।

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय आपने इस तरफ इशारा करके कि यदि यह अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय तो इससे क्या क्या कन्फ्यूजन होगा सदन के सामने एक पक्ष बहुत साफ तौर से रख दिया है। यहां पर जैसा अभी मुझ से पहले दो वक्ताओं ने कहा कि असेम्बली एलेक्टोरल रोल के क्या माने होंगे उसी वार्ड का तो कोई असेम्बली रोल होता नहीं वह तो होता है कांस्टीटुएंसी का और जिले का सूबे भर का और अगर सूबे भर के असेम्बली के वोटर्स हर एक वार्ड में वोटर बन सकें तो क्या इसका मतलब होगा, यह सोचने की बात है। अभी जैसा कि नवाब साहब ने १२-बी की (२) को पढ़कर सुनाया अब मैं फिर उसे पढ़कर वक्त नहीं खराब करना चाहता। उसमें यह दिया हुआ है कि किस तरह से एलेक्टोरल रोल बनेगा। फिर १२-सी में है--

"Subject to the provisions of section 12-D, every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral roll relatable to the area comprised in the ward or whose name is entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the ward."

उसको भी अधिकार है और उसके बाद १२-एच में दिया हुआ है--

"The State Government may, by order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely—"

उसके बाद में (a) (b) और (c) नहीं पढ़ूंगा। (d) में यह दिया हुआ है—

"(*d*) the inclusion in the electoral rolls of the name of any person.

(*i*) whose name is included in the Assembly rolls in the area relatable to the ward but is not included in the electoral roll of the ward or whose name has been wrongly included in the electoral roll of some other ward ;"

इस वार्ड में न हो या किसी और वार्ड में हो—

"Whose name is so included in the Assembly Rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward ;"

इस तरह से तो सब तरह के यानी असेम्बली इलेक्टोरल रोल्स सब इसी आधार पर बनेंगे। अगर काम लिया जायगा तो सब के लिये इसमें इंतजाम है और यह बहुत लम्बी-चौड़ी है। इस लिय यह मुकम्मिल चीज इस अमेंडिंग बिल में है। इसलिये इन अल्फाज के साथ जो चीज वह रखते हैं उससे बड़ा कंफ्यूजन होगा और उसके माने कई तरह से लगाये जा सकते हैं और अगर लगाये गये कि हर वार्ड का रोल और असेम्बली रोल्स किसी एक वार्ड के तो नहीं होते वह तो डिस्ट्रिक्ट के या किसी कांस्टीटुएन्सी के होते हैं। अगर यह पढ़ लिया गया कि हर एक वोटर वोट कर सके तो यह चीज हो जायगी कि हर आदमी वोटर हो तो अगर हर एक आदमी वोटर हो जाय अगर यह माने निकल आये तो बड़ी दिक्कत हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि श्री नारायण दत्त जी तिवारी अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान् जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे माननीय मंत्री जी ऐसे माने लगा लेते हैं जो किसी भी तरह से उसके माने नहीं हो सकते हैं। मेरे संशोधन का अर्थ यह कभी भी नहीं हो सकता है। उनका कहना यह है कि असेम्बली रोल्स का मतलब यह है कि प्रांत की असेम्बली का कोई वोटर कहीं का हो जायगा। श्रीमन्, उन्होंने परिभाषा क्या रखी है, मैं कोई नई परिभाषा नहीं रख रहा हूं। आपकी जो परिभाषा है वही है कि "The elector in relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral rolls of that ward."

मंत्री जी इसको भूले जा रहे हैं

"The elector in relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward or has been entered in the Assembly rolls."

यह बात आपने लिखी है कि धारा १२ (२) में "Whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward."

श्री अध्यक्ष—इसमें यह शब्द नहीं हैं। इसमें वार्ड कहां है? यह तो आप ऐड कर रहे हैं। अंत में जोड़ने के लिये कह रहे हैं। इसमें यह शब्द नहीं हैं।

"Whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward."

श्री नारायण दत्त तिवारी—

"The elector in relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward ; or has been entered in the Assembly rolls."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इसमें "in relation to a ward" शुरू में ही आ गया है इससे स्पष्ट हो गया है। ऐसा माननीय मंत्री जी ने भी धारा १२ (२) में पढ़ा है कि

"Whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward;"

तो उससे मतलब निकलता है। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं जैसी कि परिभाषा माननीय मंत्री ने दी है उसके अनुसार वह व्यक्ति वोटर माना जायगा जिसका नाम एलेक्टोरल रोल में चढ़ाया जा रहा हो और जो आगे चढ़ाया जाने वाला हो वह नहीं होगा। असेम्बली रोल्स की परिभाषा माननीय मंत्री जी मुझसे पूछने लगे, मैं कहना चाहता हूं कि--

"Assembly rolls mean the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the Peoples Act, 1950."

तो परिभाषा असेम्बली एलेक्टरोल की वही है जो आप कह रहे हैं। असेम्बली एलेक्टोरल में जिसका नाम इस वक्त नहीं है उसका नाम आगे चलकर आप कैसे इन्दराज करेंगे। माननीय मंत्री ने कहा कि हमने सारे प्राविजन्स रख दिये हैं लेकिन प्राविजन्स रखने के बाद एलेक्टर की परिभाषा नहीं रक्खी तो वह कैसे वोट दे सकता है। मैं मानता हूं कि आपने प्राविजन्स रक्खे हैं मैंने खुद ही उनको पहले पढ़ा था कि आपने यह प्राविजन्स रक्खे हैं जिनको श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से पढ़े देता हूं। धारा १२ की उपधारा (३) इस प्रकार है:--

"Where any addition, omission alteration or other amendment is made under the Representation of the Peoples Act, 1950, or the Rules framed thereunder, in the Assembly rolls relatable to the area of the ward, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward."

तो अमेंडमेंट इस प्रकार किया जायगा। जिसका नाम इस तरह दर्ज होगा वह एलेक्टर माना जायगा, जरूर माना जायगा। इसी प्रकार धारा १२ सी देखिये--

"Subject to the provisions of section 12-D every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral roll relatable to the area comprised in the ward or whose name is entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the ward."

जो इस प्रकार रजिस्टर किया जायगा वह एलेक्टर होगा या नहीं। तो इस परिभाषा में और इस बात का स्पष्टीकरण कर देने के लिये कि जिसका नाम असेम्बली रोल में दर्ज है, लेकिन पहले वाली असेम्बली रोल में दर्ज नहीं है अब दर्ज हो सकता है यानी किसी की उम्र इलेक्शन के जमाने में २० साल ७ महीने थी लेकिन अब नवम्बर ५२ में उसकी उम्र २१ साल से ज्यादा हो सकती है तो उसका अधिकार हो जाता है कि उसका नाम असेम्बली वार्ड रोल्स में दर्ज हो हालांकि पुरानी में दर्ज नहीं था लेकिन अब अधिकार है और मान लीजिये वह दर्ज कराता है कि मेरा नाम एलेक्ट रोल में होना चाहिये तो आप जरूर इन्दराज करेंगे लेकिन जैसी परिभाषा इस एलेक्टोरल रोल की है उसके होते हुए वह एलेक्टर नहीं हो सकता उसका नाम इन्दराज होते हुए भी वह इलेक्टर नहीं हो सकता अगर एलेक्टर परिभाषा वही रहेगी जो है। तो इस कानूनी अड़चन को दूर करने के लिये एलेक्टर की परिभाषा ठीक होना आवश्यक है। जो अड़चनें आ सकती हैं उनको मैंने माननीय मंत्री के सामने रख दिया। उसको वह मानें या न मानें वह इसके लिये अपने

लीगल एक्सपर्ट्स से राय ले सकते हैं कि इस तरह की परिभाषा से कहां तक अड़चन आ सकती है और तब तक के लिये यह संशोधन बहस के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री मोहनलाल गौतम—यह संशोधन जिस प्रकार से पढ़ा जायगा और ये शब्द 8—A की उपधारा (d) के अन्त में जोड़े जायंगे उनका कोई सम्बन्ध "इन रिलेशन टु ए वार्ड" होगा यह मैं समझता हूं ठीक नहीं है। लेकिन जो उनकी दिक्कत नजर आ रही है जिसे वह हल करना चाहते हैं वह यह है कि एसेम्बली के एलेक्टोरल में कोई आदमी दर्ज हो वार्ड में न हो तो उसका नाम वार्ड में आ जाय इस दिक्कत को हल करने के लिय मैंने अभी 12-H (d) को पढ़ा था उसे फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। इस अमेंडमेंट में उसका इन्तजाम है कि जो असेम्बली के एलेक्टोरल में होंगे वे वार्ड में भी आ जायंगे जो नहीं आ पायेंगे उनको लाया जा सकता है । उससे आगे अगर किसी का नाम असेम्बली वोटर होने की काबलियत रखता है और उसका नाम असेम्बली रोल में नहीं है तब भी वह वोटर बन सकता है इसका भी प्रबन्ध इस अमेंडिंग बिल में रखा गया है ।

इसलिये इन तमाम चीजों पर विचार करके और लीगल ओपीनियन लेकर यह बात अच्छी तरह से गौर कर ली गई है। इस संशोधन को यहां पर मानन से बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा और जो दलील पहले दी जा चुकी है मैं उसमें कुछ और इजाफा करना नहीं चाहता हूं। इस कारण इन शब्दों के साथ मैं इसका फिर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नयी धारा 8—A की उपधारा (d) के अन्त में शब्द "or has been entered in the Assembly Rolls" जोड़ दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित नयी धारा 8—A की उपधारा (g) के अन्त में शब्द "section 11—B" के बाद शब्द "or a plural member ward" बढ़ा दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, यह कोई बहुत विवाद का संशोधन नहीं है। प्ल्यूरल मेम्बर वार्ड की गुंजायश आगे की गई है इस विधेयक में । सिर्फ इस डेफिनिशन की वजह से प्ल्यूरल मेम्बर वार्ड की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री मोहन लाल गौतम—यहां पर यह लफ्ज जोड़ना बेकार है क्योंकि यहां पर इनकी जरूरत नहीं है । यह बहुत साफ है कि उस वार्ड में सिंगल मेम्बर भी हो सकता है और प्ल्यूरल मेम्बर भी हो सकता है और कई सीट भी हो सकती हैं जिसको कि १२ बी (१) में बतलाया गया है कि :

"12—B. (1) There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act."

तो मेम्बर आफ दि वार्ड जो होगा उसमें दो भी हो सकते हैं और उसमें एक सीट भी हो सकती है और वह इसमें शामिल की गई है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यहां पर इसकी परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री गेंदा सिंह—मैं स्वशासन मंत्री जी की दलील अपने लिये ही ले लेता हूं जो कि वह समझते हैं कि दूसरी जगह इस बात की गुंजायश की गई है। मैं यह नहीं समझता कि यहां पर प्ल्यूरल मेम्बर वार्ड रखने से कोई कठिनाई पड़ती है । यदि कोई यहां पर कठिनाई नहीं है और कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है तो मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है । इसलिये मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर फिर विचार करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नयी धारा 8–A की उपधारा (g) के अन्त में शब्द "section 11–B" के बाद शब्द " or a plural member ward" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा 8--A अन्त में निम्नलिखित नयी उपधारा (h) बढ़ा दी जाय—

"(h) Electoral Registration Officer' means an officer of the State Government or of any local body as the State Government may appoint, designate or nominate in this behalf."

श्रीमन् यह संशोधन इसलिये आवश्यक है कि चूंकि आगे चलकर इस सारे विधेयक में एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर की व्याख्या की गई है ठीक उसी तरह से जिस तरह से डाइरेक्टर आफ एलेक्शन की व्याख्या की गई है । जिस समय डाइरेक्टर आफ एलेक्शन की परिभाषा पर बहस चल रही थी तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि परिभाषा और फंक्शन्स अलग अलग होते हैं । इसलिये परिभाषा में फंक्शन्स नहीं मिलाये जा सकते और फंक्शन्स में परिभाषा नहीं मिलाई जा सकती, अगर ऐसा थोड़ी देर के लिये मान लें तो आवश्यक है कि परिभाषा को फंक्शन से अलग कर दिया जाय । फिलहाल आप खंड ९ की धारा १२ बी (२) को देखें जो इस प्रकार है कि—

"The electoral registration officer shall for purposes of preparation of the electoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed."

लेकिन इसमें यह कुछ नहीं आया है कि कौन नियुक्त करेगा और क्या होगा, यह इस में कुछ स्पष्ट नहीं है ।

एक सदस्य—आप १२–एफ पढ़िए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आप ही पढ़िए १२–ए को । उसमें क्या है ?

श्री अध्यक्ष—आप पढ़ें इस तरह से दूसरों से बहस न करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—१२–ए तो इस प्रकार है ।

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—१२–ए नहीं, १२–एफ पढ़िए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—१२–ए पहले आयेगा या १२–एफ ? १२ बी (२) के पहले आप कहीं दिखला दीजिए कि एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर के क्या फंक्शन्स हैं कहीं पर अलग नहीं दिया गया है किसी धारा में भी नहीं है । कौन एप्वाइन्ट करेगा क्या होगा कुछ नहीं है । तो जैसा कि मैंने १२–बी (२) को पढ़ा उससे कैसे पता चलेगा कि क्या तरीका होगा । आगे चलकर आखिर में १२–एफ में लिखा हुआ है कि

"The electoral roll for each ward shall be prepared by an electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Govenment or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf."

श्रीमान आप देखेंगे कि यह कितना बुरा ड्रैफ्टिंग है । अच्छा होता कि यह डेफीनीशन में आ जाता और फंक्शन्स और डेफीनीशन अलग अलग कर दिये जाते । तो जिन आर्गूमेंट्स को मन्त्री जी ने मेरे संशोधन के खिलाफ दिया था मैं उन्हीं को इस जगह पर पेश करना चाहता हूं और चाहता हूं कि यह दोनों चीजें अलग अलग हो जायं और मैं भी उन्हीं का अनुकरण

करते हुए चाहता हूं कि यह दोनों अलग हो जायं और इसीलिये मैंने एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर की परिभाषा को अपने संशोधन में इस प्रकार अलग किया है कि--

'Electoral Registration Officer' means an officer of the State Government or of any local body as the State Government may appoint, designate or nominate in this behalf."

इस तरह से साफ हो जायगा कि कौन अप्वाइन्ट, डिजिगनेट या नामिनेट करेगा। मुझे आशा है कि जो दलीलें उन्होंने दी थीं उनका वह खुद ही विरोध इस मौके पर न करेंगे और रेस्जुडिकेटा के प्रिन्सिपल के अनुसार वह अपने खिलाफ ही दलील न देंगे।

श्री मोहन लाल गौतम--यह संशोधन एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर की परिभाषा के विषय में है और जैसा कि कुछ सदन के माननीय सदस्य जोर देकर चिल्ला रहे थे कि १२-एफ में इस तरह से है कि--

"The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf."

जो शब्द इसमें है वह 'लोकल बाडी' रखा है लेकिन लोकल अथारिटी जिसके मानी लोकल बाडी के हैं और लोकल बाडी जो उन्होंने रखा है इसमें कोई अन्तर नहीं है। यहां 'अप्वाइन्टमेंट' एक शब्द ऐसा रखा गया है इसलिये इस संशोधन का जो भी अर्थ हो वह १२-एफ में अदा कर दिया गया है और इस जगह उसके रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं मालूम होती। जो काम एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर करेगा और वह जिस तरह नियुक्त किया जायगा वह सब यहां दिया हुआ है। मैं नहीं समझता कि इस अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता है। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, कल इस विधेयक के वादविवाद के अन्तिम भाषण में माननीय मन्त्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि यदि विरोधी दल के एक सदस्य की तरफ से कोई उचित संशोधन आवेगा, तो उसे मानने में वह नहीं हिचकेंगे साथ ही साथ यह भी बताया था कि कौंसिल में हमारे विरोधी दल का एक संशोधन उन्होंने मान भी लिया था।

श्री मोहन लल गौतम--यह मैंने नहीं कहा। विरोधी दल के लिये कहा था, आपके लिये नहीं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--श्री नारायण दत्त जी का संशोधन बहुत ही होशियारी से ड्राफ्ट किया हुआ है हमारा सुझाव यह है कि चूंकि १२-बी में पहले एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर का जिक्र है इसलिये परिभाषा में उसका आ जाना जरूरी है। शब्दों का केवल थोड़ा बदलाव है। माननीय मन्त्री जी का तो है 'लोकल अथारिटी' और नारायण दत्त जी का 'अथारिटी' की जगह 'बाडी' है। अगर १२-एफ यों ही छोड़ दी जाय कि

"The electoral roll for each ward shall be prepared by the Electoral Registration Officer."

तो माननीय मन्त्री जी का और नारायण दत्त जी का कोई फर्क नहीं रह जाता। सिर्फ एक मौके की बात है कि नारायण दत्त जी के संशोधन से वह उचित मालूम होता है, इसलिये कि १२-बी में पहले ही एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर का जिक्र आ गया है। सिर्फ ड्राफ्टिंग की गलती को हम लोग सुधारना चाहते हैं। यदि वह इसे भी नहीं मानते तो हमें घोर निराशा होगी। सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को शक होगा कि माननीय मन्त्री जी बेजा हठ कर रहे हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इस भावना को दूर करने के लिये माननीय मन्त्री जी नारायण दत्त जी के संशोधन को परिभाषा में मान लेंगे और १२–एफ में केवल इतना छोड़ देंगे––

"The electoral rolls for each ward shall be prepared by the Electoral Registration Officer."

यह बिल्कुल न्यायसंगत होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमान्, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे माननीय स्वशासन मन्त्री जी आज उस मूड में हैं जिसमें कि हमारे माननीय माल मन्त्री जी, जो पहले थे, कुछ दिन पहले हुआ करते थे। यह इसलिय कि जब हम यह देखते हैं कि इस प्रकार का बिल्कुल निर्दोष संशोधन, जिसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है बल्कि उसकी ताकत को बढ़ाया जा रहा है, हमारे मन्त्री जी मानने को तैयार नहीं हैं। आपने कहा कि 'अथारिटी' और 'बाडी' में फर्क हो सकता है। पहले 'लोकल अथारिटी' था अब उसे मैं 'बाडी' चाहता हूं। इन दोनों में क्या अन्तर है, यह हमें माननीय मन्त्री जी बतलावें। मैं समझता हूं कि वह लोकल बाडीज इन्क्लूड्स लोकल अथारिटी।

श्री अध्यक्ष––उन्होंने यह कहा था कि दोनों एक ही अर्थ के हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी––तो फिर उन्हें मेरे संशोधन को मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जसा मैंने पहले कहा था, जो दलीलें माननीय मन्त्री जी ने पहले दी थीं जब डायरेक्टर आफ एलेक्शन पर बहस थी तो वही दलील अब माननीय मन्त्री हमारे इस संशोधन पर लागू कर लें। मैं कहूंगा कि फंक्शन्स अलग होते हैं और परिभाषायें अलग होती हैं। जो कुछ माननीय मन्त्री अब कह रहे हैं, इस माननीय सदन से, कि वह मेरे इस संशोधन को अस्वीकार कर दें, यदि वही बात वह पहले कह देते तो डायरेक्टर आफ एलेक्शन की परिभाषा बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि यहां एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर की परिभाषा कर दी जाती है तो क्या गजब हो जायगा? कौन सी बड़ी आफत आ जाती है, खास तौर पर जबकि मैंने यह बताया कि १२ बी के पहले एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर का कहीं नाम नहीं है। तो बैड ड्राफ्टिंग कहां हुआ है? अगर एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर की परिभाषा करके बहुत ज्यादा गलती की गई तो डायरेक्टर आफएलेक्शन की परिभाषा क्यों की गई? उसमें फिर गलती क्यों नहीं हुई? यह आर्गूमेन्ट कौन सा है? इसको माननीय मन्त्री जी जरा बतलावें। अगर परिभाषा को आप अलाहिदा रखते हैं तो वह परिभाषा 8--A में आ गयी है तथा 13—B में उसके फंक्शन्स आ गये हैं। इस बात में कोई गलती नहीं है तो वही चीज यहाँ भी लागू होगी। अतः मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस पर एतराज न करें बल्कि उचित संशोधन को मानने का कष्ट करें।

श्री मोहन लाल गौतम––मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने समझा कि मैं जिद कर रहा हूं और यह कि मैं उसी मूड में हूं जिसमें पहिले माननीय माल मन्त्री थे। मैं कई बातें बराबर ऐसी कहता रहा जो समझ में आने की थीं लेकिन समझ में नहीं आई और विरोध होता रहा। अभी तक मुझे ख्याल था कि समझ का कुछ फेर होगा लेकिन इस वक्त मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आज उनकी समझ में कोई चीज नहीं आ सकती। क्योंकि जब मैंने यह देखा कि स्पीकर साहब ने जो सजेश्चन दिया वह भी माननीय सदस्य के समझ में नहीं आया। माननीय स्पीकर साहब ने कहा कि क्या आप दो एलेक्टोरल रोल चाहते हैं तो वह चीज भी उनकी समझ में नहीं आई। अपोजीशन का एक और काम होता है और वह यह कि किसी चीज को लंबा करना, बाधा डालना। लेकिन अपोजीशन का जो मुख्य काम है वह यह है कि कांस्ट्रक्टिव सजेश्चन्स दें और मैंने कहा भी यही था कि अगर मुनासिब सजेश्चन्स होंगे तो मैं उसको मन्जूर कर सकता हूं लेकिन जब मैं यह देखता हूं कि यह तो सब लम्बे करने के इरादे से चल रहा है, चाहे कोई बात गलत हो या सही, समझ में आये या न आये, बोलना ही चाहिए तो इसका इलाज ही क्या हो सकता है। मैंने पहिले ही कह दिया कि यह चीज यहां पर दी हुई है। १२-एफ में जो परिभाषा

दी गयी है उसमें यह दिया हुआ है। अगर माननीय सदस्य रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट को देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि उसमें पहिले परिभाषायें दी गयी हैं। वहां डिफ-नीशन का आर्टिकल २ह लेकिन आर्टिकिल २२ में एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर की परिभाषा दी हुई है। अगर आप यह कह दें कि इसकी नकल की गई है तो भी मुझे उसके मानने में कोई एतराज नहीं होगा। इसलिये जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं उनकी परिभाषा ही पहिले दी जाती है। आप कांस्टीट्यूशन की दफा ३२४ को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि पहिले उसके काम दिये हुए हैं फिर उनके एप्वाइन्टमेंट के बारे में दिया हुआ है यही कानून बनाने का तरीका दो चार ऐक्ट को देखने से यह बात बिल्कुल समझ में आ जायगी कि इसकी यहां जरूरत नहीं है। इसमें हर चीज शामिल है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने कहा कि 'लोकल अथारिटी' 'लोकल बाडी' से अधिक उपयुक्त है तथा 'एप्वाइन्ट' की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तमाम चीजें बिल में आ ही गयी ह। मैं इन शब्दों के साथ इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा 8—A के अन्त में निम्नलिखित नयी उपधारा (h) बढ़ा दी जाय--

"(h) Electoral Registration Officer means an officer of the State Government or of any local body as the State Government may appoint, designate or nominate in this behalf."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, कल जो मेरा संशोधन अस्वीकृत हो चुका है उसमें 'लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड' है। उसको मैंने आज परिवर्तित कर दिया है और आज मैं इसे इस परिवर्तित रूप में पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--विधेयक में कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन का तो शब्द आया नहीं है, इस तरह से यह स्कोप के बाहर है। इसलिय यह आर्डर में नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

यू० पी० ऐक्ट, २,१९१६ की धारा ९ का संशोधन

9. Except as otherwise provided by section 10, a board shall consist of—

(a) a President, and

(b) the elected members who shall not be less than 15 and not more than 50 as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, specify.

Normal Composition of the Board.

श्री बाबू लाल मोतल (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 9 की उपधारा (b) की पंक्ति १ में शब्द 'shall" और शब्द "less" के बीच के शब्द "not be" के स्थान पर शब्द "be not" रख दिये जायं।

मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन बहुत सीधा है और केवल इसलिये है कि जो शब्द लिखा हुआ है उससे गलतफहमी पैदा होती है और जो जरूरी अर्थ है वह सही नहीं मालूम होता है। मैंने जो यह संशोधन किया है उससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि कम से कम संख्या कितनी रहेगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी रहेगी। यही इसमें है। इससे अधिक व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, श्री बाबू लाल मित्तल जी ने जो संशोधन किये हैं, वे इस तजुर्बे के शायद वकील हैं, मेरी राय में तो जिस तरह से ""shall not be" लिखा हुआ है, यही भाषा इस्तेमाल होती है। इसमें कुछ फर्क नहीं है।

'who shall be not less than 15 and not more than 50 या who shall not be less than 15 and not more than 50.'

दोनों चीजें एक ही हैं। तो जो इस अमेंडिंग बिल की भाषा है वह मुझे ज्यादा उपयुक्त मालूम होती है। लेकिन अगर इसमें कोई खास ऐसी चीज हो तो जैसा आप कहें मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन पर्सनली मुझे जो इस बिल की भाषा है वह ज्यादा सही मालूम होती है।

श्री बाबू लाल मीतल--अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस पर विचार कर लें। इसमें लिखा हुआ है

"the elected members who shall not be less than 15 and not more than 50 as the State Government may, by notification in the official *Gazette* specify.

तो इसमें दो बार "not" आ जाता है। इस ख्याल से मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इसे पढ़ लें और अगर मेरी बात सही हो तो उसे स्वीकार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम--ठीक है, दो "not" का आना गैर जरूरी है। मैं इसको मानता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो आप इसको ठीक करके चेन्ज कर दें। इस तरह से चेन्ज हो जाने पर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा 9 की उपधारा (b) की पंक्ति १ में शब्द "shall" और शब्द "less" के बीच के शब्द "not be" के स्थान पर शब्द "be not" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेन्दा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:

खंड ४ में प्रस्तावित धारा 9 की उपधारा (b) की पंक्ति २ में अंक "15" व "50" के स्थान पर क्रमशः अंक "20" व "80" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी मानता हूं क्योंकि अब माननीय स्वशासन मन्त्री जी ने दूसरा रवैया अख्तियार किया है और मुमकिन है कि मैं भी अपने को उसी तरह से खुशकिस्मत लोगों में गिनने लग जाऊं जैसे माननीय मित्तल साहब जिनका संशोधन माननीय स्वशासन मंत्री जी ने स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि या तो जो कमेटी बनी थी माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी सदारत में उसकी रिपोर्ट को गौर से न पढ़ने की वजह से इस तरह के अंक रख दिये गये हैं या कुछ गलतफहमी हो गयी होगी।

श्री अध्यक्ष--अध्यक्ष की सदारत में कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी थी।

श्री गेन्दा सिंह--मैं भूल गया। यह सन् १९३९ की बात है जब आप स्वशासन मन्त्री थे और उस वक्त की चर्चा मैंने की है। उस जमाने में जो कमेटी बनी थी उसमें इस बात पर जोर दिया गया है और मैं उसको आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहूंगा जिससे माननीय सदस्यों और माननीय स्वशासन मन्त्री जी को विचार करने में सुविधा हो। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है--

"With an increase in electorate estimated to be several times its present size we have thought it necessary to substantially enlarge the

present proposed strength of the boards. In the case of Municipalities where variations in local conditions are bound to be very much larger, we have suggested a membership ranging from 20 to 125. The increase in membership will make unhealthy party groupings inside a board difficult if not actually impossible."

इसके अलावा भी बहुत सी दलीलें इसमें दी गई हैं और कहा गया है कि इस तरह की चीज को करके हम एक अच्छा लक्षण पैदा कर सकेंगे। स्वायत्त शासन की संस्थाओं में और बहुत से लोगों को जाने का मौका मिल सकेगा और लोगों को अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकने का मौका मिल सकेगा। जो शहरों की आबादी १९३९ में थी उस समय यह बात सोची गयी थी और सन् १९३९ से १९५१ तक मर्दुमशुमारी में काफी अन्तर पड़ा है और मैं देखता हूं कि जो सेन्सस रिपोर्ट है उससे हम अन्दाजा कर सकते हैं कि इसमें कितना फर्क पड़ गया है। मैं आपकी आज्ञा से कुछ शहरों की आबादी माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। कानपुर जो कि १९०१ में २ लाख २ हजार ७९७ की आबादी का शहर था सन् १९५१ में ७ लाख ५ हजार ३८३ आदमियों की आबादी का शहर बन गया है। लखनऊ की आबादी सन्१९०१ में २ लाख ५६ हजार २ सौ ३९ थी और १९५१ में ४ लाख ४४ हजार ७ सौ ११ होगयी। उदाहरण के लिये इन दो शहरों को ही लेता हूं। परन्तु बाकी सभी शहरों की आबादी जोरों के साथ बढ़ी है। एक भी म्यूनिसिपैलिटी ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी आबादी गैर मामूली तरीके पर न बढ़ गयी हो। तो यह तो सन् १९३९ की रिपोर्ट है जबकि उस जमाने में इस रिपोर्ट में यह बात कही गयी थी कि २० से लेकर १२५ मेम्बरों की म्यूनिसिपैलिटी बनायी जाय। जब सन् १९५१ में इतनी आबादी बढ़ जाती है तो बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम कर दीजाय उचित नहीं है। जो दलीलें उस वक्त पेश की गयी थीं उनमें काफी वजन था और इसका कोई जवाब नहीं है कि हम १५ से ५० तक की म्यूनिसिपैलिटी क्यों बनाएं। मुझे इस रिपोर्ट से आज पीछे जाने की बात समझ में नहीं आती। एक शिष्टाचार के नाते मुझे यह कहने में संकोच होता है कि आज जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनको जितना ज्ञान स्वायत्त शासन संस्थाओं का हमारे प्रान्त में है बहुत थोड़े लोगों को उतना ज्ञान है। मैंने देखा है कि अपने विरोधियों द्वारा अपनी उक्ति से बात मनवा लेने की जितनी क्षमता उनमें है उतनी क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। सौभाग्य से उनके साथ रहने का मौका मुझे भी मिला। इसलिये मुझे जाती तौर पर इसकी जानकारी है। तो मैं नहीं समझता कि इस म्यूनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट उनके रहते हुए उनकी सदारत में तैयार की गयी थी उससे हम पीछे क्यों जायें। फिर दूसरी बात और। उसमें अनुपात पर रखा गया है कि पांच सौ पर एक मेम्बर होगा या एक हजार पर एक मेम्बर होगा या पन्द्रह सौ पर एक मेम्बर होगा। मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कोई अनुपात मुकर्रर किया है कि इतने आदमियों पर इतने मेम्बर होंगे। मैं समझता हूं कि यदि वह अनुपात जो कमेटी ने सुझाया उसको न भी मानें तो ऐसी हालत में पिछले कानून में जितने मेम्बरों की चुनने की गुन्जाइश थी मैंने तो वही मान लिया है। पिछले कानून में कम से कम २० मम्बर चुनने की बात थी और अधिक से अधिक ८० की संख्या थी। तो मैं नहीं समझता कि पिछले कानून से तो इस कानून में यह सुधार होना चाहिए था कि अधिक से अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो बिल में १५ से ५० तक सदस्यों की संख्या रखने की बात कही गयी है उसे न करके २० से ८० तक सदस्यों की संख्या रखी जाय। इस सम्बन्ध में मैंने कुछ बात पहिले कही है और एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं। पिछले म्यूनिसिपल कानून के अनुसार २० से १२५ तक तादाद रखी जा सकती थी। मैं पिछले कानून के अनुसार ही २० से शुरू करने की बात कहता हूं और १२५ की बात छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं कि २० से ८० तक रखा जाय।

[श्री गेंदा सिंह]

ऐसे कुछ शहर हो सकते हैं कि जिनको कहा जाय कि वह कारपोरेशन हो जायेंगे, लेकिन ऐसे शहर भी हमारे प्रदेश म हैं जो कारपोरेशन नहीं होंगे और उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। जैसे इलाहाबाद है। इलाहाबाद शहर की आबादी इस वक्त ३,३२,००० की है। यदि हम इतनी आबादी में ५,००० पर भी मान लें कि एक प्रतिनिधि म्यूनिसिपल कमेटी में जायगा तो ऐसी हालत में वह भी ५० से ज्यादा हो जाते हैं, ६० से ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में हमको इस बात को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं मालूम होती कि जैसा कि पहले खेर कमेटी ने सुझाव किया था, कोई दिक्कत हमारे सामने दिखायी नहीं दे रही है कि क्यों नहीं ऐसी बात की जाय। पिछले सन् ३५ के शासन विधान के अनुसार हमारे देश में असेम्बलियों में, कौंसिलों मे, केन्द्रीय असेम्बली में भी जो प्रतिनिधित्व का अनुपात था उस अनुपात से और आज के अनुपात से असेम्बली, पार्लियामेंट और कौंसिलों में बहुत फर्क पड़ गया। २२८ सदस्यों का सदन यही सदन था, जो आज ४३० सदस्यों का यह सदन है। ६० सदस्य कौंसिल के होते थे जो आज ७२ हैं। इसी तरह स हमारी पार्लियामेंट में हुआ। तो जहां तक हो सका इसको एक प्रजातांत्रिक ढंग पर लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने का अवसर मिल सके, इस बात की गुन्जाइश की गयी। आप देखें कि पहले कानून के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव होते थे जिनके अनुसार थोड़े सदस्य बोर्ड में जाते थे पर बोर्ड के वर्तमान कानून के अनुसार सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी जिसे वर्तमान सरकार ने ही बनाया। तो ऐसी हालत म फिर खास तौर से म्यूनिसिपैलिटियों क चुनाव में क्यों न यह सुविधा दी जाय मेरी समझ में यह बात नहीं आती। पिछले कानून में तो मैंने देखा कि सन् १९१६ का जो कानून बना हुआ था उसके मुताबिक जैसा कि मैंने अर्ज किया था २० से कम की कोई म्यूनिसिपल कमेटी बन नहीं सकती, लेकिन केवल २० आदमियों की वह कमेटी नहीं होती। २० आदमियों के अलावा कुछ लोग नामिनेशन पर होते थे और उन नामजद प्रतिनिधियों की संख्या ८ तो कुछ बड़े शहरों के लिये थी और बाकी के लिये ६ थी वह नामजद सदस्य हुआ करते थे। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो २६ से कम कोई कमेटी पिछले जमाने में नहीं होती थी। पर इन २६ आदमियों के चुनने में कोई कठिनाई नहीं पड़ी और न यह बात सामने आई।

हमारे सामने जो म्युनिसिपैलिटी का विधेयक है उसके लाने के पहले इस पर जो कमेटी मुक़र्रर हुई थी वह जहां तक मेरी याददाश्त है खेर कमेटी ही मुक़र्रर हुई थी। और उस कमेटी की राय में यह ज्यादा मुनासिब बात मालूम हुई कि पिछले ट्रेंड को छोड़कर आगे के लिए हम ज्यादा लोगों की कमेटी बनावें। तो इस विचार को त्यागने का कोई कारण होना चाहिए। म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर जो आयेंगे उनके आने में तो कोई विशेष खर्चे की भी बात नहीं है। हम जो असेम्बली में आते हैं हमें अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, कौंसिल के मेम्बरों के लिए अधिक दिया गया, पार्लियामेंट के लिए भी दिया गया तो इसमें तो जनता के पैसे का बहुत व्यय होता है। जहां इतना व्यय होता है वहां हमको इतना अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया तो जहां कोई व्यय होने का सवाल नहीं उठता, म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर कमेटी में जायंगे तो उसमें तो कोई टी० ए० और डी० ए० देने की बात नहीं आती तो फिर उनको इस प्रकार की स्वतंत्रता न दी जाय, यह मुनासिब नहीं मालूम होता। इसलिए मैं इस संशोधन को पेश करते हुए आशा करता हूं कि इस संशोधन को माननीय स्वशासन मन्त्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि १५, १६, १७ और १८ यह एक ही क़िस्म के हैं और उन पर साथ ही साथ अगर बहस हो जाय..... ।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने स्वयं इस पर विचार किया है। मगर एक कठिनाई देख रहा हूं ! जिन माननीय सदस्यों के नाम पर ये संशोधन हैं उनमें से केवल एक ही माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित है। मैं तो समझता हूं कि उस पर भी वही नीति होगी और अगर एक पर जो सिद्धान्त मान लिया जायगा तो उससे दूसरे पर बहस कम हो जायगी। इसलिए इसी तरह हो जान म अच्छा होगा।

श्री मोहन लाल गौतम--बहस एक साथ हो जाय, वोट अलग अलग ले लिए जायं।

श्री उपाध्यक्ष--मगर जब वह सदन में मौजूद नहीं हैं तो मूव कौन करेगा ?

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन अभी सदन के सामने उपस्थित किया गया है उसमें एक उसूल की बहस आ पड़ी है। वैसे तो १५ और २० और ५० और ८० में कोई अन्तर नहीं और न ऐसा होने से कोई देश की या कोई म्युनिसिपैलिटी की स्थिति पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रिंसिपल का सवाल है, एक उसूल का सवाल है कि हमें अपनी म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर कहां पर प्रतिनिधित्व का नम्बर फिक्स करना चाहिए। यह जरा सोचने की बात है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है और वह कन्फ्यूजन यह होता है कि हम जिस वक्त असेम्बली का जिक्र करते हैं या कांस्टीट्युएंसी का जिक्र करते हैं और वोटर्स का जिक्र करते हैं तो आम तौर पर हम बाहर के मुल्कों की मिसालें लिया करते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका और दीगर मुमालिकों की। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंग्लैंड, अमेरिका और दीगर जो मुल्क हैं य डेमाक्रेसी में जैसा कि सिस्टम आफ गवर्नमेंट आजकल चल रहा है वह तो उस पर बहुत आगे पहुंच गये हैं और जिस रफ्तार से उन्होंने अपने यहां डेवलपमेंट किया है उस रफ्तार से हम लोग उसको नहीं चला सकते। इसलिए हर बात में उनकी नकल कर लेना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर समय अमरीका और इंग्लैंड का नाम आ जाता है परन्तु हमको तो अपने मुल्क की स्थिति को देखते हुए सब काम करना पड़ेगा। इंग्लैंड और अमेरिका में जितने वोटर्स होते हैं अगर उनकी लिस्ट को देखा जाय और विश्लेषण किया जावे तो यह पता चलेगा कि जितने वोटर्स वहां हैं वह अधिकतर फेमिलीज में जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं बटे हुये हैं क्योंकि वहां छोटी छोटी फेमिलीज हैं, दो दो, तीन-तीन मेम्बर्स की, हस्बैन्ड होता है, वाइफ होती है और एक दो बच्चे होते हैं। लेकिन इंडिया के अन्दर एक अजीब सी चीज है। जहां हम अपने देहात या कस्बों में देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि फैमिली यूनिट्स बहुत लम्बी लम्बी होती हैं। एक एक खानदान में चालीस चालीस, पचास पचास मेम्बर तक होते हैं। ऐसी सूरत में अगर इस चीज का ख्याल रखा जाय तो बात वही पड़ती है जो इंग्लैंड इत्यादि वहां की छोटी छोटी यूनिट्स और यहां की बड़ी बड़ी यूनिट्स को यदि जनसंख्या से विभाजित किया जावे तो एवरेज वही पड़ जाती है। अगर इन फेमिलीज का हिसाब लगाया जाय तो एक फेमिली में एक आदमी को ही वोट का अधिकार मिलता है, वैसे तो इसी के साथ अपना मत देते हैं यानी इस तरह से जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं प्रतिनिधि की संख्या के लिए उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है चाहे आप पांच पर, सात पर या दस हजार पर ही क्यों न कर दें उससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। इन बातों को सोचते हुए हमको इंगलैन्ड और अमेरीका की नकल नहीं करनी चाहिये। यह बड़ी खतरनाक बात हो जायगी कि जो वे बात करें वह हम ले लें। हमें अपने क़स्बों की स्थिति को देखते हुये आगे बढ़ना है। जहां तक खेर कमेटी की रिपोर्ट का ताल्लुक़ था उसमें यह बात लिखी हुई थी कि चूंकि वहां पर डर्टी पार्टी फीलिंग्स चलती है इसलिये उनको हमें दूर कर देना चाहिये। अब हमें यह देखना चाहिये कि उस जमाने में और इस जमाने में क्या अन्तर है। उस जमाने में प्रेसीडेन्ट का एलेक्शन मेम्बर किया करते थे। यदि वहां पर पचास या तीस मेम्बर होते थे तो वहां यह पार्टी फीलिंग रोजाना चला करती थी कि जिस वक्त एक प्रेसीडेन्ट बनता था उसी वक्त से कुछ मेम्बर कोशिश करने लगते थे कि इसको निकाल करके बाहर कर दिया जाय। जहां ६ महीने या साल भर की अवधि समाप्त होती थी लोग यह कोशिश करने लगते थे कि इस प्रेसीडेंट को निकाल बाहर करो। वहां म्युनिसिपल बोर्ड का कोई काम नहीं होता था सिवाय इसके कि एक प्रेसीडेन्ट को निकालो और दूसरे को बनाओ। उस वक्त खेर कमेटी के सामने कोई नई चीज नहीं थी इसलिये उन्होंने ऐसा रखा था कि मेम्बरों का नम्बर बढ़ा दो, अगर बजाय ५० आदमियों के डेढ़ सौ आदमी जायंगे तो रोजाना की गड़बड़ी कम जायगी और जो प्रेसीडेन्ट की बात है वह जल्दी जल्दी नहीं बदल सकेगा। लेकिन अब तो संशोधन हो चुका है और अब प्रेसीडेन्ट

[श्री नौरंग लाल]

का एलेक्शन डाइरेक्ट वोट से होगा और इस तरह से जो चेयरमैन के बदलने की चीज़ थी वह दूर हो गई। ऐसी दशा में जब डाइरेक्ट एलेक्शन से प्रेसीडेन्ट एलेक्ट होगा तो जो खेर कमेटी की आपत्ति पहले थी वह नहीं रहेगी। इसलिये इस नम्बर बढ़ाने के प्रश्न को हम महत्व नहीं दे सकते। जहां तक आपने यह कहा कि खेर कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा है कि इससे डर्टी पार्टी फीलिंग कम हो जायगी, यह ठीक है, लेकिन यह डबुल एज्ड सोर्ड है। इससे यह भी हो सकता है कि पार्टी फीलिंग कम हो जाय और यह भी हो सकता है कि पार्टी फीलिंग बढ़ जाय। उसमें और पार्टियों का प्रतिनिधित्व हो जाय जो अबतक नहीं है। जहां तक म्युनिसिपैलिटी का प्रश्न है वे असेम्बली की तरह किसी पालिसी से गवर्न नहीं होती हैं। असेम्बली में तो कांग्रेस पार्टी भी होती है, सोशलिस्ट पार्टी भी होती है और प्रजापार्टी भी होती है, लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड की कांस्टीस्एंसीज़ छोटी होती हैं इसलिये वहां पर नैरो इन्टेरेस्ट वर्क (संकुचित लाभ कार्य) किया करता है। वहां पर क्षत्री, वैश्य और कायस्थ का प्रश्न चला करता है और जितनी भी पार्टीज़ होती हैं सबको इस बात का ख्याल रहता है कि ऐसे आदमी को खड़ा किया जाय जो वहां की जातियों का प्रतिनिधित्व ले ले। इसलिये जितने मेम्बर आप म्युनिसिपिल बोर्ड में बढ़ायेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा बल्कि पार्टी बन्दी और बढ़ जाने की सम्भावना है।

गंदगी दूर करने का इलाज यही है कि पोलिटिकल पार्टीज़ जो अपने कैन्डीडेट्स खड़ा करें वह इस लिहाज़ से खड़ा करें कि कैन्डीडेट की सोशल सर्विस बहुत ऊंचे दर्जे की हो। अगर इस लिहाज़ से कैन्डीडेट्स खड़े किये जायेंगे तो पार्टी फीलिंग कम हो जायगी। अगर आपने यह किया कि जो जीतेगा उसको कैन्डीडेट बनाएंगे तो इससे पार्टी फीलिंग कम नहीं होगी। असल में हमारी ही गल्ती है, हम यह सोचते हैं कि हमको अपना एलेक्शन जीतना है। हम यह नहीं रखते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड का फ़ायदा होगा या नहीं। हमको ऐसा कैन्डीडेट रखना चाहिये जिसकी सोशल सर्विसेज़ अच्छी हों और जब हम ऐसा करेंगे तभी पार्टी फीलिंग्ज़ कम होंगी। नम्बर के बढ़ाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। यह कहना कि नम्बर बढ़ाने से पार्टी फीलिंग कम हो जायगी, इसको मैं नहीं मानता। जहां तक कि श्री गेंदा सिंह जी का ताल्लुक़ है उन्होंने कहा कि १५ के बजाय २० हो जाना चाहिये और ५० के बजाय ८० हो जाने चाहिये लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है, और ऐसा करने से म्युनिसिपल बोर्ड का या मुल्क का कोई भला नहीं हो सकता है। एक बात और भी है जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिये। यदि हम नम्बर निश्चित करने जा रहे हैं तो हमें यह भी ख्याल रखना चाहिये कि म्युनिसिपल बोर्ड एक लेजिस्लेचर नहीं है जहां पर बड़े लम्बे चौड़े लेक्चर्स होते हों। म्युनिसिपल बोर्ड में एक छोटी सी कमेटी होती है। एक तो होती है कमेटी और एक होती है असेम्बली, इन दोनों में बड़ा अन्तर होता है। असेम्बली में ४०० या ५०० मेम्बर हो सकते हैं क्योंकि असेम्बली में बहुत सी कमेटियां होती हैं। वे कमेटियां छांट छांट करके बिल्स तैयार करती हैं और जब बिल्स हाउस के सामने आते हैं तो उनपर सब सदस्य अपने अपने व्याख्यान देते हैं। असेम्बली में सेलेक्ट कमेटीज़ इत्यादि होती हैं लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। वहां पर न कोई एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी होती है न कैबिनेट होती है और न सेलेक्ट कमेटी होती है। वहां पर उसूल यह रखा गया है कि म्युनिसिपैलिटी कमेटीज़ खुद सोच विचार करे और यह देखे कि क्या भलाई के कार्य हो सकते हैं, कहां पर सड़क ठीक होनी चाहिये, कहां पर नहीं होनी चाहिये। किस बीमारी के लिये क्या प्रबन्ध करना चाहिये। इस प्रकार लोकल बातें करनी पड़ती है और वह छोटे छोटे क़ानून बना लिया करती हैं। अगर वहां पर मेम्बरों का नम्बर बढ़ने से वह पर्पज़ सर्व नहीं होगा जो आप चाहते हैं। तो यह ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा कि इसमें इतना नम्बर न बढ़ जाय कि इसमें कमेटी स्टेज की जो फैसिलिटीज़ हैं वे ख़त्म हो जायं। इसलिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि बिल में जो नम्बर फिक्स किया गया है वह ठीक है और उसमें जो वैरिएशन्स हुये हैं वे कोई माने नहीं रखते हैं। इसलिये इस संशोधन से कोई लाभ नहीं है। इसको लेने से केवल समय नष्ट होता है, इसलिये इसपर ज्यादा बहस की गुंजायश नहीं है। यह जो संशोधन आप के सामने पेश हुआ है कि नम्बर ५० और ८० का होना चाहिये

यह उसूल की चीज नहीं है। जो नम्बर १५ और ३० का सेक्शन के अन्दर रखा गया है वह ठीक है। इसलिये मैं मजबूर हूं उसी को पास करना चाहिये और इस संशोधन को वापस ले लेना चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात सिर्फ इतनी ही इस संशोधन में रखी गयी है कि कम से कम १५ और ज्यादा से ज्यादा ५० की संख्या जो इस अमेंडिंग बिल में है उसके बजाय कम से कम २० और ज्यादा से ज्यादा ८० रखी जाय। यह चीज असल में इस चीज पर मुनहसर करती है कि हम कितनी संख्या को समझते हैं कि जिससे म्युनिसिपैलिटीज का इन्तजाम ठीक ठीक हो जायगा।

खेर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। मैंने जैसा निवेदन किया कि मैं हर चीज को चाहता हूं कि हम लोग सोच लें और अगर वह हमें ठीक मालूम हो तो उसको ले लें और नहीं मालूम हो तो उसको छोड़ दें। इसी तरीके से मैं इसमें सोचने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी राय यह है कि ५० की संख्या काफ़ी है और मुझे जहां तक अन्दाज है इस समय भी किसी म्युनिसिपल बोर्ड में ५० से ज्यादा मेम्बर नहीं हैं। इलाहाबाद का नाम मेरे सहयोगी श्री गेंदा सिंह जी ने लिया। वहां भी शायद ४१ मेम्बर हैं जो ५० से कम होते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--कानपुर में कितने हैं?

एक सदस्य--४२।

श्री मोहन लाल गौतम--४२ की आवाज आ रही है। मुझे ठीक तादाद नहीं मालूम है लेकिन मेरा निजी ख्याल है कि वहां भी ५० से कम ही हैं।

इसके अलावा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि ८ और ६ नामिनेट होते हैं। नामिनेटेड तो नहीं, शायद उनका मतलब कोआप्शन से था। बहरहाल, ८० में ८ और जुड़ जाते हैं तो ८८ हो सकते हैं। उनका संशोधन भी उस तादाद को कुछ कम करता है जो आज क़ानून में है। क़ानून में ८० तक है और उसके बाद कोआप्शन का है। बहरहाल, इस बहस में मैं नहीं पड़ता। जैसा मैंने अभी निवेदन किया, मेरी राय है कि ५० की संख्या काफ़ी है और सहूलियत के साथ म्युनिसिपैलिटी का काम चल सकता है। मैं थोड़ा सा जिक्र यह कर दूं कि इस देश के दूसरे प्रान्तों में भी संख्या कम ही रखी गयी है। बिहार में १० और ४० के बीच में है, मद्रास में १६ और ३६ के बीच में है। अगर हम थोड़ा सा दूसरे देशों की तरफ भी निगाह डालें तो म्युनिसिपल कौंसिल आफ़ बोस्टन में सिर्फ ९ है, यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत ही फेवरएबुल साइज २० की है, इंग्लैंड में ३० और ४० के बीच में है, एक दो को छोड़ कर और फ्रेंच म्युनिसिपल कौंसिल में १० और ३६ के बीच में है। तो यह कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम यह समझें कि इतनी कम है। मैंने बहुत काफ़ी इसको देखा और दूसरे देशों में, इंग्लैंड, अमरीका, फ्रांस में और इस देश के दूसरे प्रदेशों में भी ५० से अधिक संख्या नहीं है। ऐसी बहुत सी मिसालें मुझको मिलीं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको स्वीकार कर लिया जाय और इससे ज्यादा संख्या न बढ़ायी जाय।

माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात और मुझसे पूछी थी शायद लंच से पहले कि आखिर इसकी तादाद कैसे मुक़र्रर होगी। तो यह भी मैं चाहता हूं कि इसका भी कोई तरीक़ा हो। तो मेरा सुझाव यह है, फाइनल प्रोपोजल तो तब होंगे जब यह क़ानून पास हो जायगा, अभी तो यह क़ानून पास नहीं हुआ है लेकिन व्यक्तिगत सुझाव यह है कि २५ हजार तक की आबादी वाली म्युनिसिपैलिटियों में संख्या १५ हो और २५ हजार से ५० हजार तक की आबादी वाली में २० या २२ हो, ५० हजार से ७५ हजार तक की आबादी वाली में २५ हों, ७५ हजार से १ लाख तक की आबादी वाली में ३० हों, १ लाख से २ लाख तक की आबादी वाली में ३५ हों और २ लाख से ३ लाख तक की आबादी वाली में ४५ हों और इससे ज्यादा जहां की आबादी हो वहां की संख्या ५० हो। इस तरह से यह एक मेरा सुझाव है, फाइनल बात तो बाद में होगी। लेकिन इस तरह का एक क़ायदा बना देना चाहिये ताकि सब म्युनिसिपैलिटियों को अपनी आबादी के हिसाब से संख्या मिलती जाय। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इतनी संख्या ही रहने

[श्री मोहन लाल गौतम]

दी जाय। मैं अपने निजी अनुभव से भी थोड़ा सा यह कह सकता हूं कि कम संख्या से काम अधिक अच्छा चलेगा।

चुनाव में भी ऐसे लोग, जिसका कि मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य श्री नौरंग लाल ने जिक्र किया कि म्युनिसिपैलिटीज़ तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में तरह तरह के फोरसेज़ काम करते हैं,आ जाते हैं और वह काम नहीं करने देते इसलिये अगर संख्या कम होगी तो कांस्टीटुएन्सी बड़ी होगी तो लोकल इन्फ्लएंसेज़ और रिएक्शनरी एलीमेंट कम होगा और जितनी मेम्बर्स की तादाद बढ़ेगी उतनी ही कांस्टीटुएन्सी छोटी होगी और पर्सनल फैक्टर्स ज्यादा आ जाते हैं और पोलिटिकल फैक्टर्स और सिविक फैक्टर्स आंखों से ओझल हो जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने प्रस्ताव पर जोर न दें और अगर वह जोर देंगे तो मुझे अफसोस है कि मुझे विरोध करना पड़ेगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्वशासन मंत्री का भाषण खूब गौर से सुना। उन्होंने कुछ दूसरे देशों की म्युनिसिपैलिटीज़ के मेम्बर्स की संख्या बतलाई और अपने प्रदेश के भी कुछ शहरों की म्युनिसिपैलिटीज़ के मेम्बर्स की संख्या बतलाई। मसलन कानपुर में ४२ और इलाहाबाद में ३६ लेकिन माननीय मंत्री जी यह भूल गये कि यह संख्या उस समय थी जब कि हमारे प्रदेश में १२ प्रतिशत जनता को वोट देने का अधिकार था। अगर हम उसी अनुपात से चलें तो उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि आपको भी मालूम है कि अपने यहां फ्रेंचाइज़ के बढ़ने की वजह से असेम्बली के सदस्यों की संख्या २२८ से बढ़कर ४३१ हो गई है तो इसी तरह से जब कि १२ प्रतिशत जनता को वोट देने का अधिकार मिलने की वजह से ३६ है तो अब १०० प्रतिशत लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाने के बाद इलाहाबाद में म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर्स की संख्या २८८ और कानपुर में ३३६ होती है तो श्री गेंदा सिंह जी ने जो २० व ८० की तादाद रखी है उनके संशोधन से अधिक अन्तर नहीं पड़ता जब कि संशोधित धारा में १५ व ५० की संख्या रखी गई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि मेम्बर्स की संख्या कम होगी तो कांस्टीटुएंसी बड़ी होगी और जब चुनाव क्षेत्र बड़ा होगा तो जो लोग गलत तरीक़े से प्रभाव डालकर चुन जाते हैं वह आसानी से चुनाव में सफल नहीं हो सकेंगे। लेकिन उनका दूसरी तरफ ध्यान नहीं गया कि और वह इस बात पर कि हमारे प्रदेश में जहां पर दैनिक भत्ता, वेतन या यात्रा का व्यय मिलने का सवाल होता है तो वहां लोग काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन म्युनिसिपैलिटीज़ तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो नतीजा यह होता है जैसा कि सुभाव होता है कि जब इलेक्शन होता है तो हर आदमी उम्मीदवार बनने की कोशिश करता है लेकिन मेम्बर हो जाने के बाद धीरे धीरे उसकी देश सेवा की भावना खत्म हो जाती है और अक्सर यह नोटिस किया गया है कि मुश्किल से म्युनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का कोरम पूरा होता है और लोगों को घर से बुला बुला कर कोरम पूरा किया जाता है। अगर २० वह ८० की तादाद हो और अपने प्रदेश के शिक्षित लोगों का ध्यान रखें और उस दिन श्री नवल किशोर ने कहा था कि हमारे प्रदेश में १४ प्रतिशत शिक्षित लोग हैं तो ५० की तादाद मैं समझता हूं कि बहुत ही कम है और चुनाव में कोई खास प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ यह है कि हिन्दी उर्दू में दस्तखत करना जानता हो ऐसे लोग अक्सर आ सकते हैं और इधर धीरे धीरे म्युनिसिपैलिटीज़ के अधिकार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी हालत में १४ प्रतिशत शिक्षित के हिसाब से मुश्किल से ८-१० आदमी एक जगह ऐसे मिलेंगे जोकि म्युनिसिपैलिटीज़ का काम चला सकें। इसलिये गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन रखा है वह अति उत्तम है और यदि ज्यादा संख्या होगी तो उसमें कर्मठ लोग काम करने वाले १५-२०-२५ लोग ऐसे मिल जायंगे जो अच्छी तरह से म्युनिसिपैलिटीज़ का काम कर सकें।

एक हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा कि वहां कोई कैबिनेट नहीं बनानी है, सिलेक्ट कमेटी नहीं बनानी है। यह बात ग़लत है, म्युनिसिपैलिटियों में भी विभिन्न कार्यों के लिये सदस्यों की उप-समितियां बनाई जाती हैं और हर काम के लिये उप-समितियां बनती हैं। माननीय सदस्य स्वयं जानते होंगे कि हर काम

के लिये रोशनी, वाटर वर्क्स आदि के लिये कमेटियां बनती हैं और १० कमेटियां हैं और हर कमेटी में तीन तीन आदमी हों तो ३० आदमी लिखे-पढ़े होने चाहिये, तो अगर इस लिहाज से संख्या रक्खी गई तो पढ़े-लिखे लोग जो देशसेवा की भावना से ओत-प्रोत हैं अधिक संख्या में आ सकते हैं और यह चीज बोर्ड और माननीय स्वशासन सचिव तथा प्रदेश की जनता के लिये हितकारी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत माननीय स्वशासन मंत्री की संख्याओं को न मानने के लिये है, वह यह है कि म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, १९१६ की दफ़ा ८७-ए, उसका थोड़ा सा अंग मैं आपकी आज्ञा से उद्धृत कर देना चाहता हूं--

"**Motion of non-confidence against Chairman:** Subject to the provisions of this section a motion expressing non-confidence in the Chairman shall be made only in accordance with the procedure laid down below:

(2) Written notice of intention to make a motion of non-confidence in its Chairman, signed by such number of members of the board as constitute not less than one-half of the total number of members of the board, together with a copy of the motion which it is proposed to make, shall be delivered in person together by any two of the members signing the notice to the District Magistrate."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर से इस अमेंडिंग बिल को भी देखा लेकिन उसमें ८७-ए के संशोधन के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। अगर वह संख्या १/२ के बजाय ४/५ या २/३ कर दी जाती तो मैं समझता हूं कि उसमें संख्या कम होने पर भी कठिनाई नहीं पड़ती, लेकिन माननीय स्वशासन मंत्री ने संभवतः इस ओर ध्यान नहीं दिया। १५ आदमी के बोर्ड में ८ आदमी ही अविश्वास के प्रस्ताव के लिये आवश्यक रह जाते हैं और जो पुराना इतिहास म्युनिसिपैलिटीज की इन कमेटियों का है वह यह है कि बड़े बड़े रुपये वाले इसमें खड़े होते थे और जब तक खेर कमेटी के अनुसार प्रेसीडेंट का चुनाव प्रत्यक्ष वोटों से होना शुरू नहीं हो गया तब तक वहां रुपयों का खेल था और अनपढ़ लोग अपने रुपये की थैली के बल पर इन म्युनिसिपैलिटियों में चले जाते थ। अध्यक्ष महोदय, बहुत से मेम्बरान ने इस बात का पेशा बना लिया था कि किसी गांठ के पूरे और आंख के अन्धे को पकड़ लिया और उसे चेयरमैनों का उम्मीदवार कर दिया और उससे रुपया लिया। फिर कुछ महीनों बाद नो कान्फीडेन्स मोशन के जरिये उसे हटा दिया। अगर इस तरह संख्या कम है ५० मान ली जाय, तो २५ की तादाद ८७-ए क मुताबिक जरूरी होगी, अगर १५ह तो ८ सदस्यों की तादाद जरूरी होगी नो कान्फीडेन्स मोशन के लिये। अगर कोई धनी आदमी होगा तो वह अच्छे से अच्छे और योग्य से योग्य आदमी को अपने रुपये के बल पर, ७-८ आदमियों को बस में करके उसे हटा सकता है, लेकिन अगर १२५ की तादाद होगी तो ६३ आदमियों को बस में करना आसान न होगा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या ५० ही रहे और १/२ के बजाय ४/५ नो कॉफीडेन्स मोशन के लिये आवश्यक कर दे तब तो यह बात समझ में आ सकती थी। इसी बात को सोचकर यह संशोधन रखा गया कि संख्या अधिक से अधिक ८० कर दी जाय, जिससे इस किस्म की अनहैल्थी प्रक्टिस गैर मुमकिन हो जाय और कोई नो कान्फीडेन्स मोशन इस तरह से न ला सकें। ऐसी सूरत में यह मुनासिब होगा कि संख्या १२५ तक बढ़ा दी जाय। माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संख्या रक्खी है वह पहले से ही है, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ९ के अनुसार उतनी ही है कोई नया परिवर्तन नहीं है। कभी कभी इस बात की विरोधी दल या नान कांग्रेस पार्टी वालों को शंका हो जाती है कि इस संशोधन विधेयक में पहले तो कुछ अधिकार लिये गये। डायरेक्टर आफ एलेक्शन के बारे में हमारी राय है कि ऐसा न हो कि ५२ जिलाधीश या सिटी मैजिस्ट्रेट्स जो रिटर्निंग आफिसर्स मुकर्रर हो कहीं उन पर हमारी सरकार असर न डाल सके इसलिये डायरेक्टर आफ एलेक्शन को मुकर्रर कर दिया जाय कि सरकार सरलता पूर्वक एक अफसर पर प्रभाव डालकर अपने दल का काम निकाल ले। यह शंका न जनता के लिये ही लाभप्रद होगी और न सरकार के लिये जिसको कि प्रजातन्त्रवादी होने का दावा है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

लेकिन यह शंका हो सकती है कि सरकार इसलिये यह संशोधन लायी है कि उसको किसी समय आगे चलकर जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पिछले चुनाव के अवसर पर कई पार्टियों की वजह से कांग्रेस को ४४ प्रतिशत मत मिलने पर ४३० सीटों में ३९१ सीट प्राप्त हो गयी और संभव है कि गैर कांग्रेसी पार्टियों की एकता के कारण नगर पालिकाओं के चुनावों में सरकारी दल को हार खानी पड़े। टाउन एरिया के एलेक्शन में सरकारी दल देख चुका है कि ३१ फीसदी सीट ही कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुयीं और अधिकांश अन्य पार्टी के लोग उसमें आये हैं जिनमें सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं और कुछ दूसरी पार्टी के हैं। तो क्या जनता को यह शंका नहीं हो सकती है कि तादाद को कम किसी मतलब से किया जा रहा है? अगर कहीं पर सरकार की मन्शा के मुताबिक चेयरमैन नहीं हुआ तो ऐसी हालत में शासन की तरफ से ऐसे लोगों का साथ गंठबन्धन करके काम चला लिया जाय जिनके पास पैसा है या सरकारी प्रभाव भी डालना कम संख्या में संभव हो सकेगा। अगर धारा ४०, ४१ के मुताबिक रिमूवल आफ प्रेसीडेन्ट सम्बन्धी धारा का संशोधन कर दिया गया होता तब तो शंका का कोई स्थान नहीं हो सकता था। मैं यह किसी व्यक्तिगत बात पर नहीं कह रहा हूं न मैं माननीय मन्त्री की योग्यता और व्यक्तित्व पर कोई शंका उठाता हूं, लेकिन जनता के दिमाग में यह सवाल आ सकता है और वह कहे कि गवर्नमेंट ने यह अनुचित किया और वह किसी प्रकार से गवर्नमेंट की एलेक्शन प्रणाली पर शंका करे। इसलिये किसी भी अनहैल्थी ट्रेंडिंग को खत्म करने के लिये ऐसा किया जाय जिससे कोई पावर का मिसयूज न कर सके। पिछले जमाने में इस प्रकार की धांधली हुयी हैं कि जिसकी वजह से हम शंका कर सकते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कम संख्या झगड़े की जड़ बने। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि यह जनता के हित में है और शासन की चुनाव प्रणाली के हित में है कि जो गेंदा सिंह जी ने तादाद रखी है उसको स्वीकृत कर लिया जाय। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी जो लोगों के दिमाग में एक शंका पैदा हो गयी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और विरोधी दल की तरफ से अगर कोई उचित बात आती है तो उस पर विचार करने की कृपा करेंगे। यह नहीं होना चाहिए कि अगर विरोधी दल की ओर से कोई समुचित बात आती है तो उसको स्वीकार न किया जाय। मैं स्वशासन मन्त्री जी को जानता हूं। हम लोग कभी साथ थे चाहे आज दो स्थानों पर क्यों न हों और उनसे मुझे पूरी आशा है कि वह कम से कम अपने ऊपर इस लांछन को नहीं लगने देंगे कि विरोधी दल का कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है।

श्री सुलतान आलम खां--जनाब डिप्टी स्पीकार साहब, जो संशोधन इस वक्त भवन के सामने है उसके जो पेश करने वाले हैं मैं उनसे पूरी हमदर्दी रखता हूं। मैं यह जानता हूं कि गेन्दा सिंह जी जिन्होंने इस संशोधन को पेश किया है उनकी नीयत अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। उन्होंने इस वजह से इस संशोधन को पेश किया है कि इस बिल की इस दफा को इम्प्रूव किया जाय। लेकिन मैं कुछ ऐसा समझता हूं कि इस संशोधन की बुनियाद यह बतलाई जाती है कि खेर कमेटी की रिपोर्ट पर इसकी बुनियाद पर मुनहसर है, खेर कमेटी की सिफारिशात और उस कमेटी की रिपोर्ट को इस भवन के सामने बहुत मर्तबा दोहराया गया है और मुझे खुशी है कि हर एरिया की खेर कमेटी के अन्दर तादाद दी गयी है। उसकी बहस के लिये बहुत सी दलीलें आज इस भवन में दी गयी हैं कि वह खेर कमेटी में मन्जूर की गयी है मुझे भी उस खेर कमेटी में काम करने का मौका मिला है और इसमें शक नहीं कि खेर कमेटी ने ऐसे तमाम मसायल पर बहुत काफी गौर किया और काफी वक्त भी लिया और उसके बाद जो रिपोर्ट उसने पेश की उसमें उस कमेटी ने पूरी मेहनत और पूरी कोशिश से काम लिया है। मुझे जहां तक याद पड़ता है जिस वक्त उस कमेटी के सामने इस बात की सिफारिशात आई कि एलेक्टरेट का क्या तरीका हो तो उस पर बहुत गौर और विचार किया गया था। खेर कमेटी की रिपोर्ट दो वैल्यूम में है, एक वैल्यम पन्चायत राज ऐक्ट से

ताल्लुक रखता है और दूसरा म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरा से ताल्लुक रखता है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि बात तो पुरानी है और जो कुछ मैं कह सकता हूं वह अपनी याद्दाश्त से ही कह सकता हूं। खेर कमेटी ने इस मसले पर भी काफी गौर किया था और इसमें शक नहीं कि पन्चायतों में और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में एक सवाल यह बहुत ही अहम था कि वहां मेम्बरों की तादाद में इजाफा किया जाय। उसकी वजह यह थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर जिले के कोने कोने से आते हैं और उस वक्त इस बात की जरूरत महसूस की गयी कि जब एडल्ट फ्रेंचाईज के जरिये से चुनाव होंगे तो जिले की हर हिस्से की बोर्ड में अच्छी तरह से नुमाइन्दगी होना चाहिए। जब हम इस उसूल को मान लेते हैं तो उन मेम्बरान की तादाद जिनको जिले में नुमाइन्दगी करना चाहिए काफी बढ़ जाती है। इसी तरह से पन्चायतों का नया तजुर्बा हम कर रहे थे और उस वक्त भी इस बात पर गौर किया गया कि फ्रेंचाईज का क्या तरीका हो। ऐसा भी खयाल था कि हर खानदान के बुजुर्ग को पन्चायतों में आने दिया जाय लेकिन बाद में यह तय हुआ कि वहां भी एडल्ट फ्रेन्चाईज हो और जिस वक्त पन्चायतों में एडल्ट फ्रेन्चाईज मान लिया गया उस वक्त भी यह खयाल पैदा हुआ था कि पन्चायतों में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दोनों में एक्जीक्यूटिव कमेटियां बनायी जायं। मन्शा तो इसका इतना ही था कि जो लोग चुनीदा हों और खास नुमाइन्दगी रखते हों वह बैठ कर वहां के रोजमर्रा के मसायल और कामों को देखें और चलावें और जहां तक आम पालिसी का ताल्लुक है उसके लिये पूरे बोर्ड या पन्चायत को तलब करने के बाद फैसले लिये जायं। चुनांचे यह स्कीम थी और इसी तरीके से ड्राफ्ट तैयार हुआ था। लेकिन म्युनिसिपैलिटी का मसला कुछ उसके मुख्तलिफ है और वह इसलिये कि चूंकि म्युनिसिपैलिटियों का रकबा महदूद होता है और वहां ट्रान्सपोर्ट की दिक्कतें नहीं हैं वहां लोग आसानी से आ सकते हैं और मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं और यही वजह थी जिस लिये म्युनिसिपैलिटी में एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाने की बात तय नहीं की गयी और यही तय हुआ कि म्युनिसिपैलिटी के कुल मेम्बर एक बोर्ड के तरीके पर जमा हों और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के मुताबिक वहां का इन्तजाम करें। इसलिये जब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पन्चायतों से इस मसले पर मुकाबिला करते हैं तो वह ज्यादा सही चीज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मेम्बरों की तादाद ज्यादा है और इसीलिये वहां एक्जीक्यूटिव कमेटी की जरूरत महसूस हुई लेकिन जिस वक्त हम म्युनिसिपैलिटीज की बात करते हैं तो हमें यह बात सामने रखना चाहिए कि म्युनिसिपैलिटीज के हालात मुख्तलिफ हैं और वहां इतनी बड़ी तादाद की जरूरत नहीं है। एक सवाल यह जरूर हो सकता है कि जहां ५० की तादाद रखी जा रही है वहां ८० ही क्यों न रख दी जाय, बात कुछ सही है यह भी हो सकता है कि ८० के बजाय १०० क्यों न रखी जाय या २०० या १५० क्यों न रखी जाय, लेकिन तादाद रखने से पहले उसके पीछे कोई उसूल होना चाहिए और कोई कसौटी होना चाहिए कि जिससे हम मेम्बरान की सही तादाद का फैसला कर सकें। मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि हो सकता है कि इस मामले में २ राय हों, लेकिन इतना तो सभी मानेंगे कि किसी मसले पर सही तौर पर गौर करने के लिये जो बोर्ड या कमेटी हो वह छोटी से छोटी और कम से कम मेम्बरान की होनी चाहिये, जब कोई बड़ा बिल पेश हुआ तो उसके लिये लोगों ने तजवीज पेश कर दी कि वह सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए। क्यों भेजना चाहिए, आखिर इस हाउस को भी वही फैसला करने का हक हासिल है जो एक सेलेक्ट कमेटी को है। इसकी वजह यह थी कि इस हाउस में ४३० मेम्बर हैं जबकि सेलेक्ट कमेटी में जब वह मसला जाता है तो वहां २५, २६ मेम्बर होते हैं तो वहां बहुत ज्यादा सोचने और समझने का मौका मिलता है। वक्त भी ज्यादा मिलता है। हर एक को तकरीर करने का ज्यादा मौका मिलता है। इसलिये जो वहां काम होता है वह ज्यादा इत्मीनानबख्श और मुस्तकिल होता है और उसमें बार बार तरमीम करने की इतनी जरूरत नहीं महसूस होती। यही वजह है कि हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हर बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। यदि ऐसी बात नहीं होती तो मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त इसके लिये कभी ज्यादा जोर नहीं देते कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैं इससे ज्यादा और

[श्री सुल्तान आलम खां]

कुछ न कहूंगा लेकिन एक वाकया यह भी है कि यह भी मैं खुद सोचता हूं कि जब कोई चीज वहां जाती है तो ज्यादा गौर करने का मौका मिलता है। बहुत से दोस्तों को यह शिकायत यहां रहती है कि उन्हें यहां तकरीर करने का मौका नहीं मिला लेकिन दिक्कत यह है कि हर शख्स को कैसे मौका मिल सकता है। अगर हर मेम्बर को हर तरमीम और हर दफा पर तकरीर करने का मौका मिले तो मैं समझता हूं कि एक बिल साल भर के अन्दर पास होगा, इससे पहिले नहीं हो सकता। यह भी बात है कि जितना हाउस छोटा होगा उतना ही काम इफैक्टिवली होगा।

कुछ यहां करप्शन की बात भी कही गयी। मेरे बाज दोस्तों ने यह कहा कि अगर मेम्बरों की तादाद थोड़ी होगी तो करप्शन उनमें ज्यादा होगा और अगर तादाद ज्यादा होगी तो करप्शन कम होगा। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि मैं इसके जैसा नहीं सोच सकता। मैं इसके बरअक्स यह सोचता हूं कि अगर मेम्बरों की तादाद थोड़ी होगी और बदकिस्मती से वे करप्शन करना चाहेंगे तो उनके करप्शन की कीमत ज्यादा होगी लेकिन अगर बहुत ज्यादा तादाद होगी तो करप्शन की कीमत गिर जायेगी और करप्शन बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बात फिर सोचनी है कि वाकई अगर हम किसी मामले को सही तरीके पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिये हमारे प्रतिनिधि कैसे होने चाहिए। पोलिटिक्स के मुकाबिले में हमारे सामने नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए। चाहे हम पार्लियामेंट में हों, असेम्बली में हों या लोकल बाडीज में हों। बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमारी एफीशियेन्सी गिर गयी और हमारे अन्दर बहुत सी खराबियां और बुराइयां आ गयी हैं। बाज औकात हमें इन बातों को सुनकर शर्म से सर झुकाना पड़ता है। जब हम किसी मसले पर गौर करें तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका पार्टी के इंटरेस्ट पर क्या असर पड़ेगा या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड पर क्या असर पड़ेगा। हमें तो नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखना पड़ेगा। यह तभी हो सकता है कि जब हम क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर जोर दें। यह सही है कि डैमोक्रेसी में पन्चायत राज्य होता है लेकिन मुझे एक कहावत याद आती है कि--Ten fools cannot make a wiseman. [दस मूर्ख मिलकर एक बुद्धिमान मनुष्य के बराबर नहीं होते।]

इसके मानी यह है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा कि हम एक बड़ी तादाद नुमाइन्दों के रक्खें। ज्यादा जोर इस बात पर होना चाहिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव हों वे कैरेक्टर के आदमी हों, उनका कैरेक्टर ऊंचा होना चाहिए। इसी से हमारे यहां नेशनल इंटरेस्ट आगे बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छी चीज होगी। इसी सिलसिले में मैं यह भी अर्ज कर दूं कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब पिछली मर्तबा पन्चायतों के एलेक्शन हुए। कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि ये एलेक्शन्स पोलीटिकल पार्टी बेसिस पर न हों और मैं समझता हूं कि यही और पार्टियों ने भी किया। यह फैसला मेरी राय में बहुत अच्छा था। उसका नतीजा यह हुआ कि आपके सामने जो लोग आये हैं उनको आप देख रहे हैं कि किस तरह से वे अपने फरायज अन्जाम दे रहे हैं। अगर कांग्रेस यह कहती कि हम पार्टी लाईन्स पर कैन्डिडेट खड़े करेंगे तो सोशलिस्ट भी कहते और दूसरे लोग भी कहते। अगर ऐसा होता तो बहुत मुमकिन है कि वहां की लोकल प्राबलम्स और ईश्यूज सामने ही नहीं आते। मैं समझता हूं कि वह किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है, इसलिये कि पार्लियामेंट में, असेंबली में काउन्सिल आफ स्टेट में और लेजिस्लेटिव काउन्सिल में जरूर पोलीटिकल ईश्यूज इन्वाल्व्ड होते हैं और उन्हीं पर एलेक्शन लड़े जाते हैं और लड़े जाने चाहिए। न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि तमाम दुनियां में ऐसा होता है। लेकिन जहां तक लोकल बाडीज का ताल्लुक है, म्युनिसिपल बोर्ड्स या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं या हमारी प्राइमरी यूनिट्स पन्चायतें हैं, उनका मन्शा यही है हम वहां की लोकल प्राबलम्स को और लोकल ईश्यूज को

सामने रक्खें। तो लोग वहां जाकर सिविक ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सकते हैं, तभी इन्तजाम सही हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस सूरत से और इस बुनियाद को देखते हुए यह होना चाहिए कि हम वहां सही रिप्रेजेन्टेशन लाने की कोशिश करें, हमें म्युनिसिपैलिटीज को पोलिटिक्स से दूर ही रखना चाहिए और वहां पर वहीं के ईश्यूज को आने देना चाहिए। अगर हम इस चीज को मान लेते हैं तो हमारे लिये यह भी जरूरी हो जाता है कि म्युनिसिपैलिटीज में जितने कम से कम लोग हैं उतना ही काम भी अच्छा हो सकता है। इससे मेरी यह मन्शा बिलकुल नहीं है और न यह मेरा कहना है कि म्युनिसिपैलिटीज में बहुत ही कम आदमी हों बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस बात पर इनसिस्ट न करें कि ५० के बजाय ८० आदमी ही होने चाहिये बल्कि इस बात को सोचना चाहिए कि १५ कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ५० आदमी हों। इससे हो सकता है क्वान्टिटी ज्यादा न हो लेकिन काम की क्वालिटी बढ़ेगी। इसलिये मेरी फिर यही दरख्वास्त है कि लोकल बाडीज में हमें वहां के ऐडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए और उसके लिये हमें सही रिप्रेजेन्टेशन लाना है, क्वान्टिटी के बजाय क्वालिटी पर जोर देना है, तभी हमारी म्युनिसिपैलिटीज और लोकल बाडीज बेहतर हो सकेंगी। इन अल्फाज के साथ मैं फिर अर्ज करूंगा कि मेरे दोस्त अपनी तजवीज को वापस ले लें।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे अफसोस है क्योंकि मैं माननीय गेंदा सिंह जी का बहुत आदर करता हूं और उन्हें मैं बहुत ही व्यावहारिक आदमी समझता हूं। मालूम यह होता है कि इसका कारण यह है कि वे वहां बैठने के कारण धारा में बह गए हैं। मैं इस संशोधन को मुनासिब नहीं समझता। मुझे भी म्युनिसिपैलिटी और जिला बोर्ड का तजुर्बा है, मैं भी जिला बोर्ड का एक सदस्य रहा हूं और मैं जानता हूं कि वहां क्या कठिनाइयां होती हैं। अगर आप ज्यादा संख्या रख देंगे तो ज्यादा एफीशियेन्सी नहीं आयेगी माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि जब अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा तो थोड़े आदमियों को अपनी ओर मिलाने में आसानी होगी। जो १५ में आठ आदमी को अपनी ओर मिला सकता है तो बीस में से दस आदमी को मिला लेना क्या उसके लिये मुश्किल होगा। ८ और दस में केवल दो का ही तो फर्क है। इसलिये इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।

इस तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि अगर ज्यादा आदमी रखे जायेंगे तो एफीशियेन्सी कम हो जायेगी। यह पार्लियामेंट तो है नहीं जहां कानून बनाया जाता हो, म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में तो प्रस्ताव पास किये जाते हैं और उन पर कार्य किया जाता है। वहां का रोज का काम रोज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पर एक जरा सा म्यूनिसिपैलिटीज का कानून आ गया कि उस पर इतने दिन से बहस हो रही है। अगर वहां ज्यादा आदमी हो जायेंगे तो वहां पर भी बहस ही हुआ करेगी और कार्य रूप में कुछ भी नहीं हो पावेगा। मुमकिन है शास्त्री जी को थोड़े आदमियों से लुत्फ न आये। ज्यादा आदमियों से लुत्फ तो आ जायेगा मगर एफीशियेन्सी नहीं आ सकती। आप जो म्यूनिसिपैलिटीज में काम चाहते हैं वह काम नहीं हो पायेगा। अगर आप काम अच्छा चाहते हैं तो मेरी समझ में २० से ज्यादा होने ही न चाहिए। हां, यह दूसरी बात है जैसे अभी श्री त्रिपाठी जी ने एक हिंट दिया कि उन्हें यह शंका है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जब कोई विरोधी लोग प्रेसीडेन्ट हो जाते हैं या विरोधी पार्टी के हाथ में म्यूनिसिपैलिटी चली जाती है तो अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उन्हें पद से हटा दिया जाय। यह नीयत पर जो हमला किया गया है उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि यह तो हर तस्वीर के दो साइड होते हैं। डार्क साइड और ब्राइट साइड। तो आप अगर डार्क साइड ही देखते हैं तो देखें उनके लिये मैं क्या कहूं? लेकिन मैं काम के लिये इतना कहूंगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप कम से कम संख्या रखें।

दूसरी बात हमारे माननीय त्रिपाठी जी ने यह कही म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में भत्ता नहीं मिलता है जिससे कोरम नहीं होता है। माननीय त्रिपाठी जी को इस सम्बन्ध में मालूम ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं २१ वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का सदस्य

[श्री ब्रजविहारी मिश्र]

रहा हूं, वहां पर मेम्बरों को भत्ता मिलता है। भले ही म्यूनिसिपल बोर्ड्स में न मिलता हो, क्योंकि उसके सदस्य वहीं के स्थानीय ही होते हैं। कोरम का जहां तक सवाल है, अगर आप वन थर्ड कोरम रखें तो हो सकता है कि ज्यादा संख्या रखने से उतने आदमी मीटिंग में न आ सकें। अगर आप कम संख्या रखेंगे तो कम आदमियों के आने पर ही कोरम पूरा हो जायेगा इसलिये हर लिहाज से, हर दृष्टिकोण से आप मेम्बरों की संख्या कम रखें, बढ़ावें नहीं। ५० की जो संख्या रखी गयी है वह पर्याप्त है और मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी ने इस सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज मेरी इच्छा इस संशोधन पर बोलने की नहीं थी। परन्तु जब मैंने इस सदन में माननीय सुल्तान आलम खां साहब, जो खेर कमेटी के मेम्बर थे, उनका भाषण सुना तो मैंने समझा कि उचित होगा कि मैं भी उस पर कुछ बोलूं। जिस वक्त खेर कमेटी बनी थी सन् ३८ में, उस वक्त उस कांग्रेस गवर्नमेंट ने वह कमेटी बनायी थी या बनी थी जिस कांग्रेस में हम सब लोगों की, हमारी विचार-धारायें उस कमेटी को गाइड करती थीं। और दुःख तो इस बात का है कि उस वक्त हिन्दुस्तान में कांग्रेस एक आर्गेनाइजेशन था, आज तो पार्टी है, उसकी उस कमेटी ने, खेर कमेटी ने उस वक्त जो रिकमेंडेशन किया, अफसोस इस बात का है कि आज उस कमेटी की रिपोर्ट पर कुठाराघात किया जा रहा है। आज हमारे ही लोग जो उस कमेटी की रिपोर्ट से उस वक्त सहमत थे, उनको उसे आज मानने से इनकार है एक बात भी खेर कमेटी की इस अमेंडिंग बिल में नहीं लायी गयी है। मालूम नहीं कि वह बिल जो आने वाला है कब तक आवेगा, लेकिन जिन मामलों में खेर कमेटी ने सिफारिशें की थीं उन्हें आज इस सदन में नहीं माना जा रहा है। माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने कहा कि कमेटी जितनी छोटी होती है उतनी ही अच्छी होती है। मुझे अफसोस है कि हमारे माननीय मित्र को हिन्दुस्तान की कांस्टीटुएंट असेम्बली में बोलने का मौका नहीं मिल सका। वहां अगर वे इस प्रकार की राय का इजहार करते तो शायद यह सदन जो २२८ मेम्बरों का था, आज ४३१ मेम्बरों का नहीं होता या और भी कम का हो जाता।

एक तरफ तो आप कहते हैं क्योंकि एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया है, वोटर लिस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, जहां हमारे प्रान्तीय असेम्बली में २२८ मेम्बर थे वहां ४३१ मेम्बर हो गये हैं लेकिन जब म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव की बात आती है और हम कहते हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइज होने की वजह से लोगों का वोटर लिस्ट काफी बढ़ गया है और म्युनिसिपैलिटियों के मेम्बरों की तादाद बढ़ायी जाय तो आप दूसरे ढंग से घुमा फिरा कर बातें करने लगते हैं वैसे तो यह इसलिये भी जरूरी है कि यहां तो हम क़ानून बनाते हैं लेकिन म्युनिसिपैलिटीज में तो मुहल्लों मुहल्लों में रोशनी है या नहीं, मुहल्लों में सड़कें ठीक हैं या नहीं, ये चीजें तो तभी ठीक हो सकती हैं जब ज्यादा से ज्यादा मेम्बरान म्युनिसिपैलिटीज में हों। आज यह कहना कि जितने कम मेम्बर वहां रखे जायं उतना ही म्युनिसिपैलिटीज का काम अच्छा होगा। यह चाहे माननीय मिश्र जी के शब्दों में व्यावहारिकता हो बल्कि एसी अव्यावहारिकता है जो देखने में नहीं आई, हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या है कि हम चाहे कोई अच्छी से अच्छी चीज भी पेश करें उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन वही अगर दूसरे किसी माननीय सदस्य से पेश करवा दें तो माननीय मन्त्री जी उसको स्वीकार कर लेंगे। आज हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने खेर कमेटी की बहुत सराहना की है लेकिन सराहना करने से ही क्या होगा उसकी एक भी बात मान ली जाती तो ठीक था। और बातों में न मानते तो चुनाव के सिलसिले में तो मान लें कि कितने मेम्बर होने चाहिये और अगर उतनी नहीं तो कम से कम जितने पहले थे वह तो कम से कम रखें। एक दो मेम्बर्स पहले साल में हुआ करते थे तो बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। वे लोग अपनी कांस्टीटचुयेंसी में नहीं जा सकते थे और न वहां की जनता की तकलीफ़ों को देख सकते थे। आज जो बहुत ज्यादा असेम्बली मेम्बर्स हो गये हैं और इलाक़े में लोग जा सकते

हैं और अपने लोगों की तकलीफ़ों को हुकूमत के सामने रख सकते हैं और मैं समझता हूं कि अगर वही उद्देश्य हमारी प्रान्त की असेम्बली के मेम्बरों के बढ़ाने में था तो क्या वजह है कि आज हम म्युनिसिपैलिटीज के मेम्बर्स को कम से कम रखना चाहते हैं। मुझे खुशी एक बात की है कि हमारे माननीय मन्त्री जी जिनको कि कल हमारे मलल साहब ने कहा था कि इस राजनीतिक अखाड़े के वह माहिर हैं उनको एक बहुत बड़ा अखाड़ा मिला है क्योंकि चुनाव होंगे, जिला बोर्डों के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे और यह सौभाग्य उन्हीं के पास है और इसमें जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर ज्यादा मेम्बरान म्युनिसिपैलिटीज के लिये नियुक्त हों तो उसमें उनको ज्यादा घूमना पड़ेगा और हर जगह जाना पड़ेगा और थोड़े से मेम्बर होंगे तो एकआध दफ़ा जा कर जो कुछ एलेक्शन में हो सकता है वह कर लेंगे। इतने शब्दों के बाद मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी श्री गेंदा सिंह जी के कम से कम २० और ज्यादा से ज्यादा ८० के संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री ऐजाज रसूल--जनाब वाला, मैं भी इत्तिफ़ाक़ से खेर कमेटी का मेम्बर था और उसके बाद जो असेम्बली में तरमीम हुई उस वक्त भी यहां का मेम्बर था लिहाजा इस हैसियत से मैं इस खेर कमेटी की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। आप पहले तो यह मुलाहिजा कीजिये कि म्युनिसिपैलिटी के कांस्टीटयूशन के बारे में कमेटी की रिपोर्ट यह थी--

"The strength of a municipal board should be fixed on the basis of the population according to the following scales."

उसके अलावा जो रिकमेंडेशन था वह यह था :-

"88(*a*) Every district or municipal board should have an executive committee which should be responsible for carrying out the policy of the board.

(*b*) The executive committee should consist of seven to thirteen members (5 to 13 in the case of municipalities). . . . ."

तो आप यह देखेंगे कि जब इस कमेटी की रिपोर्ट हुई उस वक्त उसमें १२५ मेम्बर थे और तमाम काम निकाल कर एक एक्जिक्यूटिव कमेटी के सुपुर्द कर दिया जिसमें पांच से सात मेम्बर थे। खेर साहब उस वक्त पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे, सन् १९४९ में जब तरमीमी ऐक्ट आया वह खुद मिनिस्टर थे उन्होंने बजाय १२५ के ८० की तादाद कर दी। तो इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि आप म्युनिसिपल ऐक्ट की दफ़ा ८८ में लिखा हुआ है कि मामूली मीटिंग का कोरम एक चौथाई होना चाहिए और स्पेशल मीटिंग का आधे से ज्यादा होना चाहिए। तो जितने जायद आदमी आप रखेंगे मीटिंग होने में उतनी ही मुश्किल पड़ जायगी। स्पेशल मीटिंगों में तो रेजोल्युशंस हो ही नहीं सकेंगे, तीन-तीन मरतबे मीटिंगें पोस्टपोन करनी पड़ेंगी जैसा कि दफ़ा १८ में है कि पहली मरतबा अगर कोरम न होगा तो मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी, दूसरी मरतबा अगर फिर कोरम न हुआ तो फिर पोस्टपोन करनी पड़ेगी और तीसरी मरतबा अगर फिर न हुआ कोरम तो फिर पोस्टपोन करनी पड़ेगी। फिर चौथी मरतबा जितना कोरम होगा उसी में मीटिंग हो सकती है। आप जानते हैं और जैसा कि हमारे अपोजीशन के मेम्बर साहबान ने खुद तसलीम किया है कि वह मीटिंग अटेंड ही नहीं करते, तो एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि मीटिंगों में कोरम नहीं होता और दूसरी तरफ यह ख्वाहिश करते हैं कि मेम्बरों की तादाद बढ़ा दी जाय। यह दोनों बातें अनकंसिस्टेंट हैं।

बदकिस्मती से मैं भी चेयरमैन हूं और आज से नहीं कम से कम २५ वर्ष से हूं। और अबतक चला आ रहा हूं। इसलिए मुझे भी म्युनिसिपैलिटीज के मामलात से वाक़फियत है। जितने ज्यादा मेम्बर होंगे उतनी दिक्कतें और बढ़ेंगी। नतीजा क्या होगा कि हर मेम्बर साहब की ख्वाहिश होगी कि हमारे यहां लालटेन बढ़ जायं, रास्ते ठीक हो जाय और बहुत सी चीजें हैं। तो इससे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं।

[श्री ऐजाज रसूल]

दूसरे वहां तो मुख्तलिफ इंतजामात करने होते हैं। वहां यहां की तरह कोई क़ानून तो बनाना नहीं होता है। वहां तो यहां की तरह डिबेट होते नहीं हैं वहां का तो रोजाना का इंतजाम करना है और इसके अलावा अगर कोरम न पूरा हुआ तो मीटिंगें पोस्टपोन हो जायंगी। और हर सब कमेटी की रिपोर्ट बोर्ड के सामने आती हैं, जैसे आक्ट्रायज या बिल्डिंग कमेटी है वैसी ही दूसरी कमेटियां होती हैं इन सब कमेटियों की रिपोर्ट जब तक बोर्ड से मंजूर न हो जाय तब तक उन पर काम नहीं हो सकता तो अगर कोरम न हुआ तो इससे जनरल टैक्स पेयर्स को बहुत परेशानी होगी। इसलिए यह मुनासिब समझा गया कि ज्यादा मेम्बर न रखे जायं। अब जैसे लखनऊ या कानपुर शहर है उनकी आबादी देखते हुए ५० की तादाद ठीक है। अगर यहां कारपोरेशन बनेगी तो उसके लिए दूसरा बिल आयेगा लेकिन जैसे मेरठ, बरेली और दूसरे बड़े शहर हैं उनका इतना बड़ा रक़बा है कि अगर वहां जायद मेम्बर न रखे जायं तो मुश्किल होगी। लेकिन छोटी-छोटी म्युनिसिपैलिटीज जो हैं जिनकी जैसे दस हजार की आबादी है, क्योंकि दस हजार की आबादी वाली टाउन एरिया अब म्युनिसिपैलिटीज हो गयी हैं, उनमें बहुत ज्यादा तादाद हो जायगी। इसलिये यह खयाल किया गया कि इसमें तादाद जो है उसको रिडयूस कर दिया जाय ताकि वहां थोड़े आदमियों से आसानी हो। सिलेक्ट कमेटी में यहां के बिल इस लिए भेजे जाते हैं कि वहां २१ आदमी होते हैं और बड़ी आसानी से वहां हर प्वाइंट आफ व्यू डिस्कस हो सकते हैं और आसानी से अमेन्डमेन्ट हो सकते हैं। तो म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन में किसी के मकान का मामला है और दूसरे को एतराज है और ५० आदमियों का हाउस है तो वहां कैनवेसिंग शुरू होगी और बड़ी दिक्कत, समझाना, बुझाना और लाना यह हो जायगा। थोड़े से आदमी होंगे उनसे तो काफ़ी गुफ्तगू आसानी से हो सकती है और मामलात आसानी से तय हो सकते हैं, वरना जितना हाउस बढ़ जायगा उतना सिटी का ऐडमिनिस्ट्रेशन आसानी से नहीं चल सकता। नतीजा यह होगा कि मीटिंग पोस्टपोन होंगी, बहसें होंगी, लड़ाई और झगड़े होंगे इसलिये इन सब बातों को कंसीडरेशन में रखते हुए यह हमारी गवर्नमेंट ने तजवीज की, कोई ज्यादा फर्क नहीं किया, बल्कि इस ऐक्ट में ८० मेम्बर रखे गये थे अब ५० कर दिये। पहले २० थे अब १५ कर दिये तो मिनिमम की तादाद ५ कम है और मैग्जिमम थोड़ा सा कम हुआ है। तो इन चीजों को देखना चाहिये बजाय इसके कि खेर कमेटी का नाम ले लेना। उन्होंने तो खुद बहैसियत मिनिस्टर १२५ को ८० कर दिया। और पहले उन्होंने ही बहैसियत पार्लियामेंटरी १२५ किया था तो पहले उनका नक़शा और था और दूसरा यह था कि एक एक्जिक्युटिव बनायी जाय और जो अमेंडिंग ऐक्ट है, जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें ५ से कम की कमेटी न बने। तो आप जितने मेम्बर चाहें, कर दें लोगों को खुश करने के लिये लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं। मुझे उम्मीद है कि इन चीजों पर आप गौर करेंगे।

अब यहां मुझे अफसोस है कि जब कोई मेम्बर अपोजीशन के खड़े होते हैं वह कांग्रेस के मेम्बरों और कांग्रेस बेंचों के ऊपर उनकी नीयत पर हमला करने लगते हैं। लेकिन जनता ने, पब्लिक ने कांग्रेस को यहां भेजा और कांग्रेस इतनी ओवरव्हेलमिंग मैजारिटी से यहां आई क्योंकि जनता को कानफिडेंस है अगर आप चन्द आदमियों को कानफिडेंस नहीं है तो उससे कोई असर नहीं पड़ता सिवाय इसके कि कुछ जाती रंज की वजह से पावर में नहीं आ सके इसलिये यूंही शिकायत करते हैं यह मेरे खयाल में गलत बात है। यहां पर किसी को एक दूसरे की नियत पर एतराज नहीं करना चाहिये बल्कि यह चाहिये कि आप हम लोग यहां बैठ कर कांस्ट्रक्टिव काम करने आये हैं, एक दूसरे की नीयतों पर हमला करने नहीं आये हैं। हम यह देखते हैं कि अपोजीशन जब खड़ा होता है तो मेम्बरों और मिनिस्टरों की नीयत पर हमला करने लगता है। यह कहां तक मुनासिब और जायज है? आप इगलैंड में देखिये। वहां भी तो अपोजीशन है और कितना सख्त अपोजीशन है और पार्टीज कितनी सख्त हैं, लेकिन एक दूसरे की नीयतों पर हमला नहीं होता बल्कि कानून के ऊपर एतराजात किये जाते हैं। यहां भी गवनमट को क़ानून के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता कि यह लूपहोल्स हैं तो बेहतर होता।

मैं आशा करता हूं और अपील करता हूं कि आइंदा ऐसी बातें न हों कि इधर से भी जवाब मिलता रहे और दूसरी तरफ से भी मिले। मुझे उम्मीद है कि इन सब चीजों पर गौर करने के बाद गेंदा सिंह साहब अपनी तजवीज को वापस ले लेंगे।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इसलिये खड़ा हुआ हूं कि अपने माननीय सभी सदस्यों से इस बात का निवेदन करूं कि वह वस्तु स्थिति पर पक्षपात रहित विचार करें। मैं यहां पर किसी पार्टी के ऊपर कोई कटाक्ष करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। जो भी इधर से या उधर से रीजनिंग दी गयी है ज्यादातर यह हमारे लेफ्टिनेंट सुल्तान आलम साहब ने कहा कि वह क्वालिटी ज्यदा पसान्द करते हैं क्वांटिटी से।

मैं समझता हूं कि यह आवाज सारे हिन्दुस्तान में बड़े जोरों से लग रही है लेकिन वह अमल में कहां पर कितनी आ रही है इसे हम और आप महसूस करते हैं और खुद सुल्तान आलम खां साहब महसूस कर रहे थे जब वह यह कह रहे थे कि उनका मतलब है कि हर एक हाउस छोटे से छोटा होना चाहिए। मैं समझ रहा था और मैं कह सकता हूं कि उनका मतलब उस वक्त इस अपने हाउस से भी था कि यह भी अगर ४३० का न होता कम का होता तो ज्यादा अच्छी तरह से, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ और सहूलियत के साथ काम चल जाता। क्वालिटी का सवाल जहां आप एक जगह लाते हैं वहां उसे हर जगह लाना चाहिए। मैं आज इस हाउस के ऊपर कोई कटाक्ष करने नहीं जा रहा हूं। स्वयं आप लोग महसूस कर लेंगे कि क्वालिटी और क्वांटिटी का सवाल कहां पर है। आज तो सवाल यह है कि जो चीज हम ऊपर से कर रहे हैं उस चीज को हम नीचे से भी करने को तैयार हैं या नहीं। सवाल यह होता है कि अभी इसी कांग्रेसी सरकार ने ही पंचायतें बनाईं, ग्राम सभायें बनाईं और ग्राम सभाओं में जहां उन्होंने एक हजार की आबादी ली, वहां २५, ३०, २६, ३६ सदस्य रखे। ग्राम सभाओं के लिए २६ और ३६ रखे और इसलिये रखे कि ग्राम सभाओं को हक़ है कि वह अपना साल भर का बजट बनाये और लोगों के ऊपर टैक्सेज लगाये। मैं यह समझता हूं कि यह जो हक़ है ३६ आदमियों का वह भी पूरे ३६ आदमियों का वहां नहीं है। कब क़ानून यह कहता है कि वह जो उसकी एक्जी-क्यूटिव कमेटी हो वह अपना साल भर का बजट बनाये और उस बजट को वह अपनी मीटिंग में मंजूर करने के बाद उस ग्राम सभा के पूरे वोटर्स के सामने जितने भी हों १ हजार, ८ सौ, ९ सौ उनके सामने रखें और अगर वह सब वोटर्स उस बजट को मंजूर करते हैं तब वह टैक्सेज लागू हो सकते हैं और क़ानून जायज है। मेरे भाई यह कहते हैं कि शायद म्युनिसिपैलिटियों में कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है। उनको बाईलाज बनाने पड़ते हैं, उनको टैक्सेज लगाने पड़ते हैं, उनको और दूसरी चीजें करनी पड़ती हैं। आज मैं आपके सामने रखूं, जो कहते हैं कि टैक्सेज नहीं लगाने पड़ते कि जो सब्जी ठेले में लेकर के चलते हैं, हाथ से ठेला चलाते हैं अलीगढ़ में उन पर ५१ रु० साल टैक्स लगा हुआ है। वह बेचारे गंज से उधार लेते हैं दो रुपया, चार रुपया की सब्जी ली, ठेले में डाली और शाम तक बाजार में बेंच दी। क़र्ज निबट गया तो दे आये। उनसे ५१ रु० साल टैक्स लिया जा रहा है। तो यह कहना कि वहां पर कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है और वहां पर कुछ काम क़ानून का करना ही नहीं पड़ता है यह बात समझ में नहीं आई। और एक बात तो ठीक समझ में आ गई कि कुछ लोग यह कहते हैं कि अगर ज्यादा आदमी रक्खोगे तो पार्टीज के लोगों के लिए बहुत नुक़सान होगा। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं। अगर हम ३० के बजाय ८० आदमी रख दें तो हो सकता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, कांग्रेस के आदमी कम संख्या में पहुंचें। यह बिल्कुल साफ मानी हुई बात है लेकिन क्या इस वजह से कि कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के आदमी वहां पर अधिक संख्या में नहीं पहुंच सकते हमें यह समझ लेना चाहिए उस नगर के जो और सज्जन हैं वह जो वहां पहुंचेंगे वे अपने नगर की भलाई को सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए स्वार्थ की बात हमको त्याग देनी चाहिए, अपने दिमाग़ से निकाल देनी चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूं और ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं कि अगर श्री गेंदा सिंह जी का यह सुझाव जो २० और ८० का रखा गया है मैं कहता हूं कि एक बात हम माननीय मन्त्री महोदय को स्वीकार किये लेते हैं कि २० के बजाय १५ रखें और दूसरी बात मंत्री महोदय हमारी मान लें कि ८० के बजाय ७५

[श्री मलखान सिंह]

रख दें। अगर ८० और २० ही कोई जिद की बात है तो मैं तो मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि कम से कम इस संशोधन को वह स्वीकार कर लें और १५ और ७५ रखें। इसमें कोई जमीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ जायगा। सवाल यह है कि बड़े-बड़े शहरों में जैसा कि मेरे और भाइयों ने भी कहा, वहां भी ऐसा सवाल नहीं है कि बिरादरी के ही पहुंच जायंगे।

आज जब कि अडल्ट फ्रेंचाइज है, बिरादरी का कोई नक्कू जो पुराने जमाने में अपने पैसे के लिहाज से आ सकता था, आज ग़रीब जो उसी बिरादरी के हैं, उसके नाम पर वोट देने के लिये तैयार नहीं हैं। तो मैं आपसे यह कहने के लिये आया हूं कि अडल्ट फ्रेंचाइज होते हुये आप वही तादाद रखें जो पहले जमाने में थी, यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। सिकन्दराराउ म्युनिसिपैलिटी के बारे में मैं आप को बतलाऊं कि उसमें १५ मेम्बर हैं और वहां की मर्दुमशुमारी सन् १९५१ के हिसाब से १० हजार ९५९ है, यानी ११ हजार के क़रीब। आप २५ हजार पर १५ कर रहे हैं और वहां ११ हजार पर १५ हैं। इस तरह जो आप कर रहे हैं उसके मानी यह हैं कि एक ओर तो आप जनतंत्रवाद की प्रणाली को बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को उसका पाठ सिखाना चाहते हैं कि लोग अपने आप अपना काम कर सकें और दूसरी ओर आप यह सिखा रहे हैं कि ये लोग आही न सकें, कोई तैरना सीखे ही नहीं। तो यह तो ऐसी बात है कि आप उस प्रजातंत्र प्रणाली की जड़ पर ही कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यह जो नम्बर है इसको बढ़ाने में आप का या किसी और का कोई नुक़सान नहीं है, बल्कि आप का फर्ज हो जाता है कि जब आप और हम चुन करके ४३० यहां बैठे हुये हैं सन् १९५१ की आबादी के अनुसार अडल्ट फ्रेंचाइज पर, तो हमारा और आप का यह क़ानून बना देना कि अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी में ५८ हजार की आबादी है, लेकिन मेम्बर ३० ही रहेंगे, तो यह तो वही चीज हुई कि हमारे पास ताक़त है इसलिये हम ऐसी चीज करेंगे। हम समझते हैं कि जो चीज हम अपने लिये मुनासिब समझते हैं वही हमें दूसरों के लिये भी मुनासिब समझनी चाहिए अगर हम इस सिद्धांत पर काम करें तो फिर कोई लांछन नहीं लगायेगा। किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर लांछन लगाना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं जब तक कि कोई मजबूरी न आ जाय। इसलिये इस बात को मानते हुये और जैसा कि हमारे एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि हम को दूसरों पर छींटा नहीं कसना चाहिये, बगैर छींटाकसी किये हुये मैं अपील करूंगा कि यहां पर अक्सर यह कहा जाता है कि हमको जनता ने भेजा है, इसलिये हम को हक़ है सब कुछ बनाने का, तो मैं आपके उस हक़ को छीनूंगा नहीं, लेकिन मैं आप से यह कहता हूं कि जिस हक़ को ले करके आप यहां आये हैं उसी हक़ को आप दूसरों को देने में क्यों हिचकिचाते हैं। यह आप को सोचना है। जब अडल्ट फ्रेंचाइज पर आप २२८ से ४३० हो जाते हैं और ग्राम पंचायतों में तीस तीस मेम्बर रखते हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि म्युनिसिपैलिटियों में आप कम मेम्बर रखें। बहुत से भाइयों ने कहा कि वहां कोई कमेटी नहीं होती है। वहां एजूकेशन कमेटी होती है, वहां पब्लिक वर्क्स कमेटी होती है, वहां सफाई की कमेटी होती है और बहुत सी कमेटियां होती हैं। वहां बजट बनाने के लिये आर्थिक कमेटी होती है और वह यह देखती है कि किस तरह से हमारी म्युनिसिपैलिटी की आमदनी बढ़े। वहां कमेटियों की कमी नहीं है। इसलिये मैं आप के सामने यह निवेदन करूंगा कि जो हमारे विरोधी पक्ष में बैठे हुये लोग हैं वे सब इस बात पर ग़ौर करें कि जो मैंने बात कही है, वह अगर उनको रीजनेबिल मालूम पड़े तो वे भी और माननीय मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर लें। इस समय कोई समय नष्ट करने का सवाल नहीं है। इतने दिनों से आप ने देखा होगा कि मैं समय व्यर्थ खोना नहीं चाहता। वैसे तो मैं तीन-तीन, चार-चार घंटे बोल सकता हूं। यदि मैं बोलने पर आ जाऊं तो पांच बज जायंगे, परन्तु ऐसी मेरी नियत नहीं है। मैं फिर आप से अपील करूंगा कि यदि आप इस चीज को मान जायंगे तो इससे जनता का फायदा होगा, आप का फायदा होगा और यह भी होगा कि जिस उसूल से आप आये हैं उसको भी आप मानेंगे। इसीलिये जो संशोधन गेंदा सिंह जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, कहा है "अर्थी दोषो न पश्यति" के अनुसार जो अर्थी होता है वह दोष नहीं देखता। हमारे माननीय मलखान सिंह ने अभी इसी हाउस की मिसाल दी, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आज जनता में क्या आवाज है। जनता नारा लगाती है, पिछली गवर्नमेंट में २२८ मेम्बर थे तो अब दूने हो गये हैं, रोज़ एतराज़ होता है कि इतने मेम्बरों की क्या ज़रूरत है। मैं निहायत अदब के साथ अपने लायक दोस्त श्री गेंदा सिंह से कहना चाहता हूं कि जो १५ और २० का रेशिओ यहां रखा गया है, उससे ऐसा मालूम होता है कि गेंदा सिंह जी कोई अलजबरा की प्राबलम साल्व कर रहे हैं। १५ या २० में क्या फर्क़ है, जैसे १५ वैसे २०। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि वैसे तो हम ५ हैं, लेकिन गैर के मुक़ाबले में १०५ हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे १५ वैसे २० और फिर बड़े शहरों के लिये कहा गया, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद में गवर्नमेंट खुद सोच रही है और वहां कारपोरेशन खोलने जा रही है, जिसके लिये दूसरा क़ानून होगा और इस सदन के सामने पेश होगा। दूसरी बात यह है कि जितने रिप्रेजन्टेटिव यहां इस सदन के अन्दर मौजूद हैं वे सवा-सवा डेढ़-डेढ़ लाख आबादी पर हैं। मैं बस्ती की मिसाल देता हूं, बस्ती ज़िला की आबादी २६ लाख है, वहां से १८ मेम्बर हैं, वहां से डेढ़ लाख के क़रीब औसतन आबादी पर एक मेम्बर आया है। हमारे प्रान्त के जितने भी नगर हैं, उनमें डेढ़ दो लाख से जायद आबादी नहीं है। लेकिन यह जो क़स्बे हैं, जहां म्युनिसिपैलिटीज़ में १५, २० मेम्बर तक रखे गये हैं, वहां ५० और ८० कर दिये जांय, श्री मलखान सिंह ने कहा कि ७५ कर दिये जायं, क़ानून में रियायत तो नहीं होती, क़ानून जज किया जाता है, तौला जाता है और एक निहायत सुन्दर चीज़ रख दी जाती है ताकि आगे आने वाले लोग यह न कह सकें कि यहां से क़ानून ग़लत बनाया गया। जो क़ानून बनता है, नीचे जाकर अदालतों में वकील उस पर बहस करते हैं और तमाम एतराज़ात होते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जितने साहबान यहां बैठे हैं, उनका परम कर्त्तव्य है कि एक सुन्दर क़ानून यहां से बन कर जाय ताकि जिन लोगों ने हमको एलेक्ट करके यहां भेजा है, उनको एतराज़ न हो सके। उधर से राम नारायण जी ने कहा कि शंका है, लघु शंका है, दीर्घ शंका है या कौनसी शंका है, उन्होंने शंका की डेफिनीशन नहीं की। मेरा निवेदन यह है कि जो चीज यहां कही जाय वह ढंग से कही जाय। कहा गया है कि हर मुहल्ले में इतने मेम्बर बढ़ा दिये जायं कि हर मुहल्ले की लालटेन और सड़क को देखें। मैं कहता हूं कि जैसे २० वैसे १५। मेम्बर चौकीदार तो नहीं होते कि वह जाकर म्यूनिसिपैलिटीज की निगरानी करें, वहां चेयरमैन होंगे, एक्जीक्युटिव आफीसर होंगे और चौकीदार होंगे, वह इसको देखेंगे। हमारी जो ड्यूटी है वह हम देखें कि वहां का कानून कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है, यह नहीं कि लालटेन बुझाएं और जलायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ आपके द्वारा श्री गेंदा सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने इस अमेंडमेंट को वापस करें। कोई बड़ा डिफरेन्स नहीं है। एक कानून बना देने से समाज का और पार्टी का नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। अगर मेम्बर कम होंगे तब भी आप आ जायेंगे और ज्यादा होंगे तब भी आ जायेंगे। आज मिसाल यहां मौजूद है, हम ३९० हैं और आप २४, २५ उस तरफ बैठे हुए हैं। यहां छोंटाकशी का जिक्र नहीं है। इसका फैसला हो गया था एलेक्शन के दिन। आज कहा जाता है और हमेशा कहा जाता है कि हम ४० परसेन्ट पर हैं, मैं कहता हूं बकाया ६० परसेन्ट आपने क्यों नहीं ले लिये। एक मिसाल बताता हूं इस सदन की कि यह सदन इतना बड़ा है, लेकिन बकिया पार्टी टिमटिमाती लाइट की तरह नजर आती है। यू शुड गो टू दि मासेज। यहां प्रीच करने से काम नहीं चलता है। इन शब्दों के साथ मैं आपके अमेंडमेंट का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसे वापस ले लेंगे।

श्री श्याम लाल (जिला गोंडा)--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का दुख के साथ विरोध करता हूं। उनके संशोधन को मान लेने से मेरे शेड्यूल्ड कास्ट के कुछ मेम्बर तो बढ़ ही सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है, मैं सन् १९२८ से आज तक और अब भी म्यूनिसिपल बोर्ड का मेम्बर हूं। मुझे कुछ इसका तजुर्बा है। (एक सदस्य--नामनेटेड या एलेक्टेड ?) कुछ भी हूं, मगर ताकत तो दोनों की वही है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण बीच में बोलने की कृपा न करें।

श्री श्यामलाल--डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें सबसे पहली दिक्कत यह होती है कि कोरम का बड़ा अभाव हो जाता है, बोर्ड्स के अन्दर। और यहां तक देखा गया है कि अच्छे से अच्छे मामले भी कोरम के न होने की वजह से पड़े रह जाते हैं और नतीजा यह होता है कि कोरम न होने से दूसरी मीटिंग जो वहीं होती है, उसमें कोरम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस वक्त एक मेम्बर या दो मेम्बर या चेयरमैन अकेले ही जाकर के सारे मामले को तय कर देते हैं। यह दिक्कत ऐसी दिक्कत है कि जिसकी वजह से यह जरूरी है कि तादाद कम हो, ताकि कोरम भी कम हो। ऐसा भी देखा गया है कि बजट के अन्दर बहुत से मेम्बरान यह चाहते हैं कि हम अपने मुहल्ले के लिये हर किस्म की सहूलियत के लिये पैसा रखायें। लेकिन जब वह टाइम से नहीं आते, और टाइम भी देखा जाता है कि ५ बजे कि अगर मीटिंग है तो सवा ५, साढ़े ५, ६ बजे तक मेम्बर साहबान तशरीफ लाते हैं। तो उस वक्त भी ऐसा होता है कि कोई चेयरमैन अगर अच्छा है और उनकी नियत ठीक है तो वह बेचारे १० मिनट का और टाइम दे देते हैं। लेकिन मजबूर होकर फिर मीटिंग एडजर्न कर देनी पड़ती है। तो उस वक्त जो बजट में लोग रुपया रखाना चाहते हैं वह नहीं रखा पाते। तो एक दिन की मीटिंग जो दूसरे दिन होती है कोरम के बाद उसमें १, २ या ४ साहबान आते हैं और अपने-अपने मुहल्लों के लिये रुपया बांट लेते हैं और बाकी वैसे ही रह जाते हैं। तो जितनी ज्यादा आप तादाद बढ़ायेंगे उतना ही कोरम आपको परेशानी में डालेगा। कहा यह गया कि साहब, इस सूबे में २२८ से ४३० मेम्बर हो गये। तो मेरा खयाल है कि दूसरी तरफ मेरे भाइयों ने खयाल नहीं किया। वह तो सेन्टर की तरफ से तादाद मुकर्रर की गयी है कि डेढ़ लाख के ऊपर एक सीट। तो डेढ़ लाख के ऊपर जब एक सीट रहेगी तो आपके सूबे की तादाद बहुत बड़ी है, इसलिये आपको ज्यादा मेम्बर मिले और दूसरे सूबे जो छोटी तादाद के हैं, उनमें किसी को ६० मिले, किसी को ८० मिले और किसी को डेढ़ सौ मिले। तो यह कोई ऐसी बात नहीं है कि यह तादाद जबरदस्ती डबल हो गयी तो और सब जगह की डबल कर दी जाय। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उन म्युनिसिपैलिटियों को, जिनकी २५ हजार की आबादी है, उनको १५, उसके ऊपर २२ और आखिर में उन्होंने ५० तक किया, तो यह ठीक है। जिस हिसाब से किसी म्युनिसिपैलिटी की आबादी होगी उसी तरीके से वहां सीटें मिल जायेंगी। तो यह मुमकिन है कि किसी म्युनिसिपैलिटी का कोटा इतना बढ़ जाय कि उसको डबल सीटें मिल जायं। फिर पिछले सेंसस की बात मुझको मालूम है कि उसमें सैकड़ा पीछे १०, १२ की तादाद में आदमी बढ़े। और इस वक्त माननीय मन्त्री जी ने ४२-४१ के बजाय ५० रखी हैं तो मेरा खयाल है कि कि ८-१० सीट्स बढ़ गयीं। अगर इस रेशियो में देखें तो आपकी ५० सीट्स रखने में भी बढ़ गई हैं। मेरा खयाल है कि दिक्कत ज्यादा नहीं है और बातों का देखना बहुत जरूरी है। हर तरह से बोर्ड के अन्दर देखें और कोई कमेटी बना दें और यदि उसमें ज्यादा आदमी रखें तो फैसला करने में ज्यादा दिन लगेंगे और यदि थोड़े आदमी रखे जायं तो फैसला करने में काफी जल्दी हो जाती है। ऐसे ही अगर बोर्ड्स में कम आदमी रखें तो मेरा खयाल है और अनुभव है कि काम बहुत अच्छा हो सकता है और जल्दी हो सकता है और काम में सहूलियत भी होगी। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं श्री गेंदा सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं एक माननीय सदस्य को मौका दे चुका हूं। इसके बाद इस पर विचार किया जायगा।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। म्युनिसिपल ऐक्ट, १९१६ का संशोधन १९४९ में हुआ था। उसमें एक नोटिफिकेशन द्वारा यह तय हुआ था कि म्यूनिसिपैल्टीज में कितनी-कितनी सीट्स होनी चाहिए।

यह तय हुआ था कि आगरा और इलाहाबाद म्यूनिसिपैल्टीज में ६० और कानपुर में ७२ मेम्बर्स होने चाहिए और दूसरी म्यूनिसिपैल्टीज में ५० से कम संख्या है। लेकिन इसके अनुसार म्यूनिसिपैल्टीज में चुनाव कभी भी नहीं हुआ। दफा ९ में जो संशोधन हुआ था उसमें २० से लेकर ८० तक तय हुए थे। लेकिन आज इस सम्बन्ध में एक लम्बा विवाद उपस्थित है, इसमें बड़ा संघर्ष है कि कितनी संख्या हो।

वास्तव में रिप्रेजेन्टेशन का प्रश्न बहुत ही लम्बा है। जब ऐडल्ट फ्रेन्चाइज का प्रश्न है तब तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। इस तरह से २०–२५ की संख्या या जो खेर कमेटी की रिपोर्ट में संख्या है, उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न विचारणीय हो गया है। मैं समझता हूं कि म्यूनिसिपैल्टीज का रिप्रेजेन्टेशन असेम्बली की तरह से नहीं है। एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि असेम्बली के सदस्यों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गयी है। यह प्रश्न वाद-विवाद का विषय हो चुका है। म्यूनिसिपैल्टीज में कानून नहीं बनते हैं, लेकिन रिप्रेजेन्टेशन के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि थोड़ी सी कमी है, क्योंकि वहां पर वोकेशनल रिप्रेजेन्टेशन की जरूरत होती है। यदि म्यूनिसिपैल्टीज में पेशेवर लोगों का रिप्रेजेन्टेशन हो जाय तो काम ज्यादा अच्छा होगा और काम में सहूलियत होगी। यह कानून बनाने में ध्यान नहीं दिया गया है। यह प्रश्न कि १५ व ५० संख्या हो या २० या ८० हो, महत्वहीन हो जाता है। यदि म्यूनिसिपैल्टीज में जैसा कि मैंने कहा कि १९४९ के संशोधित ऐक्ट के अनुसार ३/४ म्यूनिसिपैल्टीज में ही ५० से अधिक संख्या है। माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि वह कारपोरेशन बनाने का खयाल है, तब तो अलग संख्या निश्चित होगी। शेष म्यूनिसिपैल्टीज में ५० से अधिक संख्या नहीं है। इसलिये यह अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। लेकिन मैंने जो वोकेशनल रिप्रेजेन्टेशन का प्रश्न रखा है उसको ध्यान रखना चाहिए कि वह लोग जो खास तरीके का पेशा करते हैं जैसे मेहतर हैं, हलवाई हैं, इनका रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए जो नहीं होता है, बल्कि मास रिप्रेजन्टेशन होता है, उसमें ऐसे लोग पहुंच जाते हैं कि उनसे कोई लाभ नहीं हो पाता है। मैं समझता हूं कि म्यूनिसिपैल्टीज और लोकल बाडीज में इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।

एक प्रश्न और उपस्थित है और वह यह है कि हमारे देश में म्यूनिसिपैल्टीज का काम अधिक संख्या से हो सकेगा या कम संख्या से हो सकेगा। म्यूनिसिपैल्टीज जो हैं, उनका जो क्षेत्र है, उसमें ज्यादातर जो आदमी पहुंचते हैं, वे पढ़े लिखे आदमी होते हैं। क्रीम आफ इन्टेलिजेन्शिया वहां पहुंचती है। लेकिन आज जो ऐडल्ट फ्रेन्चाइज है, उस दृष्टिकोण से जो रिप्रेजेन्टेशन होता है वह एक ही विचार-धारा का रिप्रेजेन्टेशन पहुंच पाता है, एक ही तरह के लोग जाते हैं। इसलिये भी वहां वोकेशनल रिप्रेजेन्टेशन की आवश्यकता है।

श्री व्रज बिहारी मिश्र ने कहा कि अधिक संख्या होने से इन-एफीशियेन्सी आ जायेगी। हो सकता है कि ऐसा हो। इस सदन की एफीशियेन्सी में तो कोई कमी आई नहीं। हां, कम संख्या होने से यह आवश्यक है कि एक ही तरह का रिप्रेजेन्टेशन होता है, तरह तरह की विचारधारा के लोगों का रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो पाता। इस दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि वोकेशनल रिप्रेजेन्टेशन का होना अत्यन्त आवश्यक है और उसे लाने की कोशिश की जाय।

१९४९ में जो कानून का नोटिफिकेशन हुआ था उसको कार्यान्वित नहीं किया जा सका। अब जो म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव होगा उनमें उसे कार्यान्वित किया जा सकेगा। जैसा कि स्वशासन मन्त्री जी ने बताया है, इसमें १५ और ५० की संख्या देश-विदेशों और अन्य प्रदेशों की संख्या के अनुरूप रक्खी गयी है। यह संख्या मैं समझता हूं कि कम नहीं है, जबकि बड़े-बड़े नगरों को कारपोरेशन बनाने की बात रक्खी गयी है। १५ और ५० की संख्या इसलिये कम मालूम होती है, क्योंकि जो ऐडल्ट फ्रेन्चाइज हो गया है, कोशिश तो यह की जाती है कि अधिक से अधिक रिप्रेजेन्टेशन हो तो अच्छा है। मुझे भय है कि यदि हमारी तरफ से १२५ की संख्या होती तो मुमकिन है कि विरोध होता कि संख्या बहुत है, कम रक्खी जाय क्योंकि खर्चा बहुत होता है और टी० ए० का सवाल उठाया जाता। लेकिन जैसा

[श्री पद्मनाथ सिंह]

मैंने कहा कि यह १५ और ५० और ८० की संख्या महत्वहीन हो जाती है। बात जो खटकती है वह यह है कि डेमोक्रेसी के समय में, जब हम म्यूनिसिपैल्टीज और लोकल बाडीज को प्रधानता देते हैं तो जिनका रिप्रेजेन्टेशन होता है तो उनके प्रतिनिधि अपनी-अपनी कौम व पेशे के दृष्टिकोण से और अपने स्वार्थों की रक्षा करने के दृष्टिकोण से जाते हैं। लेकिन अगर वोकेशनल रिप्रेजेन्टेशन की पालिसी को अपनाया जाय तो ज्यादा अच्छा होता। इस दृष्टि से मैं एक ही दृष्टिकोण वोकेशनल रिप्रेजेन्टेशन को सदन के समक्ष रखना चाहूंगा और आशा है कि इस पर गम्भीरता से विचार होगा।

श्री उपाध्यक्ष--बहस समाप्त करने का प्रस्ताव पेश हो चुका है और मैं समझता हूं कि एक प्रकार से सभी पक्षों के लोगों को काफी मौका दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त और भी दो-तीन संशोधन इसी कार के हैं, जिनपर माननीय सदस्य अपनी राय प्रगट कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--११४
विपक्ष में--१५)

श्री उपाध्यक्ष--मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जहां तक मुझ से बन पड़ता है, मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को काफी मौका दिया करता हूं। अगर संख्या के अनुपात से देखा जाय तो शायद उनको इतना समय मिलना मुश्किल हो जाय। ऐसा रवैया रहता था कि जो लोग बोलना चाहते हों वे अपने नाम का एक पर्चा लिखकर मेरे पास भेज दिया करते थे, किन्तु आज कोई चिट मेरे पास नहीं आई, फिर भी मैंने आज अपनी तरफ से पूरा मौका विरोधी पक्ष को दिया है। इस प्रकार से विभाजन की मांग करके नाराजी प्रदर्शन करना बहुत अच्छा नहीं मालूम होता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--श्रीमन्, हम तो यह चाहते थे कि उन लोगों की कुछ और स्पीच सुनने का मौका मिल जाय।

श्री गेंदासिंह--माननीय सदस्यों में से जिन लोगों ने इस बहस में हिस्सा लिया, अब मैं उनके बारे में कोई ऐसी राय नहीं जाहिर करना चाहता, लेकिन जैसा माननीय स्वशासन मन्त्री ने कहा कि जितना ही चुनाव का क्षेत्र छोटा होगा उतना ही प्रतिक्रियावादियों के लिये मौका मिलेगा और जितना ही बड़ा क्षेत्र होगा उतना ही प्रगतिशील लोगों के लिये मौका रहेगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि क्या माननीय सदस्य अपने जवाब में नए प्वाइन्ट्स ला सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--जो बातें आ चुकी हैं उन्हीं पर वह अपना भाषण कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैं तो नया प्वाइन्ट छूऊंगा ही नहीं, लेकिन माननीय स्वशासन मन्त्री जी ने जो कहा है उसके विषय में तो मुझे कहने का अधिकार है ही और माननीय शुक्ल जी को भी मुझे उसपर कहने की इजाजत देना ही चाहिए। मैं यह अर्ज करना चाहता था कि शायद जिस वक्त पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व का कानून पेश था, उस समय संभवतः मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो माननीय स्वशासन मन्त्री जी भी उस पार्लियामेंट के सदस्य थे और उस समय उन्होंने वहां पर अपनी यह राय नहीं जाहिर की कि पार्लियामेंट जो अपने पुराने क्षेत्रों को छोटा कर रही थी और जो हमारी पुरानी मांग थी कि एक लाख पर हमारा प्रतिनिधित्व असेम्बली में हो तो पार्लियामेंट में जब चुनाव क्षेत्रों को छोटा करने का विचार चल रहा था, उस समय उन्होंने वह विचार जो आज यहां पेश किया वह वहां नहीं रखा और यदि यह विचार उन्होंने वहां रखा होता, तो मैं समझता हूं कि इन असेम्बलियों का स्वरूप कुछ और ही होता। माननीय स्वशासन मंत्री

की इस युक्ति से मैं इत्तिफाक करूं या न करूं, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने जो युक्ति पेश की है उसका अर्थ है कि जिस अनुपात में चुनाव क्षेत्र छोटा हुआ उसी अनुपात से पिछली असेम्बलियों में प्रतिक्रियावादी तत्व अधिक आये। यदि खेर कमेटी की सिफारिशों को असेम्बली नामन्जूर करती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। माननीय स्वशासन मन्त्री जी की युक्ति के मुताबिक यह सही है, क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि जितना छोटा क्षेत्र होगा उतनी ही प्रतिक्रियावादी ताकतें ज्यादा सफल होंगी। मेरी तो हिम्मत नहीं होती है और मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि मौजूदा सदन प्रतिक्रियावादी शक्तियों से भरा है लेकिन माननीय स्वशासन मन्त्री जी के कहने का अर्थ यही होता है। मुझे वह क्षमा करेंगे कि मैं उनकी इस युक्ति से इत्तिफाक नहीं करूंगा।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

यह जरूर है कि खेर कमेटी की सिफारिशों को नामन्जूर करते हुए कोई दलील नहीं देते और हमें समझाने की कोशिश नहीं करते जब भी हम कोई बात करते ह तो उनको बदकिस्मती हमारी है यह गलतफहमी हो गयी है कि हम कोई शाब्दिक बहस करना चाहते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि वह ऐसा समझें कि हम लम्बी बहस के आदी हैं, हम तो ठेठ किसान हैं और लम्बी बात करना भी नहीं जानते, केवल सीधी-सादी भाषा में अपनी बात कह देते हैं। हमें अगर वह समझा दें कि एक लाख पर असेम्बली में एक प्रतिनिधि भेजने का क्या अर्थ था, क्योंकि हमने यह आवाज लगायी थी कि हम एक लाख पर अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से ज्यादा मेम्बर भेजने की सहूलियत दी गयी, सारी चीजें छोटी की गईं, तो मैं समझता हूं कि म्युनिसिपल कमेटियों में, जो माननीय स्वशासन मन्त्री के हाथ में इस समय हैं उस पर उनकी क्यों इतनी अकृपा है कि वह यह करना नहीं चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कौन सी कमेटी नहीं बढ़ी है, कौन सा मंत्रिमंडल नहीं बढ़ा है, बढ़ा है और मैं समझता हूं कि उनकी मजबूरी है और उन्होंने उनको बढ़ाया है, क्योंकि काम बढ़ा है और इतना बढ़ा है कि उसको करना उनके लिये कठिन हो गया। अगर हम म्युनिसिपल कमेटी में भी मेम्बरों की संख्या बढ़ावें तो जो युक्ति खेर कमेटी की है उससे हम अधिक सफल रहें। हम उससे नाकामयाब नहीं रहे।

दूसरे माननीय सदस्यों ने जो अपनी राय जाहिर की है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वे मुझे व्यावहारिक मानते हैं और यह इसलिये कि उनकी कृपा मेरे ऊपर है और मैं सीधीसादी बात कह देता हूं। यदि यह विचार होता कि म्युनिसिपल कमेटी में अधिक मेम्बर होंगे और वहां उनके आने-जाने का मार्ग-व्यय या एलाउंस देने में बहुत अधिक खर्च होता तो उनके विचार को फिर समझ लेने की बात हम सोचते और समझते कि माननीय मंत्री जी म्युनिसिपैलिटी को खर्चे के बोझ से बचाना चाहते हैं। लेकिन जहां खर्चे का बोझ बढ़ने वाला है वहां भी माननीय स्वशासन मंत्री ने कभी आज तक अपनी यह राय नहीं दी कि उसे कम करना चाहिये। आज से पहले जो मंत्री जी का कार्यक्षेत्र रहा है वह सारे देश का रहा है। क्या कभी भी वह इस बात का उदाहरण पेश कर सकेंगे कि जिस दल के वह नेता हैं उसमें कभी भी इस तरह का प्रस्ताव लाये कि पार्लियामेंट और असेम्बलियों की संख्या, मेम्बरों की न बढ़ाई जाय, क्योंकि उसमें जनता के पैसे के खर्च होने का सवाल है। अगर एक भी उदाहरण वह दें तो मैं सोचने के लिये तैयार हूं कि अपना अमेंडमेंट वापस लूं। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कभी उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव अपने दल के सामने नहीं रखा है कि जनता का पैसा खर्च करने के जो साधन हैं, असेम्बलियां इत्यादि हैं, उनके सदस्यों की संख्या कम की जाय।

माननीय सुलतान आलम खां साहब से और माननीय एजाज रसूल साहब से मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, केवल इसके कि मैं उनके सामने कम से कम इस विधान सभा में चबूं। उनकी पार्लियामेंटरी जिन्दगी बड़ी लम्बी है। पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस क्या है, वह हमको बैठ कर पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब वे

[श्री गदासिंह]

दोनों साहबान खेर कमेटी की हैसियत से बैठे थे तो जहां पर खेर कमेटी ने यह सिफारिश की कि २० से १२५ मेम्बरों की तादाद होनी चाहिये, वहां उनकी क्या राय थी। जब दोनों साहबान बोलने के लिये खड़े हुए तो मैं बहुत गौर से उनके नोट आफ डिसेंट को पढ़ गया हूं। उसमें कहीं इस बात पर कोई चर्चा नहीं है। बहुत सी बातों पर उन्होंने चर्चा की है।

श्री ऐजाज रसूल—अगर आप गौर से पढ़ें तो उसके मुताल्लिक हमारी सिफारिश थी कि अगर १२५ मेम्बर बनाये जावें तो एक छोटी एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जावे जो ५ से १३ आदमियों की हो।

श्री गेंदासिंह—मैं मुबारकबाद देता हूं माननीय ऐजाज रसूल साहब को कि मैं तो ८० की बात कह रहा था और वह १२५ की कर गये। उन्होंने कहा कि १२५ की कमेटी के साथ एक छोटी एक्जीक्यूटिव कमेटी बनायी जाय। मैं उसकी मुखालिफत नहीं करता, यदि ऐसा प्रस्ताव आ जावे तो।

श्री ऐजाज रसूल—सिवाय इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, बनारस और लखनऊ के कहीं भी ५० से कम हैं? लिहाजा खेर कमेटी से कहां विरोध है?

श्री गेंदासिंह—और मैं फिर उनसे यह आग्रह करूंगा कि वे अपने नोट आफ डिसेंट को फिर पढ़ जायं, उसमें कोई गुंजायश नहीं है। कहीं भी उन्होंने २० से १२५ के मामले पर डिसएग्री नहीं किया है। यह उनका एक सुझाव हो सकता है लेकिन यह कहीं नहीं है कि उन्होंने १२५ मेम्बर होने का विरोध किया हो। माननीय सुल्तान आलम खां साहब भी वहां थे और दोनों साहबान ने वही राय दी। जब उनकी राय की बात यहां मैं कहता हूं तो उठ कर कहते हैं कि तुम नालायक बात कहते हो। दोनों साहबान से मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं सिर्फ दोनों साहबान का ध्यान इस तरफ दिला कर उनसे फिर गौर करने की दरख्वास्त करूंगा कि वे फिर गौर करें। हो सकता है यह बात ३९ की है और अब सन् ५२ है। १२ साल में बहुत सी बातें आदमी भूल जाता है, वह भूल गये हों। मैं अब दोनों साहबान को याद दिलाता हूं कि वे फिर से विचार कर लें और २० से ८० तक के मेरे सुझाव को वे मान लें। १२५ को अगर वे छोड़ना चाहें छोड़ दें। क्योंकि वह तो वाकई में बहुत ज्यादा तादाद हो जायगी। विचार करने के बाद वे स्वशासन मंत्री को यह अर्ज करें कि वे इस बात को मान लें।

माननीय श्याम लाल जी ने यह कहा कि वे स्थानों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने यह भी फरमाया कि स्थानों के बारे में उनको विरोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि स्थान अधिक होने से कुछ हरिजनों को अधिक सीट्स मिल जायेंगी। मैं माननीय श्याम लाल जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, कोई उन पर छींटाकशी नहीं करना चाहता हूं कि यह कोई नई बात नहीं कि जब कि माननीय श्याम लाल जी हरिजनों के माफिक न बोलते हों और उससे उल्टा काम न करते हों। इसलिये उनकी इस बात पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। जिन लोगों के बल पर वे यहां चुन कर आये हैं उन्हीं की वे मुखालिफत करते हैं। भूमि के बटवारे का सवाल जब आता है तब भी यही होता है। कल को ही जब भूमि का मसला आये तब यह बात भी मालूम हो जायेगी। मैं माननीय सुन्दर लाल जी से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वे भी इसी तरह पर विचार कर लें।

ऐजाज रसूल साहब से एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर तादाद बढ़ाई गई तो करप्शन बढ़ जायगा। कहते कहते वे यहां तक कह गये कि अगर ज्यादा मेम्बर बढ़ गये तो ज्यादा लालटेनें मांगने लगेंगे। मैं कहता हूं कि अगर लालटेनें मांगने लगेंगे तो उससे तो ऐजाज रसूल साहब को खुश होना चाहिये। मेरा ख़याल है उससे उनका ऐसा मतलब तो हो नहीं सकता कि अगर वे लालटेनें मांगने लगेंगे तो उन लालटेनों का बेजा इस्तेमाल होगा। अगर उनका मतलब ऐसा है तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं ख़याल करता हूं

कि उनका ऐसा मतलब नहीं था। रही लालटेन मांगने की बात, अगर उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होता तो कुछ अंधेरा तो उनसे जरूर मिटेगा। मैं इस बात को मानने के लिये कतई तैयार नहीं हूं कि जो हाउस बड़ा हो जायेगा वह करप्ट हो जायगा और जो हाउस छोटा होगा वह बड़ा ईमानदार होगा।

श्री श्यामलाल—कोरम के संबंध में आपका क्या खयाल है, इस पर प्रकाश डालिए।

श्री गेंदा सिंह—मैं फिर यह बात माननीय स्वशासन मंत्री जी से एक बार गौर करने के लिये उनकी खिदमत में यह पेश करता हूं और आशा नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारा संशोधन, माननीय मलखान सिंह जी के उस विनम्र अपील के बाद भी माननीय स्वशासन मंत्री जी स्वीकार करेंगे। अब यह विश्वास तो हमारा है, जैसा कि देखता हूं, हम अपने विश्वास से पीछे हट जायें, हमारा यह विश्वास गलत निकले। यह हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास गलत निकल जाय। यह मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा विश्वास आगे के लिये भी दृढ़ हो जाय। मैं जानता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी मुझसे अधिक व्यावहारिक हैं और उनको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी केवल स्वशासन मंत्री जी नहीं हैं बल्कि वे कुछ राजनीतिक पार्टियों के संगठनकर्त्ता भी हैं, रहे हैं और आज भी हैं। यह प्वाइंट बड़ा नाजुक है। मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि यह जो छोटी कमेटी के बनाने का उनका विचार है उससे उनको बड़ी परेशानी बढ़ेगी। इस कदर उनकी परेशानी बढ़ेगी कि मैं जानता हूं कि उनको दरबार के लिये अपने कमरे का दरवाजा बन्द करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रख कर वे कुछ भी करें। मैं आप से यह अर्ज करूं कि कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो गयी है, बीमारी हो गयी है कि हम लोग इसलिये कोशिश कर रहे हैं कि तादाद बढ़ जाय तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बरों को कुछ चुनकर आ जाने का मौका मिल सकता है। नहीं, मैं आपके और माननीय सदस्यों के मस्तिष्क से इस बात को निकाल देने के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने चुनाव के काफी परिणाम झेले हैं और झेलने के बाद भी उनको अनुभव न हो, ऐसा न समझें। उसने अनुभव प्राप्त किया है और अनुभव प्राप्त करने के बाद वह जो उचित रास्ता है उसे अख्तियार करती है। मैं जानता हूं कि म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की तक़दीर का फैसला क्या होगा। यह देहातों का चुनाव नहीं है बल्कि शहरों का चुनाव है और शहरों के चुनाव में कितने विचारधाराओं के पार्टियों की संख्या हो जायगी और किस विचारधारा के कितने सदस्य म्युनिसिपैलिटियों में आयेंगे इसमें कोई गलतफहमी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को नहीं है। इसलिये मैं फिर पहली बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी के दरवाजे को अखाड़ा न बनाया जाय। अगर छोटी कमेटीज बनीं तो लोग दरवाजा खोद डालेंगे। इसलिये २० से ८० वाला संशोधन स्वीकार कर लें तो अच्छा है।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह जी का बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरी दिक्कत तो अच्छी तरह से महसूस किया। शायद उनका इशारा यह था कि जब उम्मीदवार चुने जायेंगे तो मेरे दरवाजे पर ज्यादा भीड़ होगी। अगर संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा लोग एकोमोडेट हो सकेंगे और अगर संख्या कम हुई और आपने अपना दरवाजा बन्द किया तो लोग उसे तोड़ देंगे। हां, इसमें बहुत कुछ सच्चाई है। यह बिल्कुल सही है कि अगर संख्या बढ़ायी जाय तो हर एक पोलिटिकल पार्टी के नेताओं को जिनको उम्मीदवार चुनने हैं अपने दल के आदमियों को एकोमोडेट करने में ज्यादा आसानी होगी। मैं तो पहले कुछ और सोचता था लेकिन अब शायद मेरे दिमाग में कुछ यह भी खयाल आने लगा कि इसीलिये माननीय गेंदा सिंह जी शायद चाहते हैं कि मेम्बरों की तादाद बढ़ायी जाय ताकि उनको अपने दल के आदमियों को ज्यादा एकोमोडेट करने का मौका मिल सके।

[श्री मोहन लाल गौतम]

अगर ऐसा है तब तो और भी मेरे कामों में दिक्कत हो जायगी। यह ठीक है उन्होंने कहा कि उनके पास तो आदमी हैं नहीं और न शहर में वे कैंडिडेट्स खड़े करने के लिये तैयार हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पास आदमी तो नहीं हैं लेकिन कांग्रेस के पास तो है और यह भी है कि मेरी परेशानी बढ़ जायगी तो जब मेरे सामने यह सवाल आ जाय कि मेरी परेशानी बढ़ जायगी और उनका जो मेरे उम्मीदवार हैं उनका खयाल होगा या म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का खयाल रखे तो यह सोचता हूं कि दस बीस दिन की परेशानी बढ़े, चाहे मेरा दरवाजा तोड़ ही दिया जाय यह मुझे मंजूर है, लेकिन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक रखने की बात की तरफ मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर मलखान सिंह जी जो मेरे बड़े भाई हैं और पिछले सन् १९२१ और २२ से मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त रहा है, उन्होंने बड़े जोरों से बड़ी अच्छी तरह से अपील की कि इसमें कहीं कुछ नहीं है और तुम इसको मान लो। मैंने यह सोचा कि अगर मैं यह न मानूं तब भी शायद आगे कुछ अमेंडमेंट ऐसे हो जायं जिनमें आपसी बातचीत करके कोई रास्ता निकल जाय लेकिन ठीक उसी के बाद कुछ वक्त ऐसा नहीं गुजरा दो चार मिनट ही हुए थे जब विरोधी दल के कई सदस्य बोल चुके तब क्लोजर मूव हुआ और क्लोजर का अंजाम साफ था उसमें किसी को भ्रम नहीं था और ठाकुर मलखान सिंह को तो भ्रम नहीं था क्योंकि मैंने उनके साथ काम बहुत किया और वे मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे पंडित हैं, डिवीजन हुआ और उन्होंने जब हाथ उठाया तब मैंने समझा कि किस भावना से प्रेरित होकर यह अपील की जा रही थी। एक तरफ तो मुझसे मेरे गुडसेंस पर अपील की जाती है और दूसरी तरफ आब्स्ट्रक्शन करने के लिये, वक्त खराब करने के लिये डिवीजन कराया जाता है और वह भी क्लोजर पर कोई संशोधन होता तो ठीक था, लेकिन क्लोजर पर हाथ उठवाना और फिर अपील करना कि मान लो यह दो बातें एक साथ चल रही थीं।

श्री मलखान सिंह--आन ए प्वाइंट आफ परसनल एक्सप्लेनेशन, उनको यह मालूम होना चाहिये कि मैंने अपने व्हिप से कहा था कि यह गलत चीज है और नहीं होना चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम--शुक्रिया। कम से कम ठाकुर साहब के बारे में मेरा भ्रम दूर हो गया और इससे यह बात साफ हो गयी कि आपके विरोधी दल के जो व्हिप हैं वह रीजनेबिल बात भी नहीं मानते और कम से कम पार्टी जो बातें करती है गलत रास्ते पर चल रही है। अध्यक्ष महोदय, हर मसले पर बहुत सी चीजें ऐसी आ जाया करती हैं जो इस भवन के लिये और बाहर के लिये भी उससे उस वक्त संबंधित नहीं हैं। कुछ कोरम की, प्लटफार्म की बातें रख दी जाती हैं। अलीगढ़ के एलेक्शंस की बात कही गयी कि टाउन एरिया में कांग्रेस दल के लोग नहीं आ सके। उन सब लोगों को जो जेनरल एलेक्शंस में हार गये थे जिनका दल हार गया था, कुछ आत्म-संतोष हो जाय और उनके दिमाग को कुछ ठंडक हो जाय तो इस भवन में लेजिस्लेशन के वर्क में वह हमारे कुछ मददगार हों और इसलिये मैं उनके आत्म संतोष के लिये कुछ नहीं कहना चाहता। एक बात कांस्टीट्यूशनल लाई गई कि नो-कान्फीडेंस के लिये मोर दैन हाफ क्यों रक्खा गया। टू थर्ड या इससे ज्यादा क्यों नहीं रखा गया। और इसके बाद यह भी कहा कि मंत्री जी का ध्यान इधर नहीं गया और इधर नहीं गया। मैं यह मानता हूं और मैंने पहले भी कहा था कि सब चीजें इसमें शामिल नहीं हैं। जब बड़ा अमेंडिंग बिल आये तब उसमें जो चीजें नहीं उसमें तब हर सदस्य को यह अधिकार होगा कि यह कहे कि आप यह भूल गये और यह भूल गये। मेरा यह दावा नहीं है कि यह कम्प्रेहेंसिव बिल है, इसमें बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, इसलिये हर चीज के लिये यह कहना कि यह इसमें शामिल नहीं है या आपने यह नहीं किया वह चीज नहीं है।

इसलिये इस वक्त तमाम चीजें चूंकि नहीं लायी गयी हैं इसलिये सब चीजों के ऊपर यह कहना कि इधर ध्यान नहीं गया है और इधर ध्यान नहीं गया है यह ठीक नहीं है। मेरा तो मुहकमा ऐसा है कि मेरा ध्यान जबरदस्ती खींचेगा। लेकिन जब आप वोट आफ नो कान्फीडेंस

की बात करते हैं तब आपको एक बेर मेजारिटी रखने का सिद्धांत मान लेना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप ४,५ रख दें तो वोट आफ नो कांफीडेंस के बहुत से तरीके होते हैं। बजट नामंजूर कर दिया, चेयरमन के किये हुए कार्यों को रद्द कर दें जो आधे से अधिक वाली पार्टी होगी उसको जब चेयरमैन को हटाने का अधिकार नहीं मिलेगा तो वह पार्टी बजट नामंजूर कर देगी, उसके किये हुए कामों को नामंजूर कर देगी और चेयरमैन को काम करना नामुमकिन हो जायगा। इसलिये इक्जीक्यूटिव हेड जो हाउस से सेक्शन लेता है अगर उसके मेजारिटी खिलाफ है तो उसको हट जाना चाहिये। अगर आप ४–५ या २–३ मेजारिटी रखेंगे तो बड़े भयानक परिणाम निकल सकते हैं। इस पर जब आगे अमेंडिंग बिल आयेगा तो विचार करेंगे।

भाई गेंदा सिंह जी ने बहुत जोर से कहा कि अगर मंत्री यह बता दें कि उन्होंने कहीं संख्या कम करने की बात कही हो तो वह अपना संशोधन वापस ले लें। एक साहब ने यह बात भी कही कि एक लाख के ऊपर हमने कहा था उसे क्यों नहीं मान लिया। एक लाख पर एक मान लें तो हमको ६४० से ज्यादा आदमी रखने पड़ते। उसमें भी यह कहा गया कि पांच सौ से ज्यादा न हों। तो एक लाख की बात को न माना हो ऐसी बात नहीं है बल्कि पांच सौ से ज्यादा न हों, यह माना। अगर आप विधान देखें तो कुछ दूसरी असेम्बलियों में एक लाख से कम पर एक आदमी दिया गया है। एक पार्लियामेंट के पीछे ग्यारह ग्यारह मेम्बर हैं, नौ भी हैं, सात भी हैं और हमारे यहां पांच हैं इसलिये कि अगर ऐसा न करते तो यहां छः सौ से ज्यादा मेम्बर हो जाते। इसलिये यह बात नहीं है कि एक लाख वाली बात नहीं मानी गयी बल्कि यह बात की गयी कि पार्लियामेंट या किसी स्टेट असेम्बली में पांच सौ से ज्यादा मेम्बर न हों तो तादाद सीमित करने की बात है।

इतना मैं निवेदन कर दूं। पार्टी की बात है। लेकिन चूंकि उन्होंने पूछा है इसलिये उनकी सूचना के लिये कह सकता हूं कि मैंने बहुत जोर से राय दी थी कि यू० पी० में अपर हाउस न हो। उससे भी कुछ खर्च कम हो जाता और इसलिये जो आपने पूछा कि कोई खर्च को कम करने वाली बात कही जाय तो गलत ही मान लीजिए। माननीय गेंदा सिंह जी ने बहुत सीधे-साधे तौर पर और मेरी बात को जरा बहुत ज्यादा सिम्प्लीफाई करके कह दिया जो मैंने यह कहा था कि अगर कांस्टीटुएंसी छोटी होगी तो उसमें पोलिटिकल पार्टीज पर चुनाव नहीं होगा और वह रिएक्शनरी हो जायगा। ऐसी सीधी सादी बात मैंने नहीं कही थी। मैंने कहा था कि और फैक्टर्स भी काम करने लगते हैं जब कांस्टीटुएंसी छोटी होती है। बिरादरी और दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं इसलिये सिविक प्राबलम्स को न सोच कर परसनल फैक्टर्स को सोचने लगते हैं और उसमें रिएक्शनरी फैक्टर्स की गुंजायश होती है ऐसा मैंने कहा था।

इस समय जो मैंने संख्या बताई थी अगर उस तरह के प्रस्ताव को रखा जाता तो कहीं तो वोटर्स होंगे ८००, कहीं होंगे ११००, कहीं १५०० और ज्यादा से ज्यादा २८०० वोटर्स एक कांस्टीटुएंसी में होंगे। सिर्फ दो हजार ८ सौ। इसलिये यह कोई बहुत बड़ी कांस्टीटुएंसी है ऐसा मानना तो ठीक नहीं होगा जब कि एडल्ट फ्रेंचाइज है। एक भाई, माननीय पद्मनाथ जी ने भी सवाल उठाया है जो सैद्धांतिक है और उन्होंने कहा कि वोकेशनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिये। यह वोकेशनल रिप्रेजेंटेशन जब आप लाते हैं और कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात कहेंगे तो उसमें बहुत से सवालात पैदा हो जायेंगे। वोकेशनल रिप्रेजेंटेशन हो तो यहां पर कुछ माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं कि स्त्रियों के लिये अलहदा रिप्रेजेंटेशन हो। कहीं-कहीं यह भी आवाज उठती है कि लेबर के लिये रिप्रेजेंटेशन हो। यहां कहीं अमेंडमेंट्स में यह मिल जाय कि इंडस्ट्री और एजूकेशन के लिये अलग रिप्रेजेंटेशन हो तो फिर किस किसके लिये हो और किस किसके लिये न हो। हिन्दुओं में शेड्यूल कास्ट्स भी हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं और मुसलमानों में बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं तो यह कहां जाकर खत्म होगा यह कहना मुश्किल है और अगर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम जायेंगे अडल्ट फ्रेंचाइज होने के बाद तब मुमकिन है कि जितने एलेक्टोरेट हों वह माइनर में रह जायं और स्पेशल

[श्री मोहन लाल गौतम]

रिप्रजेंटेशन की ही मेजारिटी हो जाय, इसलिये यह एक ऐसा सवाल है जिसको कि आसानी से आप इंट्रोड्यूस कर सकें, ऐसा नहीं है, काफी दिक्कतें हैं, उस पर बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि किस किसको देंगे, किस किसको नहीं देंगे।

यहां पर जो इस अमेंडिंग बिल में है वह सिर्फ शेड्यूल कास्ट्स के लिये है, वह भी इसलिये कि कांस्टीट्यूशन में है और ज्योंही कांस्टीट्यूशन में खत्म होगा यहां भी खत्म हो जायगा, फिर उसके बाद कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, अडल्ट फ्रेंचाइज रहेगा, जो जो लोग हैं वे आयेंगे। जहां दस्तकार हैं वहां से दस्तकार आयेंगे और कहीं और हों तो वे आ जायेंगे और अगर नहीं हैं तो वह सेवा करके, काम करके, सिविक लाइफ में दाखिल होकर वह आना चाहें तो आ जायें, वरना इसलिये कि वह बिरादरी के हैं, उस मजहब के हैं या उस जाति के हैं, उसके आधार पर सवाल नहीं लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि मामला छोटा सा था और बहस बहुत लम्बी हो गयी।

मेरी अब भी राय है कि १५ से ५० की संख्या बहुत माकूल है, इससे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (b) की पंक्ति २ में अंक "15" व "50" के स्थान पर क्रमशः अंक "20" व "80" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ९-ए का बढ़ाया जाना। Reservation of seats for Scheduled Castes.

५--मूल अधिनियम की धारा ९ के बाद निम्नलिखित नयी धारा 9-A के रूप में रक्खी जाय --

9-A. (1) Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each board.

(2) The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the board as the population of the Scheduled Castes in the municipality bears to its total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950.

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित नयी धारा 9 A की उपधारा (1) की पंक्ति १ में शब्द "for" के बाद व शब्द "scheduled casts" के पहले शब्द "women and" बढ़ा दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की बातें हो रही हों और जहां पर हमारे देश के नव निर्माण की बातें हो रही हैं वहां पर हमारी महिलाओं को हमारी म्युनिसिपैलिटीज में कुछ खास प्रतिनिधित्व न मिले, यह गलत विचार है। हमारे तुलसीदास जी भी कह गये हैं। वैसे तो मैं उससे इत्तिफाक नहीं करता, मैं उसके खिलाफ हूं। तुलसीदास जी ने कहा है कि "ढोल गवांर शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी" मैं इससे सहमत नहीं हूं।

और जो यह बातें कही गईं उसी का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारे विधान में जहां तक हमारे हरिजन भाई हैं उनके लिये स्पेशल रिप्रेजेन्टेशन की बातें की गईं। विधान का नाम लेकर हमारे माननीय मन्त्री जी ने उस दिन कहा था कि विधान में कोई प्राविजन ऐसा नहीं है जिससे हम अपनी महिलाओं को म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर स्पेशल प्रिविलेजेज दे सकें। उन्होंने उस दिन जिस विधान की धारा को कोट किया वह गलत किया। उन्होंने धारा १६ के बारे में कहा कि पब्लिक इम्प्लायमेंट में स्त्रियों के लिये हम कोई स्थान स्पेशल नहीं कर सकते। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान धारा १५ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

"15 (1). The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

(2). No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to . . . .

(3). Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children."

जब हमारे विधान में भी वीमेन और चिल्ड्रेन के लिये स्पेशल प्रिविलेजेज हम दे सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है तो आज कोई वजह नहीं है कि हमारी महिलाओं को, जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनमें कोई स्पेशल प्रिविलेज न दिया जाय। मैं समझता हूं कि जहां पर आज हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज में कोरम पूरा नहीं होता, मुझे विश्वास है कि जैसा कि मैं देखता हूं इस सदन में भी जो हमारी महिलायें सदस्या हैं वह काफी तादाद में उपस्थित रहती हैं और जो हमारे पुरुष सदस्य हैं वे कम रहते हैं, अगर यह जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाय तो अपनी जिम्मेदारी को वह ज्यादा महसूस करेंगी और वह म्युनिसिपैलिटीज के जो काम हैं, बच्चों की शिक्षा का सवाल है, अस्पतालों का सवाल है और जितने छोटे मोटे शहरों के काम हैं उन्हें हमारी महिलायें ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती हैं बनिस्बत पुरुषों के। जैसा कि आज कहा जा रहा है कि देश भर में यह आवाज उठायी जा रही है कि स्त्री समाज को उठाया जाय, स्त्री समाज के लिये यह किया जाय, और बहुत सा रुपया इस प्रान्त में भी, जैसा कि हम सुनते हैं कि स्त्रियों के उद्धार के लिये या स्त्रियों की तरक्की के लिये दिया जाने वाला है तो क्या कारण है कि जिस म्युनिसिपैलिटी में हमारी महिलायें काफी तादाद में रहती हैं, वहाँ पढ़ी-लिखी महिलायें भी मिल सकती हैं जोकि ध्यान इस ओर दे सकती हैं। उन्हें हमारे यहां स्पेशल रिप्रेजेन्टेशन म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर न दिया जाय। कानून की बात अगर कोई थी तो उसको मैंने आपके सामने समझा दिया है। स्त्रियों के लिये तो और भी रक्षा की जरूरत है। हमारे हरिजनों को इसलिये रिप्रेजेन्टेशन दिया गया, क्योंकि उनके लिए यह कहा गया कि वे आर्थिक गुलाम हैं। इन महिलाओं के लिये तो केवल आर्थिक गुलामी नहीं है, बल्कि वे अपने पति-देव की गुलाम हैं। इन पर एक गुलामी और आ जाती है। हर महिला के नाम के आगे हम देवी लगाते हैं, लेकिन दासता का व्यवहार हम महिलाओं के साथ करते हैं। असल बात यह है कि यदि हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल होना है, यदि हमारे देश में अच्छी संतानें पैदा होनी हैं, यदि हमारे देश में नवनिर्माण के कार्य होने हैं तो यह आवश्यक है कि जो हमारा सबसे नीचे का ऐडमिनिस्ट्रेशन है म्युनिसिपल बोर्ड्स उसमें हमको महिलाओं को काफी तादाद में भेजना चाहिए। इसीलिये मैं आज यह संशोधन इस सदन के सामने लाया हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारी हुकूमत में आप देखिए कि इतने मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन इस हुकूमत ने महिलाओं को एक भी स्थान नहीं दिया है। वोट लेने के वक्त तो कह दिया जाता है कि महिलाओं के लिये हम बहुत से प्रबन्ध करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—लेकिन हम खुद खड़े हो जाते हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--हम तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर हम वहां पर खड़े न हों तो और आ जायेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सरकार ऐसा प्राविजन कर दे कि हमें खड़े होने का मौका ही न मिले। इसीलिये हम कहते हैं कि उनके लिये स्पेशल रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए, ताकि हमें खड़े होने का मौका ही न मिले। आप थोड़े सालों के लिये ही कर दें, आप चार-पांच साल के लिये ही ऐसा कर दें कि जब तक ये तरक्की न कर पायें, तब तक इनको स्पेशल रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा, लेकिन अगर न किया गया और माननीय मन्त्री जी ने मेरे इस संशोधन को स्वीकार न किया तो जो वे कहते हैं कि वे महिलाओं का उद्धार चाहते हैं, वह गलत साबित होगा, क्योंकि उसमें तथ्य नहीं होगा।

मैं तो कहूंगा कि इस प्रान्त के अन्दर महिलाओं को एक आन्दोलन खड़ा करना चाहिए।

एक सदस्य--उसको लीड आप करेंगे ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--मैं तो आज ही इस हाउस के अन्दर लीड कर रहा हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो बाहर महिलायें इस प्रान्त में हैं और जो इस सदन की सदस्या हैं, वे आज मेरे इस संशोधन का समर्थन अवश्य करेंगी। भले ही यह संशोधन पास हो या न हो, लेकिन यह मालूम हो जायगा कि जो आज स्त्रियों के सुधार की बात कही जा रही है, वह उनके प्रतिनिधियों के द्वारा कहां तक पूरी की जाती हैं। कहीं माननीय मन्त्री यह न कह दें कि यह भी पोलीटिकल गेम है। जब कभी हम अच्छी बात कहते हैं और कोई एक सेक्शन आफ पीपुल्स हमारे साथ आ जाता है तो यह कह दिया जाता है कि यह एक पोलीटिकल चाल इन्होंने चली है। स्त्रियों को अपने साथ यह करना चाहते हैं, इसीलिये यह स्त्रियों का प्रचार कर रहे हैं। बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि तुम इतने हैन्ड पैक्ड हस्बैन्ड हो। ऐसी बातें बहुत से लोग कह दिया करते हैं, किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यह हो सकता है कि उनकी बातें सुनने का मुझ पर कुछ असर पड़ता हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे इस कहने में कुछ तथ्य है, मैं सिनसियारिटी के साथ इस बात को कह रहा हूं। मैंने देखा है कि अगर महिलाओं के सुधार के कार्य को हम शुरू करते हैं तो म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरियाज और ग्राम पन्चायतों से शुरू कर सकते हैं। ग्राम सभाओं में भी हमारी महिलायें नहीं हैं। भारत की जो पुरानी संस्कृति चली आ रही है उसमें हमें बहुत दिन लगेंगे। अगर हम उन्हीं के ऊपर छोड़ दें तो शायद मैं समझता हूं कि मैं अपनी जिन्दगी में इस चीज को नहीं देख पाऊंगा। जब हम चुनाव में महिलाओं के नाम पर वोट मांगते हैं और वोट लेने के वक्त हम कहते हैं कि महिलाओं पर भारत का सारा भाग्य है और तुमको भारत का भाग्य निश्चित करना है। जब लोग ऐसी बातें एलेक्शन में कहा करते हैं, उस वक्त हमारी महिलायें शायद यह समझती होंगी कि सचमुच देश का भारी निर्माण होने वाला है, जहां महिलाओं की कदर होगी, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिये मैं यह संशोधन इस सदन के सामने रख रहा हूं और बातें जो कुछ मुझे कहनी होंगी उनको मैं जवाब के लिये छोड़ता हूं और मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की पहले राय जानना चाहूंगा और मुझे आशा है कि एक मत होकर के आप माननीय मन्त्री जी को अपने भाषणों से मजबूर कर देंगे कि वे हमारे इस संशोधन को स्वीकार करें और महिलाओं का सुधार हो सके।

श्री अध्यक्ष--माननीया सज्जन देवी महनोत का जो संशोधन है, यदि वह चाहें तो उसको इसी समय पेश कर दें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। (श्रीमान् जी, विधान का प्रश्न है।) जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में रिजर्वेशन आफ सीट्स जो है, वह स्त्री जाति के लिये नहीं रखा गया है, इसलिये मैं समझता हूं कि यह आउट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष--आपने कोई विधान नहीं पेश किया। यह इन आर्डर है।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष, जो प्रस्ताव माननीय उपाध्याय जी ने रखा है, वैसे तो मैं समझती हूं कि वह सही है, लेकिन उन्होंने आज हमारी बड़ी

सिफारिश लेकर जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उनसे ही कह रही हूं और पूछना चाहती हूं कि वह १८ मेम्बर्स में से कितनी महिलाओं को यहां लाये हैं। वे हमारी सिफारिश करने से पहले यह सोच लेते कि दो-चार महिलाओं को लेकर यहां बैठाया होता तो वे महिलाओं की सिफारिश करते। वे तो सोचते थे कि विधान में महिलाओं की गुन्जाइश नहीं है, इसलिये क्यों न अपोजीशन किया जाय। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन तो अवश्य करती हूं, लेकिन वे जानते हैं कि यह भवन मन्जूर नहीं करेगा, इसलिये यह प्रस्ताव मुझे लाना ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे न तो हरिजनों के बारे में कहना है, न सवर्णों के बारे में कहना है, मुझे केवल महिलाओं के बारे में कहना है। चाहे वे हरिजन हों, चाहे वे सवर्ण हों। जबकि सन् १९३० में महिलाओं ने आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम किया है तो आज क्या वजह है कि महिलाओं के लिये रिजर्वेशन नहीं रखा जाय। आपके साथ महिलाओं ने बहादुरी से काम किया है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं ने कोई कम काम किया है। मैं आपसे दावे से कह सकती हूं कि जो भी काम आप महिलाओं को सौंपेंगे वे उस काम को अपना कर्तव्य समझकर तन मन से उसे पूरा करेंगी तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वह रिजर्वेशन नहीं तो कोआप्शन तो हमारे लिये अवश्य रखें, क्योंकि खेर कमेटी की रिपोर्ट में भी चार महिलाओं के लिये कोआप्शन की बात है। जब यहां आज खेर कमेटी का दावा बोला जाता है और यह कहा जाता है कि अमुक बात तो खेर कमेटी ने मन्जूर की है तो फिर चार महिलाओं के कोआप्शन की जो बात उसमें है वह अवश्य होनी चाहिए। मैं जानती हूं, मैं समझती हूं और मुझे अन्देशा यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स में कोई महिला चुनकर नहीं आ सकेगी, क्योंकि महिलाओं के सामने एक तो खर्च की समस्या होगी, महिलायें कहेंगी कि हमारे पति राजी नहीं होते हैं तो हम कैसे खर्च करेंगी। वे पतियों के आश्रित हैं, वर्षों से गुलामी में रहने की उनको आदत हो गयी है। इस वजह से वे स्वावलम्बी तो हैं नहीं, जो अपने पैरों पर खड़े होकर चुनाव लड़ने के लिये तैयार हों। बहुत से भाई यह कहते हैं कि महिलायें चुनाव लड़ने के लिये राजी नहीं होती हैं। वे राजी कैसे हों? वर्षों से तो गुलाम रहने की आदी हो गयी हैं तो उनको चुनाव लड़ने की हिम्मत कहां से हो। अगर आप उनको कुछ प्रोत्साहन देंगे और मौका देंगे तो मैं नहीं समझती हूं कि महिलायें चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगी। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहती हूं कि जनतन्त्र राज्य में समान अधिकार आपने विधान में दिये हैं। फिर क्या वजह है कि आप एक ही शक्ति को बलवान बनाना चाहते हैं और दूसरी शक्ति को कमजोर बनाना चाहते हैं। जब तक दूसरी शक्ति मजबूत नहीं होगी, मैं समझती हूं कि इस स्वतन्त्र देश की रक्षा होना भी मुश्किल है। तो मेरा आपसे यह फिर नम्र निवेदन है, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मुझे यही कहना है कि महिलाओं के लिये आप रिजर्वेशन आफ सीट्स रखें या फिर कम से कम चार का कोआपशन अवश्य रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
११ दिसम्बर, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९७ पर)

स्कूल अथवा कालिज का नाम		प्रथम वर्ष में भर्ती किये जा सकने वाले विद्यार्थियों की संख्या
१---राजकीय कारपेंट्री स्कूल, इलाहाबाद	...	७५
२---राजकीय आकूपेशनल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद	...	२६
३---पंडित जे० जे० राजकीय पोलीटेकनिक, अल्मोड़ा	...	६०
४---राजकीय मेटल वर्किंग स्कूल, अलीगढ़	...	४०
५---राजकीय सेन्ट्रल वीविंग इंस्टीट्यूट, बनारस	...	७०
६---डी० पी० के० इंडस्ट्रियल स्कूल, बनारस	..	१६
७---राजकीय सेन्ट्रल वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट, बरेली	...	१०५
८---राजकीय पोलीटेकनिक, देहरादून ...	...	४०
९--राजकीय ट्रेनिंग स्कूल, फतेहपुर ...	...	३०
१०--राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गोरखपुर	...	७०
११--राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, गाजीपुर	..	५०
१२--राजकीय वीविंग ऐन्ड क्लाथ प्रिंटिंग स्कूल, बुलन्दशहर	...	१५
१३--राजकीय इंडस्ट्रियल स्कूल, चरखारी, जिला हमीरपुर	...	४०
१४--राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, झांसी	...	२५
१५--हारकोर्ट बटलर टेकनोलाजीकल इंस्टीट्यूट, कानपुर	...	२०
१६--राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर	...	७०
१७--राजकीय लेदर वर्किंग स्कूल, कानपुर	...	२०
१८--राजकीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ	...	३०
१९--राजकीय आकूपेशनल इंस्टीट्यूट, लखनऊ	..	९६
२०--राजकीय माडेल वीविंग स्कूल, मऊ, आजमगढ़	..	३५
२१--चौधरी मुख्तार सिंह राजकीय पोलीटेक्निक, दौराला, मेरठ	..	१२०
२२--राजकीय विमेन्स डोमेस्टिक ऐन्ड वोकशनल स्कूल, रामपुर	..	३०
२३--राजकीय पोलीटेक्निक, टेहरी, गढ़वाल	..	६४
२४--राजकीय पोलीटेक्निक, श्रीनगर, गढ़वाल	...	४७
२५--राजकीय स्कूल्स आफ आर्ट्स ऐन्ड क्राफ्ट्स, लखनऊ	...	३६

पी० एस० यू० पी०--९९--एल० ए०--१९५२--८३०